असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

05 मार्च, 2018

षोडश विधान सभा — 05 मार्च, 2018 ई0

---------- — सोमवार, तिथि ----------

नवम् सत्र — 14 फाल्गुन,1939 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 10.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तरकाल ।

माननीय सदस्यगण, आज पहले दिनांक 01 मार्च, 2018 के लिए निर्धारित वर्ग-4 के अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 2 (श्री मेवालाल चौधरी)

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न के उत्तर में रेनड्रॉप नामक पदार्थ से संबंधित अनुशंसा की जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है । इस संबंध में कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा रही है । रेनड्रॉप पदार्थ बिहार के सूखे प्रभावित जिलों के लिये उपयोगी होने पर इसे लागू करने पर सरकार विचार करेगी।

श्री मेवा लाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रश्न इसलिए किया कि हमलोगों को अब क्लाईमेट चेंज से जूझना है । पूरे बिहार में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो वाटर डेफिसिटेड हैं, जहां मैक्सिमम रेनफौल 600 से 700 एम0एम0 होता है । वैसे डिस्ट्रिक्ट्स में यह कितना उपयोगी पदार्थ है, जिसमें वाटर एब्जौर्ब करने की कैपेसिटी 90 दिनों तक होती है । एक इरीगेशन देने के बाद में वह उसे 90 दिनों तक एब्जौर्ब कर लेती है । इरीगेशन के समय जेनरली किसान फर्टिलाईजर भी देते हैं तो फर्टिलाईजर को भी वह ऐब्जॉर्ब करके धीरे-धीरे रिलीज करता है । तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और सबौर में भी इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसी बेसिस पर । इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से इनिसिएशन हुआ था । इस तरह का एक्सपेरिमेंट बिहार में भी कम-से-कम होना चाहिए। अगर इस तरह के उपयोग से, रिसर्च से, अनुसंधान से अच्छा रिजल्ट निकलता है तो सरकार इसपर विचार करेगी । सर, मेरा सरकार से एक ही निवेदन है आपके माध्यम से कि चूंकि हमें प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाना है, खासकर के वैसे एरिया, जहां पर सब्जी और सूखी हॉर्टिकल्चर क्रौप्स को हमलोग प्रमोट कर रहे हैं, ड्रॉटलैंड एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, So like जमुई और जो भी जिले हैं, वैसे जगहों के लिए यह बड़ा उपयोगी है सर ।

अध्यक्ष : श्री मेवा लाल जी । आपकी बातों से तो सरकार ने लगभग सहमति जतायी है । माननीय मंत्री ने सिर्फ यह कहा है कि इस रेनड्रॉप की जानकारी आधिकारिक रूप से विभाग को या सरकार को नहीं है । इसलिये अच्छा होगा कि आपके पास जो

जानकारी है, आप सरकार को उपलब्ध करा दें और सरकार ने कहा है कि अगर यहां की जमीन के लिये यह उपयोगी है तो सरकार उसपर विचार करेगी ।

श्री मेवा लाल चौधरी : सर, मेरा एक निवेदन है कि अगर सरकार एक छोटी–सी कमिटी बना ले उनके ए0पी0सी0 के अंदर और यूनिवर्सिटी के लोगों को बुला ले ।

अध्यक्ष : आप पहले उसकी विधिवत् आधिकारिक सूचना तो दे दीजिये । आप सूचना दे दीजियेगा तो जो भी आवश्यक होगा, सरकार उसपर कार्रवाई करेगी ।

श्री मेवा लाल चौधरी : जी । धन्यवाद सर ।

श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव: अध्यक्ष महादेय, सवाल है रेनड्रॉप पदार्थ का । इसके कारण खेतों में 90 दिनों तक नमी बनी रहती है । इसकी उपलब्धता हो जाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास क्योंकि पानी की किल्लत से पैदावार पिछड़ जाता है । महोदय, जब हम कृषि रोड मैप की चर्चा करते हैं और तीसरे और चौथे पड़ाव की ओर हम हैं कृषि रोड मैप में, तो आखिर इतने बड़े महत्वाकांक्षी जो किसानों के लिये वरदान साबित हो सकता है, वैसी परिस्थिति में तो सरकार को यह बताना चाहिए ।

अध्यक्ष: अब 01 मार्च, 2018 के लिये वर्ग–4 के तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या – 205 (श्री जर्नादन मांझी)

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या – 206 (श्री गुलाब यादव)

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या – 207 (श्री मो0 आफाक आलम)

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या – 208 (श्री महेश्वर प्रसाद यादव)

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड –1 उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा गायघाट प्रखंड के कोदई एवं राघोपुर ग्राम में लगभग 100 एकड़ धान का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षित रकबा के फसल हरित एवं परिपक्वतावस्था में आर्मी वर्म समूह से प्रभावित था।

खंड –2 संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना द्वारा सर्वेक्षण प्रतिवेदन विभाग को सौंप दिया गया है । पौधा संरक्षण कर्मियों की प्रतिनियुक्ति आर्मी वर्म के नियंत्रण हेतु की गयी थी ।

खंड – 3 आर्मी वर्म पर नियंत्रण कर लिया गया है ।

खंड – 4 अस्वीकारात्मक है ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आर्मी वर्म नामक कीट लगा था, जिससे क्षति हुई है और इसको हुये सालभर से ज्यादा बीत गया और विभाग कान में तेल डालकर सोया रहा । तो जो ऑफिसर इसके लिये दोषी हैं उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करना चाहती है या नहीं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : महोदय, हमने साफ कहा कि इसपर नियंत्रण पा लिया गया था । इसकी जरूरत नहीं है । तो फिर कार्रवाई का कहां सवाल है ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, किसान के फसलों को जो कीड़ा चाट गया तो क्या सरकार किसानों को मुआवजा देना चाहती है कि नहीं ? मुआवजा देने का प्रावधान है ।

अध्यक्ष : प्रश्न में बात मुआवजा देने की ही है । इसलिये माननीय मंत्री जी, मुआवजा देने के संबंध में सरकार ने कुछ विचार किया है ?

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : महोदय, मुआवजा देने के लिये सरकार ने वहां जांच करवाई थी । जांच में जो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के तहत उन्होंने कहा कि जो मुआवजा की मांग की गयी, हमने उसपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है । उसमें पदाधिकारियों का रिपोर्ट लगा हुआ है । तो मुआवजा तब मिलता, जब उनका रिपोर्ट उस तरह का आता ।

श्री महेश्वर प्रयाद यादव : महोदय, मैं उस रिपोर्ट को चैलेंज करता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी, आप किसी वरीय पदाधिकारी से इसे फिर से जांच करा लें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : महोदय, ठीक है ।

श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, किस पदाधिकारी ने रिपोर्ट सबमिट किया है विभाग को और उसका क्या फलाफल है ? माननीय मंत्री जी बतायें । चूंकि यह सवाल कीट का है, यह केवल मुजफ्फरपुर का नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य शक्ति जी, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना से जांच करायी गयी थी । आपने सुना नहीं? आप पूछ रहे है कि किससे जांच करायी गयी है । संयुक्त निदेशक से जांच करायी गयी थी।

श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय...

अध्यक्ष : रिपोर्ट में आया था कि आर्मी वर्म से प्रभावित हुआ था लेकिन उसपर नियंत्रण पा लिया गया था ।

श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, दोनों में भेग है । नियंत्रण कब पाया ? जब कीट ने फसल को बर्बाद कर दिया और जांच बाद में हुई तो नियंत्रण कैसे हो गया ? महोदय, यह अपने आप में हास्यास्पद है ।

तारांकित प्रश्न संख्या - 209 (श्री मेवा लाल चौधरी)

श्री सुरेश शर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-1 अस्वीकारात्मक है । बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-6 में ऐसा प्रावधान नहीं है कि उक्त अधिनियम की धारा-3 में नगर निकाय के गठन की प्रक्रिया का शर्त्त निर्धारित है । वह होने पर ही हम कुछ कर सकते है ।

खंड-2 अस्वीकारात्मक है । प्रधान सचिव के अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या 4362 दिनांक 06.07.2016 एवं पत्रांक 6169 दिनांक 08.09.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जो अप्राप्त है । फलस्वरूप प्रश्न के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 874 दिनांक 12.02.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुंगेर से प्रतिवेदन की मांग की गयी है । जिला पदाधिकारी, मुंगेर से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 3 के निहित प्रावधानानुसार नगर पंचायत गठन की कार्रवाई की जा सकेगी ।

टर्न-2/सत्येन्द्र/5-3-18

श्री मेवा लाल चौधरी: सर, जिलाधिकारी, मुंगेर से ऑलरेडी ये पूरा परपोजल माननीय मंत्री के विभाग में आ चुका है जिसका लेटर नं0 है-960, दिनांक 30 जनवरी, 2015 को ही यह पत्र आया हुआ है, परपोजल आया हुआ है । हम आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि उस परपोजल को अगर दिखवा लें और उस पर ही कार्रवाई करें तो शायद जल्द हो जायेगा ।

अध्यक्ष: दिखवा लीजियेगा ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: हम दिखवा लेंगे । अगर वह आया होगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 210(श्रीमती अरूणा देवी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 211(श्री रामचन्द्र सहनी)

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इसमें समय चाहिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 212(श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 213(डॉ0 मुहम्मद जावेद)

श्री राणा रणधीर सिंह, मंत्री: माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों से जुड़ा बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने ।

(1)स्वीकारात्मक है । धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया 15 नवम्बर से प्रारंभ हुई है ।

(2)अस्वीकारात्मक है । किशनगंज जिला में अद्यतन तिथि तक कुल 690 कृषकों से कुल 4435 मे0 टन धान की खरीदारी हो चुकी है और लगातार खरीदारी की जा रही है । किशनगंज जिले में किसानों के द्वारा बिचौलियों के पास धान बेचने को मजबूर होने संबंधी कोई सूचना कार्यालय स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(3) इसका उत्तर इसमें निहित है । स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है ।

डॉ0 मुहम्मद जावेद: माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका खंड-1 का जो उत्तर है, उन्होंने कहा है कि नवम्बर 15 से खरीदगी शुरू हुई है लेकिन चूंकि हमलोग सभी किसान परिवार से बिलौंग करते हैं यहां के ज्यादातर लोग, किशनगंज में खरीदगी शुरू हुई फरवरी के फर्स्ट हाफ से और इसका जो धान खरीद के मिलों में जाया जाता है, मिल को टैग करते करते सरकार को लगभग दो महीने लग गये और उसको जनवरी के आखिरी महीने में टैग किया गया तो उसमें हुआ क्या कि खरीदगी होनी चाहिए था नवम्बर के आसपास, जब किसान अपना धान बेचता है बाजार में या पैक्स वाले को लेकिन वैसा नहीं हुआ और ये खरीदगी जो हुई है वह लोकल मार्केट से हुई है और व्यापारी से उससे खरीदगी हुई है । मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो माननीय मंत्री ने जो फिगर दिया है 4435 मे0 टन का, क्या इसका विस्तार से सदन को बतलाना चाहेंगे कि कहां कहां खरीद कर दिया गया है ?

अध्यक्ष: ये विस्तार से अभी है उपलब्ध ?

श्री राणा रणधीर सिंह: यह उपलब्ध करवा देंगे माननीय सदस्य को, 690 कृषकों से खरीदारी हुई है और माननीय सदस्य चाहते हैं तो इनको विस्तार से उपलब्ध करवा देंगे ।

डॉ0 मुहम्मद जावेद: सर, मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि किशनगंज में कितने कृषक हैं ? उसमें से उन्होंने बतलाया कि सिर्फ 690 किसानों से खरीदा गया है तो ये परसेंटेज क्या है ? कितने किसान हैं जो धान का खेती करते हैं ?

अध्यक्ष: वह तो कह रहे हैं मंत्री जी आपको उपलब्ध करवा देंगे ।

डॉ0 मुहम्मद जावेद: अध्यक्ष महोदय, मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि 18 लाख की आबादी में, उसमें से 99 प्रतिशत वहां किसान हैं, अगर फेमली जोड़ा जाय सर तो लगभग 5 लाख फैमलीज होंग और 5 लाख फेमली में माननीय मंत्री बतलाते हैं सिर्फ 690 किसानों का धान लिया गया । अगर हम यह आंकड़ा सही भी मानते हैं तो 5 लाख किसान में 690 किसानों से धान लेना, क्या यही सरकार की उपलब्धि है ? क्या सरकार यह आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगी ?

श्री राणा रणधीर सिंह,मंत्री: बिल्कुल आपकी चिंता, माननीय सदस्य की चिंता जायज है और सरकार खरीदारी लगातार कर ही रही है । आप जो डाटा चाहते हैं उपलब्धता चाहते हैं वह भी डाटा आपको उपलब्ध करवा दिया जायेगा । खरीदारी अभी 31 मार्च तक चलेगी तो

जितने भी हमारे कृषक भाई हैं उनका स्वागत है, खरीदारी करें, पैक्स कार्यरत है, मिल की टैगिग हो गयी है ।

डॉ0 मुहम्मद जावेद: मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी मार्च शुरू हो गया है, 5 मार्च खत्म होने को है या शुरू ही मान लिया जाय, 25 दिन में अगर धान खरीदना भी चाहेंगे तो वह खरीदगी नहीं मिलेगी, चूंकि किसान का धान चला गया है सर, जैसा माननीय मंत्री खुद बतला रहे हैं कि अभी तक सिर्फ 690 किसानों से ही धान लिया गया है और वह आंकड़ा बढ़ेगा लेकिन धान किसानों के पास है ही नहीं कि बेचेगा ।

अध्यक्ष: तो आप चाहते क्या हैं ?

डॉ0 मुहम्मद जावेद: तो मैं चाहता हूँ कि अब तो जो हो गया है इसमें सुधार अभी उतना नहीं हो सकता है। क्या माननीय मंत्री महोदय ये सुनिश्चित करेंगे कि आईन्दा वर्षों में खरीदगी 15 नवम्बर से शुरू हो जाय और ये जो 690 का आंकड़ा है, कम से कम 2 लाख तो पहुंचे ।

अध्यक्ष: अधिकतम हो ।

डॉ0 मुहम्मद जावेद: नहीं नहीं, 2 लाख तक पहुंचे, 40 प्रतिशत किसानों तक पहुंचे ।

अध्यक्ष: वही तो हम अधिकतम कह रहे हैं ।

श्री राणा रणधीर सिंह,मंत्री: बिल्कुल, यह अच्छा सुझाव है, हमलोग करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 214(श्री श्याम रजक)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री: (1)आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । यह सही है कि पटना जिला के दीघा थाना संख्या-1 की 1024.56 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1974 में हुआ था । उक्त अधिग्रहण के विरूद्ध बोर्ड द्वारा मुआवजा भुगतान के रूप में वर्ष 1982 में कोषागार चालान संख्या- 33 द्वारा रू0 8,33,43,958.20/-(आठ करोड़, तेतीस लाख, तैंतालीस हजार, नौ सो अंठावन रू0 बीस पैसे) एवं चेक संख्या 410898 दिनांक 7-6-2005 द्वारा रू0 9,09,38,599.39(नौ करोड़, नौ लाख, अड़तीस हजार पांच सौ निन्यानवे रू0 उनचालीस पैसे) मात्र कुल मुआवजा राशि रू0 17,42,82,557.59(सत्रह करोड़, बयालीस लाख, बयासी हजार पांच सौ संतावन रू0 उनसठ पैसे)मात्र का भुगतान समाहर्त्ता, पटना को कर दिया गया है । ज्ञातव्य है कि बोर्ड मात्र एक अधियाची संस्था है । यह जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना का उत्तरदायित्व था कि वह उक्त अधिग्रहण से प्रभाावित व्यक्तियों को चिन्हित कर मुआवजा राशि का भुगतान करे, बोर्ड का नहीं । जहां तक अधिग्रहण के 43 वर्ष के उपरांत भी लक्षित उद्देश्य हेतु भूमि का उपयोग नहीं होने संबंधी प्रश्न है तो इसका उत्तर अस्वीकारात्मक है, क्योंकि बोर्ड द्वारा उक्त

अधिग्रहित भूमि के विकास हेतु ले-आउट प्लान तैयार किया गया है तथा स्थानीय अड़चनों के बावजूद लक्षित उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु बोर्ड सतत प्रयत्नशील है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । बोर्ड द्वारा मौजा-दीघा थाना संख्या-1 में अर्जित 1024.52 एकड़ भूमि के विरूद्ध समाहर्त्ता, पटना को मुआवजा भुगतान की राशि उपलब्ध करा दी गयी थी अतएव सी0आर0पी0एफ0 एवं सी0पी0डब्लू0डी0 को आवंटित भूमि के विरूद्ध पुनः मुआवजा भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है । बोर्ड इस हेतु पूणरूपेण स्वतंत्र है कि वह दीघा स्थित अधिग्रहित भूमि का उपयोग किस तरह से करे ।

(3) अस्वीकारात्मक है । ज्ञातव्य है कि दीघा स्थित भूमि अधिग्रहण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 9973-77/1983, एस0एल0पी0(सिविल) संख्या 3098/1983, रिट पिटीशन(सी0)संख्या 133306-21, 13346/1983 एवं स्पेशल लीभ पिटीशन(सी)संख्या 4428/1983 में पारित न्यायादेशों के द्वारा सम्पुष्ट किया गया है।

टर्न-3/मधुप/05.03.2018

...क्रमशः ...

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : 4- अस्वीकारात्मक है । बोर्ड द्वारा दीघा अर्जित भूमि अधिगहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भौतिक कब्जा नहीं हुआ है । मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा नया भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में पास हुआ था, इसकी धारा 24 में कहा गया कि इस कानून के पास होने के पहले जो भूमि अधिग्रहित की गई है, अधिग्रहण घोषणा के 5 साल बीत जाने के बाद भी यदि सरकार का भौतिक कब्जा नहीं हुआ है और उसका मुआवजा यदि किसानों को नहीं मिला है तो उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त माना जायेगा । इस सन्दर्भ में बिहार सरकार के राजस्व सचिव ने भी पत्र संख्या 283/2014 में सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र दिया था कि नये अधिनियम की धारा 24 की उप धारा 2 में यह प्रावधान किया गया है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ की गई है । अतः पंचाट बने 5 साल या उससे अधिक समय हो गया हो किन्तु भूमि पर कब्जा नहीं लिया गया हो, मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया हो तो उक्त प्रक्रिया लैप्स मानी जायेगी । यदि उस भूमि को अर्जित करना हो भू-अर्जन प्रक्रिया नये अधिनियम के अन्तर्गत की जायेगी ।

यह साफ आदेश है अध्यक्ष महोदय, फिर इसके बाद इसको घुमा-फिराकर करना, तो हमारा यह आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि जब 1024.56 एकड़ भूमि अधिग्रहण हुआ लेकिन उसका भौतिक कब्जा नहीं हुआ, किसानों को मुआवजा नहीं मिला और भारत सरकार का कानून भी है, अधिनियम भी है तो क्या उस बिल के आधार पर अधिग्रहण से मुक्त करना चाहेंगे ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, हमने तो पैसा सब जिलाधिकारी को दे दिया और वे लोग कोर्ट में चले गये, हमने बताया है इनके प्रश्न के उत्तर में कि सभी कोर्ट से वे हार चुके हैं । अब हमको दोबारा अधिग्रहण करने का प्रश्न कहाँ उठता है जबकि वे सब कोर्ट में हार गये हैं । हम व्यक्तिगत बताते हैं कि वे लोग तो सब हमको 6 एकड़ - 7 एकड़ जमीन हैंड-ओवर करने जा रहे हैं तो इसको पुनः अधिग्रहण करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री श्याम रजक : महोदय, भारत सरकार का अधिनियम है, उसका पालन करना चाहते हैं कि नहीं? दूसरा, इन्होंने कहा कि अधिग्रहण हमने किया, अधिग्रहण का मूल उद्देश्य था कि आवास बनाना है । आवास इन्होंने नहीं बनाया बल्कि उसको इन्होंने सी0आर0पी0एफ0 और सी0पी0डब्लू0डी0 को दे दिया, इन्होंने कहा है कि मेरी इच्छा, लेकिन आपका मूल उद्देश्य था इस अधिग्रहण के पीछे कि हम पटना के नागरिकों के लिए आवास बनायेंगे। आपने उस जमीन को सी0आर0पी0एफ0 और सी0पी0डब्लू0डी0 को दिया जबकि उस जमीन पर किसानों का आपने आज तक मुआवजा नहीं दिया है, पक्का । मुआवजा नहीं दिया है । इन्होंने कहा कि हम कलेक्टेरिएट में जमा कर दिया, किसान को मुआवजा नहीं मिला, जमीन किसान का है कोई कलक्टर की जमीन नहीं है और जब किसान को मुआवजा नहीं मिला, आपने उसपर अपने बल पर सी0आर0पी0एफ0 और सी0पी0डब्लू0डी0 का ऑफिस बना लिया । किसानों को तो मुआवजा नहीं मिला और जब उसको मुआवजा नहीं मिला तो बाकी आप 400 एकड़ और आप अधिग्रहण करके उसपर आप भौतिक कब्जा नहीं कर पा रहे हैं । अगर भारत सरकार के उस अधिनियम के बिल पर जिसपर राज्य सरकार ने भी सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखा है तो उसको अधिग्रहण से मुक्त करना चाहिये अगर कानून का राज है तब ।

श्री नितीन नवीन : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो भी न्यायालय के आदेश आये हैं तो न्यायालय के आदेश 2013 के पहले के हैं और उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को लिखा भी है, यह नये कानून के दायरे में क्या माननीय मंत्री जी इसपर पुनर्विचार करना चाहते हैं कि नहीं ? दूसरा जो प्रश्न है कि बोर्ड की स्वायत्तता की बात करते हैं, तो बोर्ड की जो स्वायत्तता होती है, वह बोर्ड भी किसी न किसी कानून के तहत चलेगा । क्या नगर विकास एवं आवास विभाग का जो कानून है, राज्य एवं भूमि सुधार विभाग का जो नया कानून आया है, क्या उसके तहत बोर्ड कोई निर्णय नहीं लेगा ? बोर्ड पूरी तरह से स्वायत्त होकर पूरी तरह से पुराने, जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से हिटलरशाही रवैया अपनाया गया है, अध्यक्ष महोदय । आपने जिला कलेक्टर को पैसा दे दिया मुआवजे का और जमीन पर कहीं मुआवजे का कोई पहल नहीं किया । 43 साल बीत जाने के बाद भी जब आज तक आप कब्जा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं आप जनता के हित में एक वेलफेयर गवर्नमेंट के लिए मात्र

19 करोड़ रूपये बकाया की बात कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, 20 करोड़ रूपया अगर बकाया भी है सरकार का तो एक वेलफेयर गवर्नमेंट को चाहिए कि 1024 एकड़ में रह रहे आम नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करायी जाय और उनको फ्री होल्ड किया जाय ।

माननीय मंत्री जी, दूसरा सवाल है कि 2013 के नये कानून के प्रावधान के हिसाब से क्या मंत्री जी पुनर्विचार करना चाहते हैं कि नहीं ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, किसान लोग हमारे यहाँ आ रहा है पैसा लेने के लिए, हम तो उसको दे रहे हैं लेकिन सदन को मैं इसकी विस्तृत जानकारी लेकर बता दूँगा ।

श्री श्याम रजक : महोदय, मेरा सवाल है.....

अध्यक्ष : अब तो हो गया न ।

(इस अवसर पर राजद के भी कई माननीय सदस्यगण खड़े हो गए)

श्री श्याम रजक : आपलोग बैठिये न । क्वेश्चन अभी मेरा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय भाई वीरेन्द्र जी, आपकी उपस्थिति सदन में दर्ज हो गई । बैठिये ।

प्रश्न संख्या–215, श्रीमती अमिता भूषण ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूँ । पूरे किसान लोग मर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी बुरी स्थिति है । उनको पैसा नहीं मिला, जमीन पर कब्जा नहीं है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इसको गम्भीरता से लिया जाय । हम तो एक लाईन में कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार के अधिनियम को लागू करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : श्री श्याम रजक जी, माननीय मंत्री ने विस्तार से बताया है, आप कह रहे हैं कि किसानों को मुआवजे की राशि नहीं मिली है । सरकार कह रही है कि मुआवजे की राशि सरकार ने उपलब्ध करा दी, किसान नहीं ले रहे थे, वे कोर्ट चले गये थे ।

श्री श्याम रजक : यह पहले की बात है ।

अध्यक्ष : पूरी बात सुन लीजिये । वे दोनों जगह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा हार गये हैं, अब वे पैसा लेकर जमीन देने को राजी हो रहे हैं, यह सरकार ने बताया ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, यह गलतफहमी है ।

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि विस्तृत जानकारी देंगे, तो दे दीजियेगा ।

श्री श्याम रजक : एक मिनट सर । एक लाईन में हम यह चाहते हैं कि क्या उस अधिनियम को जिसे राजस्व प्रधान सचिव ने पत्र दिया सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को, उसको लागू करना चाहते हैं या नहीं ?

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी, उस आलोक में इसको देख लीजियेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या– 215 (श्रीमती अमिता भूषण)</u>

माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्या अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 216 (डॉ0 रामानुज प्रसाद)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित स्थल पर सीमेंट ढलाई रोड का निर्माण पूर्व में कराया गया था जो कि जर्जर है । नाला का प्रावधान नहीं है । श्री राम प्रवेश जी के घर से गौरैया स्थान ब्रह्म स्थान तक नाला निर्माण होने पर जल-जमाव की समस्या का निदान हो सकेगा । उक्त नाले का निर्माण एवं उससे संबंधित क्षतिग्रस्त पथ को जीर्णोद्धार हेतु अनुमानित राशि लगभग 17-18 लाख है । पटना नगर निगम द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । प्राक्कलन तैयार होने के उपरान्त निधि की उपलब्धता के आधार पर नगर निगम पटना द्वारा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, एक तरफ कह रहे हैं कि नाला नहीं है तो नाला बनाने की जिम्मेवारी, कह रहे हैं कि किया जा रहा है, 17-18 लाख रू0 लगेंगे, तो क्या सरकार 17-18 लाख रू0 लगाकर नाला बनवाकर....

अध्यक्ष : डॉ0 रामानुज जी, प्रश्न में यह नहर है कि नाला है ? उड़ाही नहर की बात हो रही है और निर्माण नाला की बात हो रही है ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : जल-जमाव है, जिससे उस कॉलोनी के लोग परेशान हैं...

अध्यक्ष : नहर तो सिंचाई के लिए होती है, नाला होता है ड्रेनेज के लिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : ड्रेनेज का ही मामला है ।

अध्यक्ष : आपने इस प्रश्न में नहर शुरू में लिख दिया है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : नहर के बगल का इलाका है ।

अध्यक्ष : नहर तो सिंचाई के लिये होती है, नहर नाला नहीं होती है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : जल निकासी की बात है, सर । जल जमाव से लोगों का जन-जीवन तबाह है, उसका निदान माननीय मंत्री जी कबतक करा देंगे ? मैं स्पष्ट जानना चाहता हूँ ।

टर्न-4/आजाद/05.03.2018

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : सोनपुर का मामला है क्या ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : पटना का ही मामला है, आप जैसे लोग रहते हैं न पटना में, आपकी सरकार पटना के लोगों को भी सुविधा मुहैय्या नहीं करा पा रही है तो सोनपुर के लोग तो निश्चित तौर पर करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय मंत्री जी, इसको शीघ्र देखवा लीजिए ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : ठीक है सर, देखवा लिया जायेगा । प्राक्कलन बनने को दे दिया गया है और इसको हमलोग चाहते हैं कि इसको बना दिया जायेगा, इसको देखवा कर इसको करा दिया जायेगा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : कब तक, माननीय मंत्री जी, एक समय दे दीजिए न, समय बता दीजिए न ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : जल्दी, शीघ्र ही ।

तारांकित प्रश्न सं0-217 (श्रीमती भागीरथी देवी)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-218 (श्री तारकिशोर प्रसाद)

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : स्वीकारात्मक है । कृषि निदेशालय में संविदा आधारित नियोजित कृषि समन्वयक जिसे कृषि निदेशालय के पत्रांक-35 दिनांक 8.1.2018 द्वारा संविदा नियोजन समाप्त कर दिया गया है । उल्लेखनीय है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग से नियमित नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । नियमित नियुक्ति के पश्चात् रिक्त कृषि समन्वयकों के पद पर पुनः नियमानुसार विभाग द्वारा नियुक्ति पर विचार किया जायेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार पहले से कृषि समन्वयकों से कार्य ले रही थी और चार वर्षों तक उनसे कार्य लिया गया और उक्त तिथि को उसकी सेवा समाप्त कर दी गई । सरकार ने कृषि रोड मैप भी शुरू किया है और 800 रिक्तियां भी हैं । ये जो कृषि समन्वयक हटाये गये हैं, इनकी अब उम्र नहीं बच रही है कि ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से उसमें आवेदन देंगे और ये फिर योग्यता के अनुसार पुनर्नियुक्त होंगे तो आपने पूर्व से जितने भी कृषि समन्वयकों की नियुक्ति की है, उसमें मात्र 300 लोगों को आपने छंटनी की है । मेरा सरकार से आग्रह है और आपके माध्यम से प्रश्न के रूप में भी पूछ रहे हैं कि क्या सरकार इन 300 बेरोजगार युवकों को जिनकी उम्र भी अब सरकार द्वारा जो सेवा के लिए आयोग का गठन होती है और उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसमें भाग लेने के लिए उम्र भी नहीं रह गया है । कृषि रोड मैप को ही ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पुनर्नियुक्ति इन कृषि समन्वयकों को करना चाहती है ?

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : महोदय, नियमानुसार विभाग द्वारा नियुक्ति पर विचार के लिए सरकार ने कहा है, विचार किया जायेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी, आखिर विचार किस स्वरूप में करना चाहते हैं, जो 300 लोग हटाये गये हैं, उनको आप पुनः सेवा में ले ही सकते हैं, वे पहले से कार्य कर रहे थे और सिर्फ ये लोग कृषि में ही नहीं कृषि के अलावा जो अन्य सरकार की महत्वकांक्षी जनकल्याणकारी योजनायें हैं, उन कार्यों में भी इनकी सहभागिता रहती थी

और बहुत मल्टीडाईमेंशन में इनसे कार्य लिया जाता था और मानदेय के आधार पर इनसे कार्य लिया जाता था, जिससे सरकार पर वित्तीय अधिभार भी ज्यादा नहीं था । अगर आप नियमानुसार नियुक्ति करेंगे तो फिर उसमें वित्तीय अधिभार भी सरकार को अधिक पड़ेगा । मेरा सरकार से आग्रह है कि मानवीय दृष्टिकोण से ये जो 300 छंटनीग्रस्त कृषि समन्वयक हैं, उनको निश्चित रूप से आप समाहित करें और मुझे लगता है कि राज्य के साथ-साथ उनका भी जनकल्याण होगा ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, वैकल्पिक व्यवस्था किये वगैर आप तो जा रहे हैं बहाली करने का, आपने कहा कि हम बहाली करेंगे कर्मचारी चयन आयोग से तो जब तक बहाली नहीं हुई और जब तक ये बेरोजगार लोग काम कर रहे थे तो इस बीच में काम सफर कर रहा है, कई काम कृषि समन्वयक से लिये जा रहे थे, जब तक बहाली नहीं होती है तब तक विभाग का, आपका काम सफर कर रहा है, सब मृतप्राय हो चुका है । ऐसी स्थिति में जब तक बहाली नहीं होती है, तब तक तो इसको कम से कम रख सकते थे तो इस दिशा में क्या सरकार विचार कर सकती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण जो कह रहे हैं कि आपने कृषि समन्वयकों में से जो नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया आयोग के माध्यम से अपनायी है, उससे कुछ नियमित नियुक्तियां हुई हैं और शेष जो कृषि समन्वयक काम कर रहे थे अलग-अलग पंचायतों में, प्रखंडों में, उनकी सेवा समाप्त हो गई है, जबकि आपके पास कृषि समन्वयक का पद हर जगह रिक्त है तो उस हालत में अभी उनकी सेवा जिस भी रूप में वे अनुबंध के आधार पर या जिस रूप में कर रहे थे, वो करके सरकार इस पर विचार करना चाहती है या नहीं, सो पूछ रहे हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : पहले ही बताया अध्यक्ष महोदय कि विभाग और सरकार नियमानुसार नियुक्ति पर विचार कर रही है ...

अध्यक्ष : नियुक्ति पर विचार करियेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जो कृषि समन्वयक हैं, उनकी जो नियुक्ति की गई, वह कोई नियमानुसार नहीं था । सरकार के नियम के आलोक में उनकी नियुक्ति की गई थी .....

अध्यक्ष : वह तो बात हो गई ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-219(श्री जितेन्द्र कुमार राय)</u>

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-220(श्री चन्द्रसेन प्रसाद)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-221 (श्री उमेश सिंह कुशवाहा)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न वर्णित योजनाओं का प्राक्कलन नगर पंचायत, महनार के द्वारा स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है । चूँकि नगर पंचायत, महनार की बोर्ड दिनांक 9.6.2017 को समाप्त हो रही थी, इसलिए विभागीय पत्रांक-627 दिनांक 17.5.2017 द्वारा यह निर्देश दिया गया कि नये निकाय बोर्ड से पारित होने के पश्चात् योजनाओं का प्राक्कलन विभाग में उपलब्ध कराया जाय। वर्तमान में नगर पंचायत, महनार का बोर्ड भंग है । बोर्ड के गठन के उपरान्त योजना पारित कराकर निधि की उपलब्धता के आधार पर नगर पंचायत, महनार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, बोर्ड के समाप्त होने की जो बात है, माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि बोर्ड समाप्त है तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसके कारण विकास जो है बाधित नहीं रहना चाहिए, वहां जो है वित्तीय कार्य प्रशासक के माध्यम से किये जा रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि प्रशासन के माध्यम से ही उसका प्राक्कलन बनवा लिया जाय और उसका एक समय सीमा दे दिया जाय कि जल्द से जल्द उस काम को पूरा कर दिया जाय ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : इसपर विचार करके प्रशासक के द्वारा देखा जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न सं0-222(श्री(मो0) नवाज आलम)

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा से ग्रामीण एवं शहरी जलापूर्ति योजना एवं चापाकलों की मरम्मती के लिए निधि आवंटन हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा को भोजपुर जिला अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी जलापूर्ति योजनाओं एवं चापाकलों की मरम्मती हेतु सामान्य अनुरक्षण एवं मरम्मति मद में 11,93,736/-रू0 राशि आवंटित की जा चुकी है ।

श्री (मो0) नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सदन को माननीय मंत्री जी को गुमराह किया गया है । आप जॉच कमिटी बनाकर इसकी जॉच करा लें, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वहां कोई भी मरम्मती कार्य चापाकल या किसी चीज का नहीं हुआ है, वहां हाहाकार मचा हुआ है जलापूर्ति के लिए । इसलिए हम सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि आप कमिटी के माध्यम से जॉच करा लीजिए ।

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि राशि उपलब्ध कराने के लिए, कब तक राशि उपलब्ध करायेंगे तो राशि हमने उपलब्ध करा दी है और यदि आप कहते हैं कि .....

श्री (मो0)नवाज आलम : क्या इस वित्तीय वर्ष में चापाकलों की मरम्मती होगी, अभी तक वहां नहीं हो पायी है और आपने जो सदन में बात रखा है, मुझे लगता है कि आज तक वहां के प्रशासनिक ऑफिसर ने गुमराह किया है । इसलिए पूरे बिहार का यह मामला है, आप सात निश्चय की बात करते हैं, सात निश्चय कहां से लागू होगा, इसलिए मेरा मांग करना है कि कमिटी बनाकर इसकी जॉच करा लिया जाय ।

श्री अशोक कुमार(क्षेत्र सं0-208) : अध्यक्ष महोदय, शहरी जलापूर्ति का जिम्मा नगर विकास विभाग को सरकार ने दे दिया है और नगर विकास विभाग कहीं भी नगरपालिका में टेकनिकल हैंड नहीं है । इसलिए पूरे बिहार में शहरी जलापूर्ति में हाहाकार मचा हुआ है । सरकार इसपर निर्णय लें कि जो पानी का सवाल दिये हैं नगर परिषद् को, उसको वापस लेकर पी0एच0ई0डी0 को दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी.....

अध्यक्ष : अशोक जी, आप इधर देखिए न ।

श्री अशोक कुमार (क्षेत्र सं0-208) : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी को जरा यह कहिए कि ....

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, जलापूर्ति योजना का सवाल माननीय सदस्य उठा रहे हैं और चापाकल से संबंधित प्रश्न है और वह भी ग्रामीण क्षेत्रों के सवाल हैं ....

श्री अशोक कुमार (क्षेत्र सं0-208) : शहरी है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : और ये ग्रामीण क्षेत्रों का सवाल उठा रहे हैं । माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होनी चाहिए ठीक से ।

टर्न-5/अंजनी/दि0 05.03.2018

(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार(क्षेत्र संख्या-208) : ग्रामीण एवं शहरी चापाकल है अध्यक्ष महोदय, संसदीय मंत्री को कहिए कि अगर ये ही नियम तोड़ेंगे तो सदन का क्या होगा ? बैठे-बैठे माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं, उनको कहिए कि सीखें । ये क्या सिखायेंगे, बैठे-बैठे जवाब दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य नवाज आलम जी के प्रश्न के जवाब में आपने कहा कि 11 लाख 93 हजार कुछ रूपया आपने आरा प्रमंडल को उपलब्ध कराया है लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी में यह पैसा नहीं गया है, यही आप कह रहे थे । एक तो इसको आप देखवा लीजिए और माननीय सदस्य को इसकी विधिवत सारी सूचना

उपलब्ध करा दीजियेगा, वे वेरिफाई कर लेंगे । अगर यहां से गया है तो वहां के अधिकारी कैसे उनको बतला रहे हैं कि राशि नहीं मिली और जो पैसा गया है, जिस मकसद के लिए गया है, वह काम हो रहा है कि नहीं, इसको आप देखवा लीजिए ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-223(श्री नरेन्द्र नारायण यादव)

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

3- समाहर्त्ता के प्रतिवेदनानुसार 6 माह के अन्दर वास भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-224 (श्रीमती एज्या यादव)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्या श्रीमती एज्या यादव सदन में अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-225(श्री(डॉ0)सी0एन0गुप्ता)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री(डॉ0) सी0एन0गुप्ता सदन में अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-226(श्री संजय सरावगी)

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

अवर प्रमंडल, बेनीपुर प्रांगण स्थित निरीक्षण भवन काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है लेकिन वह मरम्मत योग्य नहीं है । वर्त्तमान में विभाग में निरीक्षण भवन के नवनिर्माण की कोई योजना नहीं है तथा प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है । यदि किसी प्रकार की कोई योजना विचाराधीन होती है तो इसे प्राथमिकता दी जायेगी और आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, पूरे दरभंगा जिला में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का निरीक्षण भवन एकमात्र बेनीपुर में था और बहुत बड़ा जगह है । माननीय मंत्री जी जो बोल रहे हैं कि वह मरम्मत योग्य नहीं है, अगर मरम्मत योग्य नहीं है तो वहां निरीक्षण भवन बनना चाहिए । माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि योजना नहीं है तो विधान सभा में तो इसलिए प्रश्न लाये हैं कि योजना बनाकर, इतना बड़ा जगह है, बर्बाद पड़ा हुआ है, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है और वहां जन-प्रतिनिधि भी जाते हैं तो वहां पर प्रशासन का या किसी दूसरे विभाग का कोई आई0बी0 नहीं है, इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर योजना नहीं है तो एक निरीक्षण भवन बनाने में कोई 100-50 करोड़ रूपया तो लगेगा नहीं, एक छोटा ही

निरीक्षण भवन क्या माननीय मंत्री जी योजना स्वीकृत करते हुए वहां बनाना चाहते हैं, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा कि जब बनायेंगे तो प्राथमिकता में आपके यहां बना देंगे ।

श्री संजय सरावगी : हुजूर, विधान सभा में प्रश्न आया है, इससे बड़ा प्राथमिकता क्या हो सकता है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यहां एक निरीक्षण भवन की योजना स्वीकृत करना चाहते हैं, जवाब दिलाया जाय ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : महोदय, मैं इसपर विचार करता हूँ ।

तारांकित प्रश्न संख्या-227(श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड में मात्र दिसम्बर 2015 से प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पद रिक्त है । कृषि विभागीय सभी योजनाओं का ससमय संचालन एवं किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी कोटवा को अतिरिक्त प्रभार दिलाकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कल्याणपुर के रिक्त पद का कार्य सम्पादन कराया जा रहा है । अतः उत्तर अस्वीकारात्मक है। चूंकि प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कोटवा को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी कल्याणपुर के रिक्त पद का प्रभार दिलाकर ससमय कृषि विभागीय योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है तथा संचालित योजनाओं का लाभ भी किसानों को दिलाया जा रहा है, अतः उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मैंने प्रश्न किया है प्रखंड कृषि पदाधिकारी का, अतिरिक्त प्रभार का प्रश्न मैंने नहीं किया है । प्रखंड कृषि पदाधिकारी विगत सात वर्षों से उस प्रखंड में पदस्थापित नहीं है, मेरा यह प्रश्न है ।

अध्यक्ष : इन्होंने कहा है कि मार्च, 2015 से पद रिक्त है...

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रभार दे दिया गया है ।

अध्यक्ष : प्रभार तो दे ही दिये हैं लेकिन मार्च, 2015 के बाद प्रभार दिये हैं, उन्होंने कहा है।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि आप इसकी जांच करवा लिजिए और विधान सभा की ....

अध्यक्ष : पदस्थापन कर दीजिए, असली बात आप कह ही नहीं रहे हैं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : पदस्थापना करा दीजिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी, इसको आप देख लिजियेगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : वहां स्थायी रूप से पदाधिकारी दे दीजिए, मंत्रीजी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : जून तक संभावित है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–228(श्री आबिदुर रहमान)

श्री पशुपति कुमार पारस,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1– आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि पशु चिकित्सालय, अररिया से पंचायत चन्द्रदेई, रामपुर कोजहरकट्टी एवं रामपुर–मोहनपुर की दूरी सात किलोमीटर है । नियमानुसार सात किलोामीटर से कम दूरी पर पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जाना संभव नहीं है ।

श्री आबिदुर रहमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब है, लीपा–पोती वाला जवाब है।

अध्यक्ष : लीपा–पोती नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संभव नहीं है ।

श्री आबिदुर रहमान : हर बार यही बात होती है, जवाब हमलोगों को मिलता नहीं है हाउस में ।

अध्यक्ष : यह लीपा–पोती कहां है ? यह तो साफ है ।

श्री आबिदुर रहमान : महोदय, हमेशा यही होता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–229(श्री मदन मोहन तिवारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : महोदय, लौरिया प्रखंड में मिट्टी जांच प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया है । पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत जिलास्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला कार्यरत है, जिसमें जिले की सभी प्रखंडों से मिट्टी प्राप्त कर उसकी जांच कर कृषकों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया गया है । लौरिया प्रखंड के किसानों के मिट्टी नमूना की जांच भी जिलास्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला में की जाती है । लौरिया प्रखंड में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के निमित्त वर्ष 2016–17 में प्रखंड लौरिया में 1703 लक्ष्य था, संकलन 1703 हुआ और विश्लेषण 1703 में कार्ड वितरण 6,769, वर्ष 2017–18 में लौरिया में 1562 लक्ष्य था, 1387 संकलन हुआ, 1361 विश्लेषण, 1847 कार्ड वितरण हुआ । वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री मदन मोहन तिवारी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 8 लाख रूपये की लागत से यह मिट्टी जांच प्रयोगशाला बना और अभी वह गोदाम के रूप में यूज हो रहा है, प्रयोगशाला नहीं है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : महोदय, इसको देखवा लेते हैं ।

श्री चन्द्रिका राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इतना जांच कराया गया है, अब कह रहे हैं कि देखवा लेंगे । क्या बात है ?

अध्यक्ष : उनकी बातों को देखवा लेंगे ।

टर्न-6/शंभु/05.03.18

तारांकित प्रश्न सं0-231(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड के मझियावां पंचायत में चार अदद सौर ऊर्जा ड्वेल पंप चालित जलापूर्ति योजना का निर्माण घिरसिन्डी, पासवान टोला, सुरार दुर्गा क्लब के पास मझियावां अनुसूचित जाति टोला एवं गोगरा बांध में कराया गया है जो कार्यरत है। मोटर पंप में तकनीकी त्रुटि उत्पन्न हो जाने के कारण सिर्फ मझियावां के अनुसूचित जाति टोला में जलापूर्ति बाधित है । उक्त त्रुटि को दूर करा दिया गया है । वर्तमान में योजना चालू है ।

2- स्वीकारात्मक है । मझियावां पंचायत पठारी क्षेत्र है । मझियावां पंचायत में कुल 91 चापाकल निर्मित है और चालू है । गर्मी के दिनों में चापाकल मरम्मति दल का गठन कर बंद चापाकलों के मरम्मति का कार्य कराया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर टैंकर द्वारा भी जलापूर्ति किया जाता है ।

3- खंड-3 उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट आपको दिया गया है । मैं क्षेत्र के एक-एक गांव और टोला को घूम गया हूँ और इन चारों जगह में जहां जलापूर्ति योजना है । इनमें कहीं-कहीं तो 800-900 फीट में पानी चालू होता है । इनका डेढ़ सौ फीट मिनी जलापूर्ति योजना का बोरिंग हुआ है तो कैसे दे रहे हैं, इनको गलत रिपोर्ट है । इसकी जॉच करवाकर जलापूर्ति सुनिश्चित करवाया जाय, कराना चाहते हैं ?

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : करवा देते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यह मामला मझियावां पंचायत के मिनी जलापूर्ति योजना का है । आपका कहना है चालू है और उनका कहना है गहराई कम होने के कारण बंद है । इसका तो किसी वरीय अधिकारी से जॉच करा लीजिए । माननीय सदस्य से भी संपर्क कर लीजिए ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : जी, वरीय अधिकारी से जॉच करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-232(श्री महबूब आलम)

अध्यक्ष : आपको स्थानान्तरित होकर गया है राजस्व विभाग से । पटना का मामला है । है अभी ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : उक्त स्थल पर पटना नगर निगम की जमीन नहीं है, बल्कि रैय्यती बसावट है । जिससे गली बंद हो गयी है, लेकिन यह हमारी जमीन नहीं है इसलिए इसपर हम कोई ।

श्री महबूब आलम : महोदय, वर्षों से वह गली थी और हजारों लोगों का वहां से आना जाना है । गली बंद हो गयी है तो गली खुलवाने के लिए सरकार कोई पहल करके उस गली को अधिगृहित करके खोलवाना चाहती है या नहीं ?

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि रैय्यती जमीन है, हम नहीं बना सकते हैं ।

श्री महबूब आलम : तो उसका अधिग्रहण करना होगा न महोदय । परंपरागत रूप से वह गली थी । संपर्क पथ का सवाल है ।

अध्यक्ष : देखवा लीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-233(श्रीमती प्रेमा चौधरी-अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-234(श्री मनोहर प्रसाद सिंह-अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-235(श्री रामदेव राय-अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-236(श्री अशोक कुमार सिंह-अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-237(श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सीवान जिलान्तर्गत अंचल गोरियाकोठी के मौजा कुलहासा में वर्ष 1975-76 में 20 दलित परिवारों को गैर मजरूआ माली भूमि का बंदोबस्ती पर्चा दिया गया था । 20 दलित परिवारों को बंदोबस्त गैर मजरूआ माली भूमि के संबंध में सबजज वी सीवान के न्यायालय में टी0एस0नं0-201/1976 सीताराम सिंह अन्य बनाम बिहार सरकार दायर किया गया । इसमें सीताराम सिंह के पक्ष में दिनांक 30.09.1996 को न्याय निर्णय हुआ। दाखिल अपील संख्या 114/1996 अदर पैरवी में खारिज हो गया है । इसे क्योर कराने हेतु राम लोचन मांझी द्वारा ए0डी0जे0 4 सीवान के न्यायालय ने विविध वाद सं0-1/17 दायर किया गया है । जो विचाराधीन है । भू-हदबंदी अधिनियम के तहत अर्जित भूमि की वर्ष 1975-76 में 31 दलित परिवारों को बंदोबस्ती पर्चा दिया गया था । परन्तु समाहर्त्ता सीवान के न्यायालय में वाद सं0-301, 1984-85 एवं 69-1986/87 बिहार सरकार बनाम ध्रुव सिंह में दिनांक 10.08.1990 को पारित आदेश से उक्त भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है । मौजा सिसई के सात महादलित परिवारों को बंदोबस्ती पर्चा दिया गया था । इसके विरूद्ध स्वतत्ववाद सं0-210/89 न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : 1975 में भारत के माननीय कृषि मंत्री बाबू जगजीवन राम जी ने बंदोबस्ती पर्चा दिया, आज 2018 है । 92 तक जमीन उन लोगों के दखल कब्जा में था, रसीद कटा है। वहां सरकार द्वारा पंपसेट हलाई गयी और वहां तत्कालीन समाहर्त्ता जो थे दलित विरोधी आचरण करके पर्चा को रद्द कर दिया । जो आज जिला योजना में हैं । आज खादी निगम के सेक्रेटरी हैं । जातीय आधार पर दलितों के साथ अन्याय किया गया।

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या न्यायालय ने रोक लगाया है कि जमीन दखल नहीं कराया जाय । इस तरह की एक घटना नहीं है। 111 दलितों को 1975 में बंदोबस्ती पर्चा दिया गया है । क्या मैं मानूं आपके माध्यम से कि यह सरकार दलित विरोधी है। अगर दलित विरोधी नहीं है तो क्यों नहीं.....

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के उत्तर को मैंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है । जहां तक इनके द्वारा यह कहा जाना कि सरकार दलित विरोधी है, ऐसा नहीं है । यह सरकार न्याय के साथ सबका काम करती है- दलित रहे, सवर्ण रहे, पिछड़ा रहे, अत्यंत पिछड़ा रहे सबकी चिंता करती है यह सरकार । कृपया सुनिए भी उत्तर जब देता हूँ माननीय सदस्य तो गंभीरतापूर्वक सुनिए ।

(व्यवधान)

श्री अशोक राम : महोदय, 1975-76, 1989 भूदान कमिटी के द्वारा पूरे बिहार में दलितों को जमीन दी गयी, एक भी जिला माननीय मंत्री जी बता दें कि जितने दलितों को जमीन भूदान कमिटी के द्वारा परमाना मिला । पूरे बिहार एक उदाहरण माननीय मंत्री जी बता दें अध्यक्ष महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0-238(श्री डा0राजेश कुमार-अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-239(श्री श्याम रजक)

अध्यक्ष : आपका क्वेशचन पुट हुआ, यह अगली बार ले लिया जायेगा ।

माननीय सदस्यगण, अब आज के लिए निर्धारित वर्ग-1 के अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(इस अवसर पर मा0सदस्य श्री सत्यदेव प्र0सिंह सदन के वेल में आ गये।)

अध्यक्ष : ठीक है, हो गया । आपको आपकी समझदारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । अब आज,दिनांक 5 मार्च,2018 के लिये निर्धारित प्रश्न लिये जायेंगे । अल्पसूचित प्रश्न ।

टर्न-7/अशोक/05.03.18

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 3(श्री श्याम रजक)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, खंड-1: आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक मात्र 8,639 मामले लम्बित हैं ।

खंड-2 : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2017 में कुल 9,215 मामले को निष्पादित किया गया है ।

खंड-3 : स्वीकारात्मक है ।

खंड-4 : अस्वीकारात्मक है । सदस्य सह कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा दर्ज मामलों का निष्पादन किया जा रहा है, वर्ष 2017 में कुल 9,215 मामले को निबटाया गया है ।

खंड-5 : विहित प्रक्रिया से अध्यक्ष एवं सदस्य के रिक्त पद को भरने हेतु कार्रवाई सरकार के विचाराधीन है ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो दिया है जवाब लेकिन इसके कारण काफी मामले लम्बित हैं,अध्यक्ष महोदय, 2017 में ही पुलिस के मामले, पुलिस प्रशासन के मामले, 2,041 मामले अभी भी लम्बित हैं और दस हजार से ज्यादा मामले लम्बित हैं, इन्होंने स्वीकार भी किया है तो क्या जल्द से जल्द पूर्णकालीन अध्यक्ष एवं सदस्य की बहाली करना चाहेंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैंने कहा ही यह प्रक्रियाधीन है और जल्द ही कर दिया जायेगा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-4(श्री ललित कुमार यादव)

अध्यक्ष : डा0 रामानुज जी अधिकृत हैं ।

श्री सुशील कुमार मांदी, उप मुख्यमंत्री : खंड-1 : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिलों के बैंक खातों में संचित कुल राशि 12,373 करोड़ रूपये के विरूद्ध जिन राशियों का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक व्यय नहीं किया जा सकता है, उनमे से दिनांक 27 फरवरी, 2018 तक 3,703.71 करोड़ रूपये राज्य के समेकित निधि में जमा कराये जा चुके हैं ।

खंड-2 : उत्तर अस्वीकारात्मक हैं ।

खंड-3 : उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा, सरकार ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, यह सदन को मिसलिड करने का मामला बनता है । मैं स्पष्ट कहता हूॅ कि जो समाचार आये हैं उसमें सरकार के हिदायत देने के बाद निश्चित अवधि बताने के बाद भी वह जमा नहीं हो सकता हैं, सरकार जो आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है और जो आंकड़ा मेरे पास है दोनों में कोई कोई मेल नहीं खाता है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूॅ कि ये जो अनियमितता की बात की जा रही है और जो दोषी पदाधिकारी हैं, क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? ओर ये जो नहीं जमा हुआ तो इस अनियमितता के लिए, इस घोटाला के लिए जांच कराने का विचार सरकार रखती हैं ? रखती है तो कब तक ?

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह कोई अनियमितता नहीं है । यह बैंक खातों मे पैसा रखा हुआ है । सरकार ने यह निदेश दिया है कि जो पैसा 31 मार्च तक खर्च होने की जिसकी सम्भावना नहीं है, उस पैसे को आप वापस समेकित निधि मे जमा कर दें । 31 मार्च तक का समय दिया गया है और जिस विभाग का पैसा जमा नहीं होगा, ट्रेजरी उसमें ताला बंद कर देगी ताकि आगे उसमें कोई खर्च नहीं कर सकें । यहें कोई अनियमितता नहीं है, जैसे भू-अर्जन है ओर भू-अर्जन की कार्रवाई करने लिए सरकार को पहले पैसा जमा करना पड़ता है और दो साल तक भू-अर्जन की कार्रवाई यूं पड़ी रही, उसमें से पैसा निकल नहीं पाया, या

उसको जो लाभार्थी थे उनको पैसा नहीं मिल पाया, यह पैसा जमा हैं, छात्रवृत्ति का पैसा है, पैसा खर्च होने में समय लगता हैं, एम.एल.ए. लैड फंड है, ये पैसा जो हैं यह डिपोजिट फंड के रूप में यानी खर्च नहीं भी हुआ तो यह लैप्स नहीं करता है, यह कोइ अनियमितता नहीं हैं लेकिन यह सरकार ने यह निर्देश दिया है.....

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय ...

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : सुन तो लीजिये मेरी बात ।

अध्यक्ष : बात पूरा कर लेने दीजिये न !

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : आपके पास जो आंकड़ा है, वह पुराना आंकड़ा है, मैं अधिकृत रूप से आंकड़ा बतला रहा हूँ कि कुल मिलाकर अभी तक जो जमा हुआ है वह 27 फरवरी तक का जो आंकड़ा है 3,703 करोड़ रूपया और यह कहा गया कि जो खर्च 31 मार्च तक नहीं हो सकता है, आप इसको देख लीजिये कि कौन कौन ऐसा खर्च है जो 31 मार्च तक नहीं हो पायेगा उस पैसे को समेकित निधि में वापस जमा करना है । लगातार मुख्य सचिव के स्तर पर भी बैठक हो रही है, उस पैसे को हम जमा करवा रहे हैं और अगर उसके बावजूद कोई विभाग अगर पैसा जमा नहीं करेगा वैसे स्थित में संव्यवहार पर रोक लगा दिया जायेगा । यह किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार पहले भी जो बजट एलोकेशन है उसको पार करती रही है और इसी का उदाहरण है कि एन.जी.ओ. के खाते में पैसा देकर के और लूट कराया गया इस बिहार में, माननीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि यह खुद मंत्री जी ने स्वीकारा है, यह छात्रवृत्ति का पैसा है, कृषि अनुदान का पैसा है यह जो पैसा है जिस मद का, यह कितने महत्वपूर्ण मद है, हमारे लड़के छात्रवृत्ति के लिए कितने पढ़ाई छोड़कर के गरीब के बच्चे ड्रॉप आऊट हो जा रहे हैं, कितने हमारे बच्चे जो दूसरे प्रदेशों में पढ़ रहे हैं, दलित के बच्चे, अति पिछड़े के बच्चे, पिछड़े के बच्चे, वे राशि के अभाव में छोड़ रहे हैं । मैं पूरक यह पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री से कि ये छात्रवृत्ति की राशि, कृषि अनुदान की राशि जैसे महत्वपूर्ण राशि को अगर जो नहीं बांटा, जो पदाधिकारी नहीं बांट सका, वे क्यों नहीं बांट सके, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी ?

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : बांटे नहीं तो एक महीना अभी बाकी है । अभी तो जैसे छात्रवृत्ति का पैसा है, हमलोगों ने आर.टीजी.एस. के माध्यम से सभी बच्चों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं । तो जो पैसा 31 मार्च तक खर्च नहीं हो पायेगा उसको वापस समेकित निधि में जमा कर दिया जाना है, इसमें कहां कोई अनियमितता की बात है ? और जैसा कि मैंने कहा कि लैंड रिफाम्र्स का मामला

है, भूमि अधिग्रहण से जो जुड़ा है, वह पैसा जो खर्च नहीं हो पायेगा उसको वापस जमा करना है, इसमें कोई न तो अनियमितता हैं न इसके अंदर कोई घोटाला है न कोई और तरह की गड़बड़ी है ।

डा रामानुज प्रसाद : मैंने तो घोटाला एवं गड़बडी़ की बात तो मैं स्पष्ट बतला रहा हूँ । महोदय.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डा. रामानुज जी अब अशोक जी को पूछने दीजिये ।

श्री अशोक कुमार(नि.क्षे. संख्या-208):माननीय मंत्री ने यह बात कही है कि पैसा विभाग को लौटा दिया जायेगा, पैसा सरकार देती है जिस योजना में, खर्च करने के लिए तो हमारे सदस्य ने सवाल किया कि जो पदाधिकारी खर्च नहीं करेगा तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, इसका जवाब ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : वह तो करते ही हैं अध्यक्ष महोदय । जो पदाधिकारी अगर खर्च नहीं कर पाता है, सरकार लगातार कार्रवाई करती है, आप भी सरकार में थे तो आप भी कार्रवाई करते थे और हम भी कार्रवाई करते हैं ।

अध्यक्ष : चलिये हो गया ।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अभी तो एक महीना बाकी है ।

श्री अशोक कुमार(नि.क्षे. संख्या-208) : जिस विभागों का पैसा बैंक में पड़ा रह गया उन विभागों पर कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अशोक जी, आपने प्रश्न पूछा, रामानुज जी ने भी पूछा कि अलग अलग विभागों का पैसा जमा है, माननीय वित्त मंत्री ने बतलाया कि जो नहीं खर्च होगा समेकित निधि में जमा हो जायेगा । अब मामला यह तो अलग अलग विभागों से जुड़ा हुआ है, जैसे छात्रवृत्ति की राशि है, कृषि अनुदान की राशि है, अलग-अलग विभागों से जुड़ी हुई राशि है तो वो अगर अलग-अलग विभाग के अधिकारी कोई कोताही करते हैं तो उन्होंने सरकार की तरफ से कहा है कि हमलोग अलग-अलग विभाग में समीक्षा करा कर जिनकी जिम्मेवारी होगी कार्रवाई होगी। अब आगे क्या चाहते हैं ? अब हो गई बात । अल्पसूचित प्रश्न संख्या-5 श्रीमती अरूणा देवी ।

श्री भाई वीरेन्द्र :अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : आपका चांस तो खत्म है अब ।

श्री भाई वीरेन्द्र :माननीय उप मुख्यमंत्री यहां उपस्थित हैं, वित्त मंत्री भी हैं, इन्होंने बजट भी पेश कर दिया, और जो परम्परा रही है.....

अध्यक्ष : परम्परा है कि उस पर विमर्श भी होगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र :नहीं नहीं, परम्परा भी रही है और उस परम्परा को माननीय उस समय विरोधी दल के नेता थे, उन्होंने गिफ्ट विधायकों का बंद करा दिया अब तो शुरू करावें, अब

तो आप उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री हैं, अब तो आप शुरू करायें माननीय विधायकों का गिफ्ट ।

अध्यक्ष : भाई, ऐसे पूरक पर सदस्यों की ताली कुछ कह रही है ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-5(श्रीमती अरूणा देवी)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री: उत्तर अस्वीकारात्मक है । राज्य में चीनी क्षेत्र के आठ तथा सर्वजनिक क्षेत्र के दो चीनी मिलें कुल दस चीनी मिलें कार्यरत है । इसके अतिरिक्त बिहार राज्य चीनी निगम अन्तर्गत 15 चीनी मिलें 1990 के दशक से बंद थी । राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों एवं मजदूरों के हित में चीनी निगम की इन बंद इंकाइयों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी सार्वजनिक सहकारिता क्षेत्र के निवेशकों को लम्बी अवधि के लीज पर हस्तनान्तरित करते हुये गन्ना आधारित उद्योग या अन्य उद्योग के रूप में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया । इस हेतु सम्पन्न चार ... क्रमश:

टर्न-8/ज्योति/05-03-2018

क्रमश:

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : इस हेतु संपन्न 4 निविदा प्रक्रियान्तर्गत लौरिया एवं सुगौली में नयी चीनी मिल स्थापित होकर कार्यरत हुआ है तथा मोतीपुर एवं रैयाम में चीनी मिल लगाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है । इसके साथ ही बियथा में ड्राई पोर्ट का निर्माण हुआ है एवं सकरी एवं समस्तीपुर में अन्य उद्योगों के स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है । उसके पश्चात् निगम की शेष बची आठ इकाईयों यथा लौहट, हथुआ (डिस्टलरी सहित), बनमनखी, वारसलीगंज, गोरौल, गुरारु, न्यू सावन्त तथा सिवान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से पंचम निविदा आमंत्रित की गयी । परन्तु उक्त निविदा प्रक्रिया में भी इन इकाईयों को चीनी मिल के रुप में पुनर्जीवित करने या प्रायरिटी सेक्टर के उद्योग के स्थापना हेतु कोई निवेशक निविदाकर्ता उपलब्ध नहीं हो पाए हैं । वर्तमान में इन इकाईयों की भूमि पर सरकार के प्रायरिटी सेक्टर के उद्योग के बियाडा के माध्यम से लगाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्रीमती अरुणा देवी : अध्यक्ष महोदय, वहाँ 1990 से चीनी मिल बंद पड़ी हुई है । मैं, मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि 1990 से सूगर मिल बंद हो गयी है । एक नंबर चीनी वहाँ से सप्लाई होती थी, दूसरी जगह तो मंत्री महोदय का क्या इरादा है वहाँ चीनी मिल चलवायेंगे या दूसरी चीज करवायेंगे ?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बंद चीनी मिल को चालू करने के लिए सरकार हमेशा तत्पर रही है । पाँच बार निवेशकों को निमंत्रण देकर निविदा

आमंत्रित कर चुकी है फिर भी जो है निवेशक के द्वारा कोई उसमें अभिरुचि नहीं दिखायी गयी । सरकार तो चाहती है कि चीनी मिलें जो बंद पड़ी हुई है, उसको चालू करे । अगर इन लोगों के पास कोई निवेशक है, वह आये ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्रीमती अरुणा देवी : अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि निवेशक वहॉ नहीं जाना चाहते हैं, कारण तो बतला दें, क्या कारण से वहॉ निवेशक नहीं जाना चाहते हैं , क्या कारण से चीनी मिल नहीं खोलना होता है ? कारण तो बताईये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है । मैं आपके माध्यम से सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि गन्ना कैश क्रौप है, परन्तु इसके बावजूद चीनी मिलों के बंद रहने के कारण किसान गन्ने की खेती बंद करते जा रहे हैं तो क्या सरकार यह बतायेगी कि गन्ना की खेती कितने हेक्टर में होती थी, गन्ना का उत्पादन कितना होता था और चालू मिलों की क्रशिंग कैपेसिटी अभी क्या है ?

अध्यक्ष : अभी तो मिल खोलने की बात है ।

श्री मो0 नेमतुल्ला : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला का सासामुसा मिल जो एक घटना हो गयी जिससे बंद है और उस मिल को सरकार अनुदान देकर चलाना चाहती है ? उसमें जो मिल मालिक है उसका करीब 25 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और अगर 25 करोड़ रुपया सरकार अनुदान देती हे तो एक बंद चीनी मिल उसमें किसान काफी परेशान हैं, गन्ना अभी जो है सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, दूसरी जगह गन्ना को ले जाकर किसान दे रहा है इसलिए किसान तबाह है, बर्बाद है इसलिए सरकार उसपर पहल करना चाहती है , आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जवाब चाहते हैं ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से अनुदान देने की कोई नियम प्रक्रिया नहीं है । अब रहा सवाल इन्होंने जो कहा कि किसान परेशान है । सबसे पहले जब वहॉ घटना घट गयी तो सरकार ने सबसे पहले गन्ना लगाने वाले किसानों के गन्ना ससमय उठाव कैसे हो, उसको जो है वहॉ पर गोपालगंज में सूगर मिल को, हरसिद्धी सूगर मिल को किसानों को, जिन सेन्टरों उन सासामुसा मिल के सेन्टर से जो गन्ना उठाने की बात है, ये दोनों फैक्ट्रियों को आवंटित कर दिया गया और गन्ना का ससमय उठाव भी रहा है और उसका भुगतान भी हो रहा है ।

श्री मो0 नेमतुल्ला : महोदय, पता चला है कि मंत्री जी दिन दिनों तक वहॉ रहे हैं लेकिन वह घटनास्थल पर उसकी देखरेख तक नहीं किए और कहते हैं कि गन्ना का उठाव हो रहा है ।

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या- 6 श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री: महोदय, स्थल पर जाने का मंत्री का काम है कि किसानों के गन्ना को ससमय स्थल पर पहुंचाने का और उसको फैक्ट्री में पहुंचाने का, वह जो है संबंधित पदाधिकारी के जाने का है ।

श्री भाई बिरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है और ये माननीय मंत्री जी जैसे तैसे बयान देते हैं । ये इनका मिल मालिकों से देन लेन नहीं होता है, तो उसका बंद करवा देते हैं । ये कुछ मामला दूसरा है ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : आपने कितना चालू करवाया था ।

श्री अमित कुमार : जो चालू मिल है और करीब हमारे जिला में रिगा सूगर पैक्ट्री है जिसमें करीब 40 लाख टन अभी तक क्रश हो चुका है और उसका भुगतान एक रुपया भी मिल मालिक ने किया उसके लिए मंत्री जी क्या सोच रहे हैं । सवा लाख करोड़ का ...

अध्यक्ष : इसको देखवा लीजिये ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-6 (श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी)- अनुपस्थित

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब आज के लिए निर्धारित वर्ग-1 के तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 329 (श्री समीर कुमार महासेठ)

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है । पूरक पूछिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना है कि क्या वे बतायेंगे कि राज्य में कुल 01-01-1981 से 31-12-2005 तक कुल कितने पेंशनर हैं और अभी तक निर्धारित टेबुल के अनुसार कितने पेंशनरों का पुनरीक्षण कोषागार अथवा बैंक द्वारा किया गया तथा कितने का भुगतान पुनरीक्षित पेंशन में हो गया है ?

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने पूरक प्रश्न पूछा है वह पूरी जानकारी लेने के बाद ही बताया जा सकता है चूंकि मूल प्रश्न में संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं था लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि जो प्राधिकार है, वो कोषागार पदाधिकारी भी है, और बैंक भी हैं । जो लोग बैंकों से पेंशन लेते हैं, उनका प्राधिकार बैंक है और जो कोषागार से लेते हैं उनका कोषागार पदाधिकारी हैं लेकिन अधिकांश लोग बैंकों से ही पेंशन प्राप्त करते हैं और शिकायत मिली है कि बहुत जगह पेंशन के लिए बैंक अनेक्सर-डी में फौर्म भरकर नहीं दे पा रहे हैं । पिछले दिनों उनकी बैठकें की गयी और उनको ट्रेनिंग भी दिया गया है और अगले सात दिनों के बाद फिर से एक बैठक की जा रही है कि बैकों को क्या दिक्कत आ रही है, उस अनेक्सर-डी के फौर्म को भरकर देने में । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगले दो महीने के भीतर जितना भी पेन्डिंग मामला है आपने मेरे संज्ञान में भी लाया है हम बैंकों की बैठक करके उनको और ट्रेनिंग करके जो भी बचा हुआ मामला है हम दो महीने के भीतर करवा देंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, ..

अध्यक्ष : अब तो दो महीने में कर देंगे अब क्या चाहिए ?

तारांकित प्रश्न संख 330 (श्री फैसल रहमान)- अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या 331 (श्री शम्भु नाथ यादव)- अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या 332 (श्री अचमित ऋषिदेव)- अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या 333 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)-अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या -334 (श्रीमती एज्या यादव)

अध्यक्ष : इसके पहले प्रश्न में नहीं थीं !

श्रीमती एज्या यादव : अनुपस्थित थी ।

अध्यक्ष : अच्छा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसकी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2014 की कंडिका 6 (3)(4) में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है ।

श्रीमती एज्या यादव : ठीक है ।

टर्न-9/05.3.2018/बिपिन

तारांकित प्रश्न संख्या-335 (श्री अशोक कुमार सिंह)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित ।)

तारांकित प्रश्न संख्या-336 (श्री आबिदुर रहमान)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित ।)

तारांकित प्रश्न संख्या-337 (श्री फैसल रहमान)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित ।)

तारांकित प्रश्न संख्या-338 (श्री नन्द कुमार राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अवैध स्टैंड के संचालन की सूचना की जांच को सही पाए जाने पर तत्काल इसे बंद कराते हुए स्टैंड संचालकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर इनके विरूद्ध विधि-सम्मत् कार्रवाई की जा रही है । इस संबंध में तीन कांड क्रमशः मोतीपुर थाना कांड संख्या-123/18 दिनांक 26.2.2018 धारा 385/34 भा.द.वि. अभियुक्त 1. पंकज राय 2. संजय राय 3. जय प्रकाश राय 4. मनोज राय 5. धनंजय पंडित 6. विजय सिंह के विरूद्ध दर्ज किया गया है तथा इनकी गिरफ्तारी हेतु

छापामारी की जा रही है । मोतीपुर कांड संख्या 124/18 दिनांक 26.2.2018 धारा 385/34 भा.द.वि. अभियुक्त विक्रम राय, वलवंत राय, जसवंत राय, बंगलर सिंह, उमेश बैठा के विरूद्ध दर्ज किया गया है । इनकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है । मोतीपुर थाना कांड संख्या 125/18 दिनांक 26.2.2018 धारा 385/34 भा.द.वि. अभियुक्त राकेश राय के विरूद्ध दर्ज किया गया है तथा इनकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है ।

श्री नन्द कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने प्रश्न उठाया था निसौलिया से बहुराज रोड का लेकिन उसमें पुलिस के दुर्भावना या चाहे जैसे भी हो, और लोगों पर केस किया गया है तो सिर्फ केस करने से जवाबदेही खतम हो जाएगी कि वह कब तक बंद हो जाएगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय मैंने कहा कि इल्लीगल पाए जाने पर 26/2 को मुकदमें दर्ज किए गए हैं। जिन अभियुक्तों का नाम मैंने पढ़ा, उनपर कार्रवाई की जा रही है लेकिन 26/2 को ही मामला दर्ज का है और आज 05 मार्च है । अविलम्ब निदेश दिया गया है कि हर हालत में उसकी गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो कोर्ट से अनुमति लेकर जो आगे की कार्रवाई है क्रिमिनल लॉ के अंदर, वह अपेक्षित की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-339 (श्री ललित कुमार यादव)</u>

श्री रामानुज प्रसाद : मैं पूछूंगा महोदय । मुझे अधिकृत किया गया है ।

अध्यक्ष : पूछिये । अधिकृत हैं आप । पूछिये ।

श्री रामानुज प्रसाद : पूछता हूं महोदय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय, 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में बिहार पुलिस सक्षम है । पुलिस की सक्रियता से कई महत्वपूर्ण कांडों का उद्‌भेदन किया गया है तथा उन कांडों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि सरकार में कानून का राज कायम करने एवं विधि- व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कृतसंकल्प है ।

श्री रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ...

अध्यक्ष : रामानुज जी, यह प्रश्न जो है, एक तो इस प्रश्न को सही ढंग से स्क्रूटिनी नहीं की गई, यह तो विशेष वाद-विवाद का विषय हो सकता है । इसका एक प्रश्न में क्या उत्तर होगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः लेकिन महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा । महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्रीजी ने विस्तृत रूप से कहा था कि देश

की क्या स्थिति है, हमारे राज्य की क्या स्थिति है और क्या इसपर ऐक्शन हुआ है और अभी तक क्या उसके परिणाम आए ।

तारांकित प्रश्न संख्या-340 (श्री राजेन्द्र कुमार)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित ।)

तारांकित प्रश्न संख्या-341 (डॉ0 राजेश कुमार)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित ।)

तारांकित प्रश्न संख्या-342 (श्री प्रभुनाथ प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घराबंदी हेतु जिला स्तर पर प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । घेराबंदी न होने से यदाकदा पशुओं के प्रवेश करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराए जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से संबंधित मार्गदर्शिका, 2014 की कंडिका-6(34) में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-343 (मो0 नवाज आलम)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री: महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । भोजपुर जिला मुख्यालय में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय निर्माण हेतु समाहर्ता, भोजपुर द्वारा पत्रांक 649 दिनांक 5.4.2016 के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराई गई । उक्त भूमि पर इस विभाग के पत्रांक 288 दिनांक 12.4.2016 द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई परंतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अनुसार इस भूमि पर कार्यालय भवन का निर्माण तकनीकी कारणों से संभव नहीं है । फलस्वरूप वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस विभाग द्वारा जिलाधिकारी, भोजपुर को पत्रांक 4503 दिनांक 01.3.2018 से निदेशित किया गया है।

श्री मो0नवाज आलम: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि यह कार्यालय काफी दिनों से, वहां तमाम कार्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय का या जो भी है उसका काम लंबित रहता है इसलिए क्या इस वित्तीय वर्ष में इसे पूरा करने पर विचार रखते हैं?

अध्यक्षः उन्होंने तो कहा है वैकल्पिक भूमि खोज रहे हैं, उसमें आप भी मदद कर दीजिएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-344 (डॉ0 शमीम अहमद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत् कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण ने इस जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों से वर्त्तमान में संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक सूची तैयार करने का निदेश दिया है । प्राथमिकता सूची में शामिल होने पर घेराबंदी का कार्य कराया जाएगा । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराए जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 में भी इसका प्रावधान किया गया है ।

डा0शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल ही सेमरा पंचायत में बेला छपरा पर कब्रिस्तान पर विवाद हुआ । बहुत मेहनत के बाद वहां विवाद खतम हुआ । सी.ओ. द्वारा उसका चयनित करके पिलर दिया गया लेकिन उसको सूची में नहीं लिया गया तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि प्राथमिकता सूची में कैसे लिया जाए कि विवाद खतम हो और हमलोगों को निधि कोष में जो पैसा दिया गया है कब्रिस्तान के लिए तो उसमें भी अनुशंसा करने के बाद भी ये प्राथमिकता सूची में रहने के बाद ही उसको लिया जा रहा है । जो प्राथमिकता सूची में नहीं है उसको घेराबंदी के लिए नहीं दिया जा रहा है तो क्या इसको प्राथमिकता सूची से, जो निजी कोष का पैसा है, इसको प्राथमिकता सूची से इसको हटाया जाए ताकि हमलोग भी निजी कोष से कब्रिस्तान की घेराबंदी करा सकें ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय, माननीय सदस्य जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं जिला पदाधिकारी को निदेश दिया जाएगा कि अविलंब उसको दिखवा लें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि प्राथमिकता सूची पर ही विधायक फंड से किया जाता है । ऐसी बात नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी जो जिज्ञासा या शंका थी कि माननीय विधायक द्वारा अनुशंसित योजनाओं को भी अगर वह प्राथमिकता सूची में है तभी लिया जाता है, वही आपकी शंका का समाधान माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ऐसा नहीं है ।

डा.शमीम अहमदः वैसा ही है सर । अनुशंसा करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा । महोदय, पहले विवाद होते थे जिसके चलते दंगा-फसाद भी हुआ करता था । इसको रोकने के लिए एक योजना बनाई गई । ऐसा उसमें कंसेप्ट नहीं था कि हर कब्रिस्तान की घेराबंदी की जाए लेकिन .... क्रमशः

टर्न : 10/कृष्ण/05.03.2018

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री (क्रमशः) लेकिन सेन्सिविटीनेस तो देखनाा ही पड़ेगा कि कलक्टर और एस0 पी0 देखे कि वहां कोई विवाद तो नहीं है । आजकल एक बात हो गयी है कि हर कब्रिस्तान की घेराबंदी की मांग करने लगे हैं । निश्चित तौर से विधायक फंड भी उसमें शामिल किया गया है । अब देख जायेगा कि उसमें कोई नियम-कानून का अवरोध अगर है तो सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री इलियास हुसैन : अध्यक्ष महोदय, एक अरसा बीत जाने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री के कलम से यह आदेश जारी हुआ कब्रिस्तान और मंदिर की चहारदिवारी, बड़ी उल्लास का माहौल बन गया । लेकिन अनुशंसा के उपरांत भी कलक्टर के पेन्डोरा बॉक्स में यह पड़ जाता है । कहां प्राथमिकता है ? एम0एल0ए0 साहब, मुख्यमंत्री के आर्शिवाद से आदेश देते हैं और हल्ला कर देते हैं कि हो गया और वह होता नहीं है । इस ऑबस्टकल को सरकार को चाहिए कि नीतिगत स्तर पर समाधान करे ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि सबसे पहले जब कब्रिस्तान की घेराबंदी की नई योजना शुरू की गयी थी, उस समय पूरे बिहार में एक सर्वेक्षण कराया गया था कि किन-किन कब्रिस्तानों की घेराबंदी होनी चाहिए । 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान ऐसे चिन्हित हुये, 8000 से कुछ ज्यादा संख्या है, उसमें घेराबंदी करने के लिये प्राथमिकता तय करने की जिम्मेवारी संयुक्त रूप से डी0एम0 और एस0पी0 को जिलों में दी गयी और उनलोगों के द्वारा जो सूची तैयार की जाती है, उसकी घेराबंदी हो रही है । 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने की यह योजना है और उसमें 5 हजार से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है । उस सर्वेक्षण में जितने शेष कब्रिस्तान हैं, उनकी घेराबंदी तो होनी ही है, 8 हजार से थोड़ी संख्या ज्यादा है, 8 हजार 34 है, ऐसी कुछ संख्या है, ऐक्जेक्ट फिगर हम यहां बोल दें और वह सही नहीं हो तो 8 हजार से थोड़ा ज्यादा है तो उसमें किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं होगी । उतने कब्रिस्तानों की घेराबंदी डी0एम0 और एस0 पी0 के द्वारा तय प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जायेगा । लेकिन उसके अलावे जो सर्वेक्षण में शामिल नहीं हैं, उनके अलावे के किसी कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात हो तो वह एक अलग विषय है । उस पर सोचना पड़ेगा क्योंकि एक बार जो सर्वे किया गया । कभी- कभी एक उदाहरण के तौर पर कहते हैं, मान

लीजिये कि आबादी मिक्स्ड है, वहां पर डिस्प्यूट की संभावना होती है, उसको ध्यान में रखते हुये सर्वेक्षण में उन कब्रिस्तानों को शामिल किया गया होगा । लेकिन मान लीजिये कि जहां पर सिर्फ एक ही समुदाय की आबादी है, वहां पर कब्रिस्तान को लेकर किसी प्रकार को डिस्प्यूट संभावित नहीं है तो संभवत: वैसे कुछ कब्रिस्तान उससे बाहर रहे होंगे । लेकिन मूल तौर पर अधिकांश कब्रिस्तानों को इसमें शामिल किया गया है । इसके बाद अगर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना जिसको हमलोग विधायक फंड कहते हैं, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है कि माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी होगी तो अगर यह उसमें प्राथमिकता की बात शामिल है तो उस पर पुनर्विचार करके उसको हटा दिया जायेगा । लेकिन एक चीज हम सबसे अनुरोध करेंगे कि यह ध्यान रखिये कि सर्वेक्षण में जो 8000 प्लस कब्रिस्तान शामिल हैं, सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों को चाहिए कि उन्हीं कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दें और उनकी घेराबंदी पूर्ण हो जाय तो उसके बाद जो भी कब्रिस्तान बचते हैं, उसकी घेराबंदी की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है । लेकिन पहले जो 8000 प्लस कब्रिस्तान हैं, उनकी जरूर घेराबंदी हो जानी चाहिए । तो अगर 8000 में शामिल है वह और प्राथमिकता का जो निर्धारण डी0एम0 और एस0 पी0 के लेवल पर जिलों में होता है, उसमें अगर शामिल नहीं है तो फिर उसमें जो योजना एवं विकास विभाग के द्वारा इसके लिये जो नियम बनाये गये हैं उसमें संशोधन किया जायेगा और माननीय विधायकों की अनुशंसा के आधार पर 8000 प्लस में अगर शामिल है तो उसको वे कर सकते हैं, भले ही डी0एम0 और एस0 पी0 की प्राथमिकता सूची में वह न हो ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 345 (श्री विजय कुमार खेमका)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, प्रश्न पूछिये ।

श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह : पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड - 1 स्वीकारात्मक है ।

खंड - 2 आंशिक स्वीकारात्मक है । मंदिर की चहारदिवारी नहीं है ।

खंड - 3 बिहार मंदिर चहारदिवारी निर्माण योजना के अन्तर्गत उन मंदिरों की चहारदिवारी निर्माण की जाती है जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् से निबंधित हों । संप्रति पूर्णियां जिलान्तर्गत उन 57 मंदिरों के धार्मिक न्यास पर्षद् से निबंधित होने की सूचना प्राप्त है, जिसमें यह मंदिर शामिल नहीं है । मंदिरों के चहारदिवारी के निर्माण के लिये जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राथमिकता सूची तैयार किये जाने के पश्चात् प्राथमिकता सूची पर चहाारदिवारी निर्माण किया जाता है । अत: उक्त आलोक में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग जिला पदाधिकारी,पूर्णियां से की गयी है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी इसी प्रकार का जो दूसरा सवाल था कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे और जिलों में यह जो प्राथमिकता सूची बनाने की बात है, जो कलक्टर और एस0पी0 बनाते हैं तो क्या उसमें क्षेत्रीय विधायकों की राय ली जाती है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सचीन्द्र जी, माननीय मंत्री ने बताया है, प्राथमिकता सूची की बात तो अलग है । धार्मिक न्यास पर्षद से जो निबंधित नहीं हैं, वहां नहीं बनेगा और माननीय मंत्री ने बताया है कि आपका यह वहां निबंधित नहीं है । मूल कारण वह है । डी0एम0,एस0पी0 द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची की बात नहीं है । धार्मिक न्यास पर्षद जो सरकार की संस्था है, जो इस तरह के प्रतिष्ठानों को देखती है वहां निबंधित कराने की बात है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं इसी संदर्भ में आग्रह करना चाहता हूं कि क्या धार्मिक न्यास पर्षद् या डी0एम0 एस0 पी0 की जो कमिटी है, इसमें प्राथमिकता सूची जो बने, उसमें क्या विधायकों की राय ली जायेगी ?

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह भी एक संवेदनशील मसला है । इसलिए मैंने समझा कि स्थिति को स्पष्ट कर दूं । यह जो मदिरों में चहारदिवारी बनाने का निर्णय लिया गया है, उसके लिये एक स्कीम बनायी गयी है, उसमें दो शर्त्तें हैं – एक तो अगर वह मंदिर है और पुराना मंदिर है, उसके लिये समय निर्धारित किया गया है कुछ वर्षों का कि इतना पुराना मंदिर होना चाहिए कम से कम । और दूसरी बात है कि धार्मिक न्यास पर्षद् से वह निबंधित है यानी अगर कोई घर में मंदिर बनाये हुये हैं उसको धार्मिक न्यास पर्षद् में जाने की जरूरत नहीं है । लेकिन जो सार्वजनिक स्थल पर मंदिर है जिसमें लोगों का आना-जाना है, उसका निबंधन कानून के मुताबिक धार्मिक न्यास पर्षद् से भी होना चाहिए । यह बुनियादी बात जान लेना चाहिए और तब इस तरह के प्रश्न को उठाना चाहिए । धार्मिक न्यास पर्षद् से निबंधित क्यों नहीं है ? धार्मिक न्यास पर्षद् से जुड़ना चाहिए । धार्मिक न्यास पर्षद् बनाया ही गया है उनके लिये, उनकी सुविधाओं के लिये ही धार्मिक न्यास पर्षद् बना हुआ है । तो वह तो होना ही चाहिये और फिर मंदिर कितना पुराना है ? इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुये प्रायोरिटी का निर्धारण, उसी प्रकार से डी0एम0, एस0पी0 को दिया गया है और उसके आधार पर इसका होगा और उसमें अगर आपलोग चाहिएगा कि जिस तरह से कब्रिस्तान की घेराबंदी में भी विधायक फंड से यानी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत किया जा सकता है उसकी अनुशंसा अगर आप चाहेंगे तो उसमें भी उसको किया जा सकता है, विधायक फंड से उसका भी करा सकते हैं । अगर आप चाहिएगा तो योजना एवं विकास विभाग से उसको भी कर दिया जायेगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको जोड़वा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी बैठे हुए हैं, मंहगाई का जमाना है । 2 करोड़ रूपया माननीय विधायक को मिलता था, 5 करोड़ रूपया माननीय सदस्यों को मिले ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 345 (श्री राज कुमार राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड के ग्राम सिरसिया और ग्राम मौजी स्थित कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक-170 एवं 71 पर दर्ज है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिये जिलाधिकारी,पुलिस अधीक्ष्ज्ञक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कंडिका 634 में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है।

टर्न-11/सत्येन्द्र/5-3-18

तारांकित प्रश्न संख्या- 347(श्री विनोद प्रसाद यादव)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-348(श्री(मो0)तौसीफ आलम)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 349(श्री सीताराम यादव)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 350(श्री मनोहर प्रसाद सिंह)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 351(श्री सैयद अबु दौजाना)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत पुपरी-सुरसंड एस0एच0 रोड मलंग स्थान मंदिर के निकटतम अवस्थित कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । घेराबंदी नहीं होने से यदाकदा पशुओं के प्रवेश करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप

से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति भी है । इसके अतिरिक्ति मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शिका 14 में भी कब्रिस्तान के घेराबंदी की योजना को शामिल किया गया है।

श्री सैयद अबु दौजाना: महोदय, ये 100 साल पुराना मलंग स्थान मंदिर है और इस मंदिर की घेराबंदी नहीं हो रही है, जो जनकपुर मेन रोड पर है पुपरी और सुरसंड के बीच, इससे असामाजिक तत्व जो पूजा करने आते हैं उनको इतनी परेशानियां हो रही है और मंदिर बनाने की बात करती है एन0डी0ए0 की सरकार तो कम से कम सरकार ये एक मंदिर बनवा दें मलंग स्थान पर जो 100 साल पुराना मंदिर है जिसका घेराबंदी करवा दिया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: माननीय सदस्य कब्रिस्तान का प्रश्न कर रहे हैं और मंदिर का जिक्र कर रहे हैं ।

श्री सैयद अबु दौजाना:मलंग स्थान मंदिर है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: आपका प्रश्न क्या है ?

श्री सैयद अबु दौजाना: उसके नीचे एवं है, कब्रिस्तान एवं है, ये मंदिर है मलंग स्थान मंदिर है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, मैंने कलक्टर को कल शाम में निर्देशित किया है कि स्वयं जाकर देखें, चूंकि मंदिर और कब्रिस्तान अगल बगल में है इसलिए मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि स्वयं अबिलम्ब जाकर देख के एक विस्तृत प्रतिवेदन यहां भेजे, उसके आधार पर अग्रेत्तर आदेश दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 352(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड अन्तर्गत नवीनगर बार्ड संख्या-5 जनकपुर, बार्ड नं0-4 अन्तर्गत आता है । जनकपुर में निजी जमीन पर कब्रिस्तान है जिसका घेराबंदी किया हुआ है । बार्ड संख्या-2 मौजा परसिया टोला, रमजान बिगहा, थाना नं0-110, खाता संख्या-13, प्लौट संख्या-226, रकबा 2.68 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बकास मालिक के नाम से दर्ज है । इसी प्लौट में 0.65 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के उपयोग में आता है । उक्त भूमि में अतिक्रमण नहीं है । राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर ही अवस्थित विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशीलता के आधार पर कब्रिस्तान के घेराबंदी की योजना है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 353(डॉ0 रामानुज प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखंड अन्तर्गत दिघवारा नगर पंचायत के बार्ड सं0-18 में स्थित कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में नहीं है । दिघवारा प्रखंड अन्तर्गत मानपुर पंचायत के

मानपुर कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रम 44 पर अंकित है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक 42 तक के योजना का काम अबतक हो चुका है । कब्रिस्तान के घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है, उसी क्रमबद्ध ढंग से धेराबंदी कराये जाने की नीति भी है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत शामिल किया गया है, 42 तक हो चुका है और यह 44 वां पर है, संभावना है जल्द हो जाना चाहिए ।

अध्यक्ष: नजदीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 354(श्री मो0 तौसीफ आलम)

अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या- 355(श्री विजय कुमार खेमका)

अध्यक्ष: श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह प्राधिकृत किये गये हैं।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: (1) वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियां जिला के मुफस्सिल थाना का अपना भूमि नहीं है । वर्त्तमान में यह थाना कोशी प्रोजेक्ट भवन में चल रहा है । गश्ती के लिए पुलिस जीप उपलब्ध है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि थाना भवन के निर्माण हेतु भूमि मौजा चांदी, खाता 511, खेसरा 2327, रकवा 3.1 एकड़ चिन्हित की गयी है । भूमि स्थानांतरण के बाद भवन निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र भूमि को चिन्हित करा लिया जाय और राशि उसमें उपलब्ध करवाकर थाना भवन के निर्माण की प्रक्रिया पूरी करायी जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: मैंने कहा कि चिन्हित कर लिया गया है, वह सरकारी भूमि है और 3 एकड़ तक, 5 एकड़ तक जो कलक्टर को देना है, जल्दी उस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: जमीन हो गया तो आश्वासन तो कर दें कि कबतक उसको थाना भवन बनवायेंगे ?

तारांकित प्रश्न संख्या- 356(श्री अचमित ऋषिदेव)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 357(श्री शकील अहमद खां)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 358 (श्री अजीत शर्मा)

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री: (1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । बिहार स्पन सिल्क मिल भागलपुर, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम की एक कार्यरत इकाई है जो विगत 15 वर्षों से

बंद है । मिल के संबंध में वर्ष 2007 में बिहार राज्य औद्योगिक निगम परामर्शी द्वारा निगम की उक्त इकाई का अध्ययन कराया गया । परामर्शी द्वारा इस इकाई को इनभाईवल अर्थात् पुनर्जीवन योग्य नहीं बतलाया गया । निगम प्रबंधन द्वारा 2010 से प्रदत्त मिल के खाली पड़े जमीन को लंबी अवधि के लीज पर देने का प्रयास किया गया लेकिन निविदा प्रक्रिया के विवादास्पद होने के कारण निविदाकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 18451/2010 दायर किया गया है जो अभी माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है । न्यायिक निर्णय के आलोक में मिल के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हो सकेगी । भागलपुर जिला अन्तर्गत विक्रमशीला स्पिनिंग मिल नाम की कोई इकाई अस्तित्व में नहीं है ।

(2)खंड-1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

(3)उपर्युक्त से वस्तुस्थिति स्वतः स्पष्ट है ।

श्री अजीत शर्माः अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको पता ही है कि भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और यहां पर स्पिनिंग मिल थी, धागा उसको मिलता था लेकिन आज बुनकरों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है, वे लोग गरीबी से भी नीचे रेखा पर चले गये हैं। ये कोर्ट का मामला है और 15 वर्षों से बंद है तो सरकार क्या ये कोर्ट में हस्तक्षेप कर के जल्द से जल्द उसको चालू करने या अन्य स्थान जहां से धागा मुहैय्या बुनकरों को हो सके, उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार करना चाहती है सरकार ?

श्री जय कुमार सिंह,मंत्रीः महोदय, ये बी0एस0आई0डी0सी0 का ये होलीहोम यूनिट है चूंकि मामला न्यायालय में है, उनलोगों ने प्रयास भी किया इसको निविदा कर के उस लैंड के भैल्यूएशन हुई और खाली पड़े जमीन को एक बार इसको लीज पर लंबी अवधि के लिए देने का भी प्रयास किया गया और वह जिसको दिया गया उसके एगेंस्ट पार्टी कोर्ट में गये । मामला न्यायालय में है इसलिए न्यायालय से खत्म होने के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जा सकता है ।

श्री अजीत शर्माः न्यायालय में है वह तो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है लेकिन इसके लिए व्यवस्था क्या करेंगे? चूंकि बुनकर को धागा मिल सके, चूंकि वहां पर लाखों की संख्या में बुनकर हैं, सिल्क इंडस्ट्रीज है जो विश्व स्तर पर जाना जाता है तो सरकार की बदनामी हो रही है, कुछ तो व्यवस्था करें ।

श्री जय कुमार सिंह,मंत्रीः महोदय, हमलोग तो आगे उसमें कर रहे हैं भागलपुर में तो टेक्सटाईल कलस्टर हमलोग बनाने जा रहे हैं इसलिए आने वाले दिनों में हमलोग टेक्सटाईल को टॉप प्रायोरिटी सेक्टर में रखे हुए हैं जिसमें मजदूरों को रोजगार मिलने का एक भारी संभावनाएं दिख रही हैं।

टर्न–12/मधुप/05.03.2018

तारांकित प्रश्न संख्या–359 (श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, समय चाहिये ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या– 360 (श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, यह ट्रांसफर होकर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में आ गया है इसलिये मैं इसका उत्तर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की ओर से दे दे रहा हूँ ।

1– आंशिक स्वीकारात्मक है । पटना जिला छोड़कर सभी जिला में सूचना भवन निर्मित एवं कार्यरत है । पटना जिला में जमीन अनुपलब्धता के कारण सूचना भवन का निर्माण नहीं किया जा सका है । जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा जमीन की खोज की जा रही है ।

2– अनुमंडल मुख्यालय अथवा बड़े प्रखंड मुख्यालय में सूचना भवन या सूचना केन्द्र की कोई व्यवस्था अथवा प्रावधान नहीं है ।

3– ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस प्रकार की कोई नीति बना रही है कि अनुमंडल मुख्यालयों में और बड़े प्रखंड मुख्यालयों में भी सूचना केन्द्र स्थापित किया जाय और सूचना भवन बनवाया जाय ?

अध्यक्ष : सरकार ने कहा कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : यही तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार इसपर विचार करे ।

तारांकित प्रश्न संख्या– 361 (श्री हरिशंकर यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीवान जिलान्तर्गत हुसैनगंज प्रखंड के ग्राम– जमाल हाता स्थित कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार हुसैनगंज प्रखंड अन्तर्गत के प्राथमिकता सूची के क्रमांक 28 पर अंकित है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक 2 तक के कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी जा रही है ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिये जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध रूप से घेराबंदी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र

विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शिका की कंडिका में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है ।

श्री हरिशंकर यादव : मंत्री जी, ऐसा कब्रिस्तान है कि साल में कभी भी 6 महीना पर, 2 महीना पर, 4 महीना पर बराबर विवाद होता है । बहुत तनाव रहता है, दो गॉव के बीच में इतना जबर्दस्त तनाव वहॉ है कि भगवान भरोसे ही बच जाता है, कभी-कभी मारपीट भी हो जाता है । जितना जल्दी हो उस कब्रिस्तान को घेरवा दिया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 362 (श्री कुमार सर्वजीत)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि फतेहपुर थाना कांड संख्या 214/17 दिनांक 26.06.2017 वादिनी गीता देवी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के सात नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध नाश्ता का पैसा मॉगने पर जाति सूचक गाली-गलौच करते हुये दुकान में आग लगा देने एवं बम चला देने के आरोप में पंजीकृत हुआ है । अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड धारा 147, 148, 149, 341, 342, 323, 386, 307, 436 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स ऐक्ट 31आर0एस0/3224 भा0एस0टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत प्राथमिक अभियुक्त के अलावे अप्राथमिक अभियुक्त ओ0पी0 शर्मा के विरूद्ध सत्य पाया गया है । प्राथमिक अभियुक्त बाबू सिंह उर्फ रजनीश कुमार एवं राजेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुये आरोप-पत्र समर्पित किया गया है । शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु प्रयास जारी है ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, वहॉ पर दलित हैं, राजवंशी समाज के लोग हैं और उसके 90 प्रतिशत आबादी उस गॉव में रह नहीं पा रहे हैं । उनकी जो बड़ी-बड़ी बेटियॉ हैं जो शादी करने लायक हैं, उनको भी लगातार वहॉ से उनको लोग उठाकर ले जाते हैं । जो मुख्य अभियुक्त है, उनको सुपरवीजन में भी निकाल दिया गया है । जब स्थानीय पुलिस वहॉ उसको गिरफ्तार करने गई तो पुलिस के ऊपर लगातार फायरिंग हुई और पुलिस वहॉ से वापस चली गई । वहॉ पर जो दलित समाज के लोग हैं, थाना पर धरना वगैरह लगातार वह लोग करते रहा लेकिन मुख्य अभियुक्त को, पूरे ब्लॉक के लोग जानते हैं कि यह क्रिमिनल ऐक्टिविटीज के लोग हैं, आज तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, इस घटना में सुपरवीजन में उनको निकाला भी गया ।

हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं माननीय मंत्री जी से कि सुपरवीजन में अगर मुख्य आरोपी को निकाला गया है तो इसकी जॉच होनी चाहिये और दलितों को उस गॉव में रहने का अधिकार मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जिन बातों का जिक्र किया, गया के डी0आई0जी0 को निर्देशित किया जायेगा कि स्वयं इस मामले को देखें और सेफ्टी का एरेंजमेंट पूरा करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या-363 (डॉ0 रामानुज प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में पटना छोर से जे0पी0 सेतु पर मात्र 1 सड़क दुर्घटना तथा सोनपुर की तरफ से 2 सड़क दुर्घटना जून, 2017 से अबतक घटित हुआ है । जे0पी0 सेतु पर इस समय मात्र छोटे वाहनों का परिचालन हो रहा है । जहाँ तक पुल पर जाम होने का प्रश्न है, विगत दिनों में जे0पी0 सेतु पर यातायात व्यवस्था के आधारभूत संरचना एवं सेतु की यातायात व्यवस्था का अध्ययन कर इसके अनुरूप यातायात के 1 पुलिस उपाधीक्षक, 1 स0अ0नि0, 3 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति वर्त्तमान में की गई है । सारण जिला से भी जे0पी0 सेतु एवं सम्पर्क सड़क पर 32 होम गार्ड के सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति तीन पालियों में की गई है । कतिपय अपरिहार्य कारणों से कभी-कभी यातायात दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे क्षणिक अंतराल के बाद ही अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति कर नियमित कर दिया जाता है । सामान्यतः सेतु पर यातायात व्यवस्था एवं परिचालन बिल्कुल सामान्य रहता है । जे0पी0 सेतु पर जाम की समस्या नहीं है । वर्त्तमान में जे0पी0 सेतु पर चौकी खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 364 (श्री मो0 आफाक आलम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिये जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शिका की कंडिका में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु नीति है, कब्रिस्तान घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है । महोदय, इस संबंध में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों का जिक्र कर ही दिया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 365 (श्री सुनील कुमार)

माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 366 (डॉ0 अब्दुल गफूर)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार के सभी जिलों में निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप अल्पसंख्यक को रोजगार ऋण उपलब्ध कराना है । सभी जिलों में चयन समिति की बैठक सम्पन्न हो चुकी है । जिलों से प्राप्त चयनित सूची के आधार पर सभी जिलों में ऋण वितरण की कार्रवाई चल रही है । इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये उपलब्ध कराई गई राशि 85 करोड़ रूपया के विरूद्ध अभी तक 1435 लाभार्थियों के लिये कुल 19 करोड़ 86 लाख 40 हजार रू0 उनके बैंक खाता में अंतरित किया जा चुका है । तथा 5 जिलों के 113 लाभार्थियों के बैंक खाता में 2 करोड़ 59 लाख 40 हजार रू0 अंतरित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिलावार विमुक्त की गई राशि का समेकित विवरण संलग्न है ।

प्रश्नगत जिला लखीसराय के 15 तथा कैमूर के 36 आवेदकों को ऋण आवंटित किया जा चुका है । शेखपुरा जिला चयन समिति द्वारा मात्र एक आवेदक की चयन सूची भेजी गई है जिसके द्वारा अभी तक चयनित याचित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है । अरवल तथा बक्सर जिलों से चयन सूची अप्राप्त है । इन जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जो चयन समिति के सदस्य सचिव भी हैं, उन्हें सूची शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु चयनित सूची प्राप्त होने के पश्चात् स्मारित भी किया गया है । ...क्रमशः...

टर्न-13/आजाद/05.03.2018

..... क्रमशः .....

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : चयनित सूची प्राप्त होने के पश्चात् ऋण वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । बिहार के सभी जिलों में अल्पसंख्यकों के आबादी के अनुपात में वित्तीय लक्ष्य निर्धारित है । जिसके अनुरूप जिलों से चयन सूची प्राप्ति के उपरान्त जैसे-जैसे आवेदकों से आवश्यक दस्तावेज कागजात प्राप्त हो रहे हैं, उससे आवश्यक प्रक्रिया के बाद ऋण राशि विमुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है ।

डॉ0 अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, यह वित्तीय वर्ष 2016-17 का मामला है, जो गुजर चुका और 2017-18 भी जा रहा है । यह मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और जबसे यह योजना चली है अल्पसंख्यकों को काफी लाभ पहुँचा है । जागृति के अभाव में बहुत सारे जिलों में लोग आवेदन भी नहीं दिये हैं । माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकारा है कि कई जिले ऐसे हैं, जहां एक भी आवेदन नहीं आये हैं । इसका मतलब है कि वहां के लोगों को कब आवेदन देना है, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है तो मेरा प्रश्न है, एक तो यह है कि आप राशि निर्धारित कर दिये अल्पसंख्यक आबादी के अनुपात में और राशि का वितरण नहीं हो पा रहा है तो क्या माननीय मंत्री

जिस जिला के लिए जितनी राशि आपने कर्णांकित किया है, आप जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दे सकते हैं ताकि जिला पदाधिकारी जिम्मेदारी के तहत उस जिला में इसका वितरण सुनिश्चित करें समय पर ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपलोग जवाब तो सुनिये, आपलोगों को सुनने की आदत नहीं है ।

अध्यक्ष : बैठे-बैठे पूछे गये प्रश्न का जवाब नहीं होता है ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जो विज्ञापन है बताया गया माननीय सदस्य के द्वारा, ये 2016-17 का विज्ञापन है । जब जिला में आवेदन पड़ा ही नहीं, जिन आवेदकों के द्वारा आवेदन जिन जिलों में प्राप्त हुए और वहां चयन समिति के द्वारा यहां पर सूची उपलब्ध हो गई, वह राशि वितरण की जा रही है । जब पहले मात्र पौने तीन करोड़ रू0 का वितरण हुआ था । सरकार जो है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना पर एकदम गंभीर है और यह जो है, मैं समझता हूँ कि जिन जिलों से आवेदन नहीं आया है, स्मारित किया जायेगा.....

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री नेमतुल्लाह : महोदय, सरकार के प्रचार एवं प्रसार की कमी के वजह से आवेदन नहीं पड़ता है । इसीलिए .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर .....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय,महोदय, मेरा एक है.....

अध्यक्ष : प्रश्न है, पूरक है क्या ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : नहीं,नहीं मैं बीच में कह रहा हूँ , गफूर साहेब 2016-17 का प्रश्न किये हैं, उस समय यही मंत्री थे अल्पसंख्यक के, इनको तो प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था कम से कम । सुनिये तो, आप क्यों उठ जाते हैं, हमारा उनका मामला है । इनको कम से कम तौलिया ओढ़ कर आना चाहिए क्योंकि ये अपने ही रिजिम का प्रश्न कर रहे हैं ?

अध्यक्ष : जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 5 मार्च,2018 को माननीय सदस्य श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-171(1) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल होने दीजिए न ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पूरे संवेदनशील सवाल पर आज कार्यस्थगन है । मैं समझता हूँ कि सत्तापक्ष के लोग हों या प्रतिपक्ष के लोग हों, इन सवालों से कोई वंचित नहीं हैं । पूरा बिहार त्रस्त है बालू को लेकर के, गिट्टी को लेकर के, मिट्टी को लेकर के और मैं समझता हूँ कि इससे जितनी बेरोजगारी, जितने पेट पर लात आज पड़ रहे हैं पाठक की नीति से, के0के0पाठक ने पूरे विभाग में गुंडा नीति लागू कर रखा है और एक पाठक काफी है बिहार के बर्बादी के लिए, इसलिए महोदय, इस संवेदनशील विषयों को सरकार को, सदन को मैं चाहूँगा कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए ।

महोदय,महोदय, जरा सा एक जी0पी0एस0 नीति है, जी0पी0एस0 नीति उन्होंने यहां पर लागू कर दिया गया है । पूरे विश्व में जी0पी0एस0 नीति नहीं है, किसी भी राज्य में जी0पी0एस0 नीति नहीं है और आपने बिहार में किया है । बिहार के लिए है लेकिन यह यहां के लिए नहीं होना चाहिए । महोदय, तीन हजार का चाईनीज जी0पी0एस0, 25 से 30 हजार, 40हजार में बिक रहा है । यह सृजन से भी बड़ा घोटाला निकलेगा महोदय, सरकार को समय रहते इन सवालों पर चेतना पड़ेगा .....

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे, आपका भी शून्यकाल है ।

शून्य-काल

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत सासामुशा सुगर फैक्ट्री वर्तमान सीजन में शुरू होकर बंद हो गया, जिससे किसानों को गन्ना आपूर्ति एवं भुगतान में भारी कठिनाई हो रही है ।

उक्त फैक्ट्री को चालू कराने तथा किसानों के बकाये राशि के भुगतान के लिए सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव । आप इन दोनों में से एक तो पक्का कर लेते।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : आप एक ही नाम बोलिए न सर ।

अध्यक्ष महोदय, नालन्दा जिला अन्तर्गत परबलपुर प्रखंड के चौसण्डा पंचायत में लघु जल संसाधन कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा कराये जा रहे आहर, पईन उड़ाही कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरत कर संवेदकों को भुगतान किया जा रहा है जबकि कार्य के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है ।

अतः उक्त आहर, पईन उड़ाही कार्य में बरती जा रही अनियमितता की जॉच की जाय ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, कचरा-स्थल एवं प्रॉसेसिंग प्लांट के अभाव के कारण राज्य के नगर निकाय सालों भर कचरा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं ।

प्रत्येक नगर क्षेत्र में 15 एकड़ तक जमीन कचरा स्थल के रूप में चिन्हित एवं प्रॉसेसिंग प्लांट लगाकर कचरा निष्पादित किया जाय ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, नवादा के सिरदला के तारन गांव में शौच जाती महिलाओं के साथ दबंगों द्वारा छेड़खानी का विरोध करने पर होली के दिन दबंगों ने दलित टोले पर हमला कर राजो राजवंशी की हत्या कर दी और कई लोगों को घायल कर दिया । सरकार दोषियों पर अविलंब कार्रवाई करे ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बक्सर के एकरासी में होली के दूसरे दिन दबंगों द्वारा मुसहर टोले पर हमला कर 19 झोपड़ियों को जला दिया गया, जिसमें पशुधन समेत काफी आर्थिक नुकसान हुआ है । हम अविलंब राहत राशन की मांग करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं ।

अब ध्यानाकर्षण सूचना ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री राजीव नन्दन, जिवेश कुमार एवं अन्य बारह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री राज कुमार राय जी, आप ध्यानाकर्षण सूचना पढ़िए ।

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, ''पिछड़ा वर्ग/अतिपिछड़ा वर्ग/अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के फार्म भरने की तिथि 08.02.2018 से 28.02.2018 तक निर्धारित की गई है । इसी बीच महाविद्यालय/कॉलेज में मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा चल रही है। इस कारण कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कॉलेज बंद है, परीक्षा संचालन होने से कॉलेज में आना-जाना मना है जिसके कारण छात्रवृत्ति का फार्म प्राचार्य महोदय से सत्यापित नहीं हो पा रहा है, जो अनिवार्य है ।

अतः पिछड़ा वर्ग/अतिपिछड़ा वर्ग/अनु0जाति/अनु0जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति फार्म भरने की तिथि 28.02.2018 से आगे बढ़ाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । ''

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा,अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग को यह स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है, यह स्थगित हुआ ।

टर्न–14/अंजनी/दि0 5.3.18

सर्वश्री नेमतुल्लाह, फैयाज अहमद एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार(शिक्षा विभाग) की ओर से

<u>वक्तव्य</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मो0 नेमतुल्लाह, आप अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1979 के तहत 14 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया जाना है, जिसमें चार सदस्य पदेन सदस्य होते हैं तथा शेष 10 सदस्यों को सरकार मनोनीत करती है । सन् 2015 से अबतक सरकार द्वारा पूर्णरूपेण बोर्ड का गठन नहीं कर केवल चार पदेन सदस्य एवं एक चेयरमैन से काम चलाया जा रहा है ।

अतएव कामचलाउ बोर्ड को समाप्त कर 14 सदस्यीय बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, स्थगित ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–15/शंभु/05.03.18

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य । माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष–2018–19 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श आज होगा । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । वाद–विवाद तथा सरकार के उत्तर के लिए कुल तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	–	59 मिनट
जनता दल युनाइटेड	–	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	–	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	–	20 मिनट
सी0पी0आइ0एम0एल0	–	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	–	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	–	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	–	02 मिनट
निर्दलीय	–	03 मिनट

माननीय सदस्य डा0 रामानुज प्रसाद । नहीं हैं ? माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो बोलने का अवसर दिया गया है इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदय, एक कहावत है – ''बारह साल में घूरे के भी दिन फिरते हैं '' इसका अर्थ है कि कंगाल से कंगाल व्यक्ति का भाग्य भी बारह वर्ष में परिवर्तित हो जाता है परंतु वर्तमान सरकार ऐसी है कि इस निर्धनतम प्रदेश के वासियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया । इस सरकार द्वारा अभी तक कोई ऐसा कारगर कदम नहीं उठाया गया है जिससे यहां रोजगार का सृजन हो सके, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो सके । गरीबों को भरपेट भोजन अथवा रोजगार की गारंटी नहीं की गयी ।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि परसों ही मधुबनी में आस्ट्रेलिया की टीम आयी थी मधुबनी पेंटिंग में और संयोग से उसे एक कुत्ता ने काट लिया । कुत्ता काटने के बाद स्थिति ऐसी हुई कि जब वह पी0एच0सी0 में गया तो कुत्ता की दवा नहीं थी, हेडक्वाटर भी गया । जरा सुन लीजिए न, आप

ही का तो व्याख्यान दे रहे हैं । जब दरभंगा डी0एम0सी0एच0 गये तो वहां की स्थिति देखकर उन्होंने रिफ्यूजल दे दिया आस्ट्रेलिया की टीम ने कि हम यहां पर जो हाइजेनिक स्थिति है, हमको इन्फेक्शन हो जायेगा । हम सुई नहीं ले सकते हैं। अंत में वह पटना में आकर सुई लिया । हमारा यह कहना है कि जो परिस्थिति है- हमने कहा कि 12 साल में कहां से कहां चले जाते हैं, लेकिन आज स्थिति है कि हम वहीं हैं ।

किसी राज्य के लिए उसकी सबसे बड़ी पूँजी उसका शिक्षित समाज है। राज्य में शिक्षा का जो स्तर है वह कोई छिपा हुआ नहीं है- टॉपर यहां कैसे-कैसे बनाये जाते हैं इसे दुनिया ने देखा और परीक्षा लेनेवाली संस्था के अध्यक्ष जेल गये । आप परीक्षा में चोरी रोकने की बात करते हैं अच्छी बात है लेकिन पढ़ायेंगे नहीं, किताबें नहीं देंगे तो बच्चे करेंगे क्या ? अभी पिछले दिनों ही इसी सदन में प्रश्न आया कि किताबें वितरित नहीं हो पायी । हम किताबें वितरित करते नहीं, पढ़ाते हैं नहीं और चोरी रोकने का ढिंढोरा पीटते हैं, क्या-क्या उसमें सी0सी0टी0वी0 लगवाते हैं। राज्य के जितने सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें केवल नामांकन रहता है और नामांकित सारे बच्चे प्राइवेट कोचिंग में पढ़ते हैं । आप कहीं चले जाइये पटना हो, मधुबनी हो सभी जगह यही स्थिति है । स्कूल में बच्चे नामांकन करा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कोचिंग में कर रहे हैं, क्या कारण है ? क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलने के कारण हमारे बच्चे कोचिंग के- चूंकि कम्पीटीशन का टाइम है और वे अपना देखते हैं कि हम कैसे सफल नागरिक बने, कैसे आगे बढ़ें । उनको जो सटिस्फेक्शन लेवेल है नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं अपना कोचिंग में पढ़ने जाते हैं । बात आज तक नहीं आई कि लाईसेंस सरकार देती है, निगरानी भी सरकार की होती है । आज की परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि राज्य के विकास की रफ्तार पिछले 7-8 महीनों से बिलकुल बंद है- बालू, गिट्टी, मिट्टी सब पर रोक लगा दी गयी है, तर्क यह दिया गया कि अवैध खनन हो रहा है । माननीय मंत्री जी अवैध खनन के लिए हमेशा जिम्मेवार रहते हैं कि नहीं रहते हैं मेरी समझ में यह बात आज तक नहीं आयी कि लाईसेंस सरकार देती है, निगरानी सरकार की होती है तो फिर अवैध खनन कैसे हो जाता है । यदि सरकारी तंत्र अवैध खनन में सहयोग देता है तो सरकारी तंत्र को दुरूस्त करने की जरूरत थी न कि बालू पर रोक लगाने की जरूरत थी । जो बालू हमारे यहां 15 सौ में एक ट्रैक्टर मिलता था, आज के दिन 4 हजार रूपया में भी नहीं मिल रहा है । जो 4 हजार रूपया में मिलता था आज मुश्किल से 9 हजार में मिल पा रहा है, गरीब त्राहिमाम् हैं । एक-एक सरकारी योजना जो पिछले 8 महीने से आप टेक्नीकली अगर उसमें देखेंगे तो बालू इतने जो

गुणवत्ता का ख्याल रखना चाहिए, नहीं मिल पाता है। बिल्डिंगें बन रही हैं, हमलोगों का मधुबनी भूकम्प जोन में आता है और उसके आधार पर अगर गलत चीज के आधार पर बिल्डिंग बनेगा, स्कूल बनेगा, शौचालय बनेगा, कोचिंग बनेगा, घर हम बनायेंगे तो निश्चित तौर पर हम कहीं न कहीं एक थ्रेट की तरह हैं और यह थ्रेट क्यों है सरकारी जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ।

महोदय, खनन मंत्री बफर स्टॉक का बखान कर रहे थे । पिछले ही सत्र में उन्होंने कहा था कि राज्य में बालू बेचने की घोषणा हम अखबार में कर देंगे और नियत समय पर हम यह सुविधा भी दे देंगे।

इसी तरह से शराब बन्दी कानून लागू किया गया । अगर शराब बन्दी है तो क्या है ? किस तरह की शराबबन्दी है, ज्यादा इसपर बताने की आवश्यकता नहीं है एक-एक जिले में क्योंकि कहीं न कहीं हम कहते हैं एक तरफ नेपाल का बार्डर है, दूसरे तरफ हमारा झारखण्ड है, उत्तर प्रदेश है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है । सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है । एक तरफ हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार है । पूरा देश आपका है । पता नहीं डबल इंजन के बाद भी अभी तक जो हालात है वह लगता है कि बहुत सोचनीय है । चाहे हमलोगों ने ओथ लिया था आज आगे बढ़कर के उसमें सोचने की आवश्यकता है । इसी तरह शराबबन्दी कानून लागू होने के बाद भी जिस प्रकार परिसर में शराब पकड़ी जा रही है, जब्ती हो रही है । थाने के क्षेत्राधिकार में शराब- क्या इसपर चर्चा किया जाय ? हमको लगता है कि चर्चा करना ही बेकार है । कहीं न कहीं हम उस बात के लिए अलग से हटकर के सोचेंगे कि जो आज हमारी स्थिति है वह एक तरफ देखते हैं राज्य में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 6 महीने से लेकर के 3 साल तक से बंद है । बुजुर्ग और विधवाएं प्रखंडों में/ बैंकों में दौड़ने के लिए विवश हैं । कन्या विवाह योजना मद की राशि पिछले चार वर्षों से भेजी नहीं जा रही है । लोग कहते हैं कि बैंक में आधार कार्ड से लिंक किया जायेगा । कल ही हमने देखा था कि आधार कार्ड यशवन्त सिन्हा साहब अपना .....क्रमशः।

टर्न-16/अशोक/05.03.2018

श्री समीर कुमार महासेठ : क्रमशः.. आधार कार्ड में, कहीं से बनाये थे अपने क्षेत्र में और इनकम टैक्स का उनका जो कार्ड था वह कहीं दिल्ली का था, आधार कार्ड में चूंकि उनका नाम श्री यशवंत सिन्हा लिख दिया गया तो शायद मैच नहीं हो रहा था, फिर पुनः जब अपने पास आये, वह हाल हमलोगों का भी है जब हमलोग कोई एक टेलिफोन भी लेना चाहते हैं और जब आधार कार्ड से मैच कराते हैं तो नहीं मिल पाता हैं और बार बार जाने के बाद, एक अंगूठा कौन कहे, दस अंगूठा

लगा-लगा कर देखते हैं चूंकि शुरू का आधार कार्ड अब लगता है कि फिर से रिन्अुल कराने की बात है, उम्र बढ़ता जा रहा है, हो सकता है जो निशान है वह उस समय का निशान है, अभी के निशान में परिवर्त्तित हुआ होगा । यह सबों के साथ घट रहा है । और इसी वजह से गांव में जो विधवा है, बुजुर्ग है विकलांग है, ऐसी स्थिति में हम उनके तरफ ध्यान दें उनके पास उनका पेंशन उन तक नहीं पहुंच पाता है और हमलोग जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग घेर लेते हैं कि सरकार क्या कर रही है । सरकार क्यों हमारे साथ इनजस्टिस कर रही है ? दूसरे प्रदेश में जहां पर और सुविधा है, वह मिलना चाहिए, हमारा प्रदेश कहीं न कहीं इन चीजों से वंचित होता जा रहा है । हम कह सकते हैं कि राज्य में विद्यार्थियों और श्रमिकों के पलायन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पटना से गुजरने वाली गाड़ियों या कहीं से भी गाड़ी जाती है आप देंख लें बस में हो, ट्रेन में हो या तो पूरा गाड़ी भरा हुआ हैं तो लेबरर जो हमारे है, श्रमिक जो हैं वे बाहर जा रहे हैं । विद्यार्थियों का भी पलायन का इसी अंदाजा से लगाया जा सकता है, हम कह सकते हैं कि इसी तरह से हवाई सेवा में भी पटना एयरपोर्ट सबसे अधिक व्यस्त है और यात्रियों को इस भीड़ के कारण सबसे मंहगा रूट भी पटना हो गया है । हम कह सकते हैं चूंकि एक तरफ हम अपने चीजों को पाने के लिए प्राप्त करने के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं और ट्रेन का जो रफ्तार हैं और ट्रेन की जो स्थिति है, अगर उसमें प्लेन में भी जाना चाहते हैं तो हमलोगों को कुछ ऐसा ही महंगा सौदा तय करके हमलोगों को जाना पड़ता है ।

महोदय, इस बार के बजट में शिक्षा बजट में बढ़ोत्तरी दिखलाई गई है, 12 साल से आप शासन कर रहे हैं इसके बावजूद देश में कहीं न कहीं संघ शासित प्रदेशों में एवं राज्यों में बिहार का शिक्षा में 33 वां स्थान है । आखिर 33 वां स्थान मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है ? हम लगातार मेहनत कर रहें हैं लेकिन हमको जहां पहुंचान चाहिये था वहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहां तक कि युवओं को पढ़ने के लिये यहां पर्याप्त कॉलेज नहीं है, जहां एक लाख 18 से 23 वर्ष के आयु के विद्यार्थियों लिए कॉलेज का राष्ट्रीय औसत 25 है वही मात्र 6 हैं और उन 6 कॉलेज की स्थिति को भी आप देख लें ते शायद आप कह सकते हैं वह कॉलेज नहीं है, आज के दिन में गौशाला कह दें, कॉलेज तो कदापि कहा ही नहीं जा सकता है ।

महोदय, सात निश्चय के तहत घर-घर नल का जल पहुंचाने की योजना हैं । अभी तक राज्य में चार प्रतिशत आबादी को ही नल से जल पहुंचाया जा रहा है, पहले जलमीनार हुआ करता था उसके माध्यम से जलापूर्त्ति की जाती थी, अब सात निश्चय के तहत डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्त्ति किये जाने का

निर्णय लिया गया हैं, डायरेक्ट पम्पिंग से जलापूर्त्ति होने पर पानी की बर्बादी दस गुणा ज्यादा हो जायेगी । महोदय, चूंकि जब चापाकल से पानी निकालते हैं तो जितना हमें आवश्यकता है उतना ही निकालते हैं लेकिन जहां पर डायरेक्ट पम्पिंग सिस्टम होगा तो निश्चित तौर जो हमारा श्रोत है उसका दस गुणा ह्रास होगा, इस बात की सोच हमें रखना चाहिए । महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं पर बहत चर्चा होती है, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ही भयावह है, यहां के निवासी इलाज के लिए दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ आदि शहरों में भटकते रहते हैं । राज्य के सरकारी अस्पतलों में बेड नहीं है, आई.सी.यू. पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण निजी अस्पतालों में जाने के लिए राज्य के गरीब नागरिक जाने के लिए विवश हैं । एम.सी.आई. का मानक है, अस्पताल के कुल बेड का दस प्रतिशत आई.सी.यू. में रखा जाय परन्तु राज्य के अस्पताल उस मानक का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं । इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान जैसे अस्पताल में इमरजेन्सी में एक दिन भी बेड खाली नहीं मिलता है जिसके कारण आपात स्थिति में कोई चिकित्सा वहां नहीं की जाती और मरीजों को भगा दिया जाता हैं । अभी पी.एम.सी.एच. को भी विश्व स्तरीय बनाने की चर्चा जोर शोर से हो रही हैं लेकिन विश्व स्तरीय तो तब बनेगा जब चिकित्सक होंगे ।

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन): बात तो अच्छी है, माननीय सदस्य बनाने की चर्चा की बात तो अच्छी चीज है। आशा रखें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : इसके तहत सरकार की सोच है जब यह 2005 के बाद ही जब सरकार आई थी तो पटना को विश्व स्तर पर ले जाना चाहते थे, लोग जापान, सिंगापुर क्या-क्या बनाने का सपना दिखाये और आज तो हम देंख ही रहे हैं कि सपना तो पूरा हो ही गया है, सभी जगह नगर विकास से लेकर के सभी जगह हमलोग देंख ही रहे हैं और शायद झेल नहीं रहे हैं....

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन): कृपया समय पर ध्यान देंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : तो निश्चित तौर पर अगर अभी पी.एम.सी.एच. को विश्व स्तरीय बनाने की चर्चा जोर-शोर से हैं लेकिन जहां पर राज्य में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो सर्जरी आदि विषयों में डी.एम., एम.सी.एच. की पढ़ाई तक नहीं होती है । जब आपके पास डाक्टर ही नहीं है तो चिकित्सा सेवा क्या मिलेगी ? एक तरफ जो एम.सी.आई. कहता है उसके हिसाब से या तो हम एम.सी.आई के हिसाब से अपने हास्पिटल को नहीं बनाये तब ही हम डाक्टर नहीं बना पा रहे है या एम.सी.आई. कौन सा रोक लगा रही है जिसके चलते हमारा बिहार डाक्टर की कमी को झेल रहा हैं, और जो स्पेशलाईज्ड डाक्टर्स हैं, उसकी बहुत कमी है । विश्व स्तरीय तो एक सपना है और जुमला है, यदि पी.एम.सी.एच. को पारस के

भी स्तरीय बना दिया जाय तो पब्लिक को बिना पैसा दिये हुये शायद उस पारस से जयादा सुख मिल सकता हैं ।

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ । आप 15 मिनट बोल चुके हैं, अन्य साथियों को अवसर दें । कृपया ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, दो मिनट । राज्य में दो कृषि मैप की अवधि पूर्ण हो चुकी है । कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध थी वह संकरी होती चली गई । मधुबनी क्षेत्र की बात हैं, चीनी मिल की बात हो चाहे सकरी की बात हो रैयाम हो, लौहट हो ...

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन): माननीय सदस्य श्री मेवा लाल चौधरी, जनता दल यूनाइटेड, आपको बीस मिनट ।

श्री मेवा लाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायकगण, हम सरकार के फेवर में बजट का एक चित्र, मानचित्र रखना चाहेंगे । महोदय, जो बजट हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी ने जो प्रस्तुत किया है उस बजट से यह साफ जाहिर होता हैं कि हमारा बिहार एक विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहा है जिसका एक सूचक हम माननीय सभापति महोदय, हम प्रजेन्ट करना चाहेंगे, प्रति व्यक्ति आय, अगर इसका आप कम्पेयर करेंगे 2011-12 से और 2015-16 में हमारा जो इन्डीभ्यूजुअल इनकम जो हैं महोदय वह तकरीबन 29,178 करोड़ है, अगर इसको परसेंटेज के तौर पर कलकुलेट करेंगे महोदय तो ऑलमोस्ट हमलोगों ने 24 परसेंट ग्रोथ हासिल किया । (व्यवधान)

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन): कृपया शांति, अग्रिम पंक्ति के माननीय सदस्यों से आग्रह है।

श्री मेवा लाल चौधरी : महोदय, हमलोग ऑलमोस्ट 24 प्रतिशत । आप पिछले दस साल का कम्पेयर (व्यवधान)

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन): आप बोलिये, आप आसन की तरफ देखते हुये बोलते रहिये । बाधायें आयेंगी।

श्री मेवा लाल चौधरी : माननीय महोदय, और दूसरे विभाग का अगर बजट ली जाय, उदाहरण के तौर पर कृषि विभाग का बजट लिया जाय माननीय महोदय, हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, जो रोड मैप बिहार के लिए प्रस्तुत किया गया है, माननीय सदस्य को बताना चाहेंगे शायद वर्ल्ड में एक ऐसा मॉडल प्रोड्यूस हुआ जो कहीं पर नहीं है, यह मेरी अपनी तजुर्बा है। तकरीबन, आपको शक्ति जी हम बता दें कि जो प्रोडक्टिभिटी है, शक्ति जी सुन लीजिये प्लीज....

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन): आप आसन को देख कर बोलिये न मेवा लाल चौधरी जी, आप आसन को देखिये, आप शक्ति जी को क्यों देंख रहे हैं ?

श्री मेवा लाल चौधरी : महोदय, पूरे स्टेट की जो प्रोडक्टिभिटी है, हमलोग उसमें 14.5 प्रतिशत जो एभरेज नेशनल प्रोडक्टिभिटी है उससे भी हमलोग ज्यादा है और भेजटेबुल का

प्रोडक्शन जो रिकार्ड हुआ है हमारे बिहार में, इन्डिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन है महोदय । और सबसे बड़ी बात जो हैं महोदय जो एप्रोच हमारे माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बोला है महोदय वह कलस्टर एप्रोच कर रहे है, सामूहिक खेती का हमलोग विशेष जोर दे रहे हैं ताकि ग्रूप फार्मिग से उनके इनकम को हम बढ़ा सकते हैं । महोदय, कृषि के क्षेत्र में बजट में एण्ड टू एण्ड प्रोडक्ट का खयाल रखा गया है । क्रमशः

टर्न-17/ज्योति/05-03-2018

क्रमशः

श्री मेवा लाल चौधरीः प्रोडक्शन से लेकर उसके डिसपोजल मार्केटिंग की अगर बात की जाय तो रुरल मंडी और रुरल मार्केट पर जोर दिया गया है । सबसे बड़ी अहमियत इस बजट में रखती है, हमारे कृषि विभाग और हमारे कृषि उत्पादन में आज सबसे बड़ा हिन्डरेंस है, वह है पोस्ट हार्वेस्ट लौसेज हैं जो तकरीबन 25 से 30 परसेंट पोस्ट हार्वेस्ट लौस होता है अनाज के केस में 10 से 12 परसेंट होता है, जब सब्जी और फल की बात हम करते हैं तकरीबन 25-30 परसेंट हमलोग लौस करते हैं । उसके अलावा अगर इसके आंकड़े में वैल्यू निकाल ली जाय तो तकरीबन 30-35 हजार रुपया लौस करते हैं । हमारे बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने माइक्रो प्रोसेसिंग पर बहुत सारा जोर दिया है । लो लौसेज औन फार्म हुआ करता है, जो लौसेज ऐट दी फार्म गेट होता है, उस लौसेज को मिनिमाईज करने के लिए हमलोग किसान को प्रोमोट करेंगे कि दे शुड ट्राई टू इनवेस्ट द मनी औन दी माइक्रो प्रौसेस, उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन कृषि में किए हुए है । कृषि रोड मैप में बहुत सारे डिपार्टमेंट का एमलगमेशन भी है । एरीगेशन की एक बात करते हैं । हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करते हैं, आज के दिन में हमारे पास 55 लाख हेक्टर भूमि में खेती है जबकि पूरी भूमि हमारे पूरे बिहार में 99 लाख हेक्टर है । ये कितनी बड़ी बात है कि हमारी सरकार ने, एरीगेशन जो पिछले पाँच साल में तकरीबन 26.7 परसेंट एरीगेशंस प्रोवाईड किया है जो आज बढ़कर 30 लाख हेक्टर में हमलोग एश्योर्ड एरीगेशन कर रहे हैं । अगर हम बिजली की बात करें, आपने देखा महोदय, सरकार ने स्पेशल फीडर एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाईड कर रही है और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में बिहार शायद एक लीडिंग स्टेट होगा पूरे देश में, हमलोग वैसे अग्रिम राज्य में से होंगे, जो दूसरे को हम लोग खाना खिलायेंगे । बजट में हमलोग विशेष नहीं करेंगें । एक चीज महोदय, बता देना चाह रहे हैं हमारी प्रोडक्टिविटी इस साल राईस, व्हीट और ग्रेन को मिला देंगें तो पिछले साल से भी 10 गुणा ज्यादा हैं । शायद हमें अनाज खरीदने की बाहर से जरुरत है और न बाहर से मंगवाने की जरुरत है । सबसे अच्छी बात है जो हम सभी महोदय

को बताना चाहेंगे कि सर, दलहन प्रोडक्शन में बिहार आज लीड कर रहा है इंडिया में, अगर प्रोडक्टिवीटी दलहन का देखेंगे तो आज बिहार लीड कर रहा है सर, और हमें पूरी उम्मीद है सर आने वाले दिन में जो हमारा प्रोडक्शन है, वह हमलोग बढेंगे । महोदय, हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अनाज फल और सब्जी की बात नहीं कर रहे हैं, सर, सबसे बड़ी बात थी आज से कुछ दिन पहले कुछ साल पहले हमलोग मछली में डिपेंडेंट होते थे कि हैदराबाद से मछली आयेगी और बिहार के मार्केट में बेचेंगे और बिहार के लोग खायेंगे लेकिन आज खुशी की बात है हमारे यहॉ मछली की खपत है तकरीबन 5.6 लाख है और आज हमलोग मछली पैदा कर रहे हैं तकरीबन 5.1 लाख टन यानी आज हमलोग मछली में भी सेल्फ सफिसियेंट हो गए हैं। आज की स्थिति में हमलोग मछली भी बाहर से नहीं ला रहे हैं और मुझे उम्मीद है ..

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): शांति, अच्छी बात बोल रहे हैं । सुनिये न । जानकारी दे रहे हैं ।

श्री मेवा लाल चौधरी : महोदय, और दूसरी बात है कि यहॉ हमेशा मौनसून पर हमलोग डिपेंडेंट रहते हैं । क्रौप भी लौसेज होते हैं हमलोग इसके लिए इस बार हमारे वित्त मंत्री जी आदरणीय सुशील मोदी जी ने एक टारगेट किया है कि तरकीबन हम 10 लाख किसान को क्रौप इंन्श्योरेंस के अंदर कवर करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे ज्यादा किसानों को और अधिक क्रौप इन्श्योर हो जायेगा और हमलोग आगे बढ़ेंगे । हम सुन रहे थे हमारे माननीय सदस्य शिक्षा की बात कर रहे थे । अगर डेटा शिक्षा की ली जाय । हमारे यहॉ शिक्षा तीन तरह की होती है, एक प्राईमरी एजूकेशन होता है, एक सेकेंड्री एजूकेशन होता है और एक हायर एजूकेशन होता है । अगर प्राईमरी एजूकेशन और सेकेंड्री एजूकेशन की स्थिति मेल और फिमेल के रेशियो से देखा जाता है तो अगर पिछले पॉच साल का डेटा अगर देखें तो हमारे यहॉ जो लड़कियों का नामांकण हुआ है आलमोस्ट 3.8 परसेंट ज्यादा हुआ है बजाय लड़कों का जहॉ लड़कों का नामांकन सिर्फ 2.8 परसेंट हुआ है । अगर हम फिगर में कहें तो 21 लाख लड़के अगर एडमीशन लिए हैं तो 14 लाख लड़कियॉ एडमिशन ली हैं । चूँकि मेल और फिमेल का प्रोपोर्शनेट्ली जो पौपुलेशन के हिसाब से तो आज से 10 साल पहले जहॉ लड़कियॉ स्कूल नहीं जाया करती थीं जहॉ लड़कियॉ स्कूल से वंचित रहती थीं । उनके माता पिता स्कूल नहीं भेजना चाह रहे थे, आज हमारी बच्चियॉ इतनी प्रोग्रेसिव हो गयी हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं । ये सीधा सादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नीतीश बाबू का सपना है जो ऐसे फेलोशीप, पोशाक योजना फेलोशीप, किताब फेलोशीप, साईकिल योजना फेलोशीप के माध्यम से हमलोग प्रेरित किए हैं । अगर हायर एजूकेशन की बात करें माननीय सदस्यगण, आपको पता होगा कि हमारी सरकार

ने यह फैसला लिया था कि जितने भी कॉलेजेज हैं जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, वहॉ वाईफाई की सुविधा दी जाय और आज सभी कॉलेज में सभी यूनिवर्सिटी में वाईफाई की सुविधा होने जा रही है । वाईफाई सुविधा का बेसिक उद्देश्य था ताकि वह वर्ल्ड लेवेल एजूकेशन से अपने आप को अवगत करा लें और अवगत कराके भी आगे वे प्रौसेस करें । जैसा आपको पता है कि हमारी सरकार ने औलरेडी दो यूनिवर्सिटी बनोन का फैसला लिया है मुंगेर और पूर्णिया में जिसके कारण हायर एजूकेशन में हमलोग और आगे बढ़ेंगे । सर, सबसे बड़ी बात थी ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य मेवालाल चौधरी जी, सर के बदले सभापति महोदय कहेंगे तो अच्छा लगेगा । ये प्रोफेसर हैं ।

श्री मेवा लाल चौधरी : सभापति महोदय, हमलोग हायर एजूकेशन के लिए जो पहले बैंक पर आधारित हमलोग जो क्रेडिट कार्ड देते थे । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको और सुविधाजनक करने के लिए निगम क्रियेट किया ताकि बच्चों को बैंक का सहारा न लेना पड़े जो बैंक के कारण जो परेशान होते थे बच्चे वे नहीं जा पायें और आज इसलिए हमको सभापति महोदय, खुशी होती है कि बच्चे आगे आ रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा एजूकेशन जरुर आगे बढ़ेगा । सभापति महोदय, हमारे यहॉ यूथ की बहुत ज्यादा संख्या है । आपने देखा होगा तकरीबन 18 परसेंट हमलोग यूथ बिहार में है और यूथ को एक अच्छा डायरेक्शन देना, एक अच्छी ट्रेनिंग देना बिहार सरकार की जिम्मेवारी है । इसके लिए हमलोग हरेक प्रखंड में स्कील डेवलपमेंट इंस्टीच्युट खोले हुए हैं । उसकी अच्छी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हो उनको एक अच्छी नौकरी मुहैय्या हो और कोई अपनी दक्षता लेकर या अपनी अच्छी ट्रेनिंग लेकर अगर वो बैंक से ऋण लेकर कोई बिजनेश इशटैब्लिश करना चाहता हो तो उसको हमलोग मुहैय्या करा रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारी सरकार ने हरेक अनुमंडल में आई.टी.आई. इशटैब्लिश करने का फैसला लिया है । सभापति महोदय, हमको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे यहॉ जितने भी यूथ हैं जिनको हूनर है, उनके हूनर का हमलोग विकास कर एक अच्छे रास्ते में ले जायेंगे ताकि वे अपने आप पर आश्रित रहें और अच्छे से रोजगार कर लें । हमारी सरकार 7 निश्चय कार्यक्रम एक बेहद ही हमलोगों का, एक बहुंत बड़ा कार्यक्रम है । इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि सभी के घर में हमलोग शुद्ध जल उपलब्ध करायें । सरकार की प्रतिबद्धता है कि 2020 तक हमलोग करीब करीब सब के घर में शुद्ध जल मुहैय्या करायेंगे । आज की स्थिति यह है कि तकरीबन 4773 वार्ड में फ्लोराईड की मात्रा ज्यादा है । 2378 वार्ड में आर्सेनिक की मात्रा है, तकरीबन 20 हजार से ज्यादा वार्ड में रीच आयरन है । उसकी शुद्धता को मेंटेन करने के लिए सरकार ने इसके लिए स्पेशल लेबोरेट्री क्रियेट कर रही है । सरकार उसके लिए अवेयरनेस कैम्प तैयार कर रही है और सरकार उस पर विशेष जोर देकर 2020 तक

सरकार ने अपने खुद से उनको शुद्ध जल मुहैय्या कराने का भी प्रावधान करेगी । सरकार के ग्रामीण विकास विभाग का जो बजट है जिसमें बसावटों को जोड़ने की बात है जो एक अच्छी पहल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी जगह यह कार्य बहुत बेहतरीन रुप से चल रहे हैं । इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा है ताकि अपने प्रोडक्शन का, अगर रोड हमारी अच्छी रहें तो उससे ले जांय और उनको बाजार ले जाने में बहुत बड़ी सुविधा होगी । जहॉ तक हेल्थ सेक्टर की बात है ।

क्रमशः

टर्न–18/05.3.2018/बिपिन

श्री मेवालाल चौधरी : क्रमशः... सर, जहां तक हेल्थ सेक्टर की बात है, हमारी सरकार, जितने भी इंस्टीच्युट्स हैं, जितने भी हेल्थ सेंटर हैं उसको अपग्रेड करने का भी बजट में प्रावधान किया है । सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रीएट करना चाहती है, न्यू मेडिकल कॉलेज क्रीएट करना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि गांव की महिलाएं जो बाहर नहीं आ पाती थी उनके लिए हरेक अनुमंडल में ए.एन.एम इंस्टीच्युट खोलने की व्यवस्था है ताकि हमारी भी महिला, हमारी बहन और बेटियां भी उस इंस्टीच्युट से टेनिंग लेकर अपनी दक्षता लेकर वह भी आएं और या तो नौकरी करने का शौक है तो नौकरी करें या तो अपने आप में स्वावलंबी हों ।

महोदय, मेरा अपना मानना है कि यह बजट हमारे राज्य के लिए और देश में से एक ऐसी बजट है जो दर्शाता है कि बिहार आने वाले दिनों में एक विकसित राज्य होगा जो सपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है और वह दिन दूर नहीं है चाहे वह कृषि का विकास हो, चाहे स्वास्थ्य का विकास हो, चाहे वह शिक्षा, चाहे ग्रामीण रोड हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, जैसे उसमें हमलोग एक सेल्फ–हेल्प ग्रूप क्रीएट करने की जरूरत है जो हमलोग कर रहे हैं । महोदय, आजीविका में तकरीबन 6 लाख के आस–पास वहां पर ग्रूप है जिसको सरकार ने आगे बढ़ाकर 10 लाख करने का वायदा किया है और आने वाले दिनों में हमलोग दस लाख जीविका का समूह बनाएंगे और यह एक माध्यम होगा कि गांव–गांव में समाज के कुरीतियों को बताने के लिए, समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए ताकि हमलोग उसको आगे लेकर बढ़ेंगे । महोदय, समाज में बहुत बड़ी परिवर्त्तन आया है जबसे शराबबंदी हुई है और आज हमलोग शराब में सुख–चैन लेकर जो लोग पैसा शराब में खर्च कर दिया करते थे वह पैसा आज शिक्षा में खर्च हो रहा है, वह पैसा उनके रहन–सहन में खर्च हो रहा है । महोदय, यह बजट एक ऐसा बजट है जो पूरे बिहारवासियों के लिए एक बूम बनकर आई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट से सभी वर्ग के लोग, चाहे वह दलित हों, चाहे वह महादलित हों, चाहे वह जवान हो, चाहे वह किसी भी तरह का हो, उनको

फायदा होगा और यह आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा काम होगा । धन्यवाद महोदय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): तीन मिनट पहले ही सरेंडर कर गए ! आशाएं आपसे ज्यादा थीं आसन को । धन्यवाद ।

अब भारतीय जनता पार्टी । माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार । 13 मिनट ।

श्री जीवेश कुमार : सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पेश बजट प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपने नेता को धन्यवाद देते हैं कि हमको बोलने का यहां मौका मिला । नेता, प्रतिपक्ष आज यहां उपस्थित नहीं हैं, कुछ प्रश्न उनका उस दिन हो रहा था, हमलोग सदन में सुन रहे थे । हम सोचे कि आज कुछ बात उनको बताया जाए, जिस बात की जानकारी उनको है और अनजान बने हैं, हम तो विपक्ष में बैठे लोगों से कहना चाहते हैं, बता रहे हैं न, हम तो मिथिलांचल से आते हैं । मैथिली में एक बात पहले पूछ लें कि अब कहूं, मन कोना करइय ?

(व्यवधान)

सभापति (श्री इलियास हुसैन): आपस में द्वन्द्व करना कृपया मना है । आसन को देखकर बोलिए ।

श्री जीवेश कुमार: सभापति महोदय, आसन को देख कर पूछ रहा हूं कि अब कहूं, मन कोना करइय ? बताऊ । हम सब जखन उन्ने बैइसी, इ लाइन आदरणीय रामदेव बाबू नहीं हैं, परसों पढ़ रहे थे कि लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के अंग माने जाते हैं । हमलोग भी विपक्ष में थे और इधर से बराबर टीका-टिप्पणी होता था । अब अपने कोने में चले गए । ईश्वर क्या कमाल करता है, देखिए । उसी कोने में आप बैठ गए । सम्मान करना सीखिए एक दूसरे का ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन): कृपया बजट पर आईए माननीय सदस्य ।

श्री जीवेश कुमार: और 18 महीने में उसी कोने में चले गए । हुजर, मैं बजट पर ही आ रहा हूं। हम आग्रह करते हैं हुजूर, थोड़ी-सी शांति बनाएं, उनके पास बहुत समय है । अपने समय में अपनी बात रखें ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन): शक्ति जी, बिना आसन की अनुमति से कैसे बोल रहे हैं ?

श्री जीवेश कुमार: बीच में टीका-टिप्पणी न करें । अपने समय में अपनी बात रखें, बेहतर होगा।

(व्यवधान)

वाद-विवाद बढ़िया होगा हुजूर । अब देखिए हुजूर, इस सदन में दो तरह के लोग हैं हुजूर । एक हैं बिहार प्रेमी और दूसरा हैं परिवार प्रेमी । यह तो होना ही था हुजूर । अब बिहार प्रेमी एक तरफ बैठे हुए हैं, परिवार प्रेमी एक तरफ बैठे हुए हैं । ये लोग परिवार के आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं हुजूर ।

(व्यवधान)

अब सुना जाए हुजूर, अब इनके यहां तो फैशन है कि .....

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया शांति बनाए रखें । माननीय सदस्य, आपसे आग्रह है बैठिये । कृपया । सबको मौका मिलेगा बोलने का । कृपया शांत रहें । चलिए बजट पर आइए ।

श्री जीवेश कुमार: हुजूर, कमाल हो गया । इनके यहां तो परिपाटी है- यश इनके नेता का, अपयश अल्ला मियां का । इनका तो यही काम है । अब शांति से बैठें । हम तो बजट पर कुछ कहने वाले हैं।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया बैठ जाइए ।

श्री जीवेश कुमार: कृपया बैठ जाइए । अपने समय में तो आप कह नहीं पाए, हम कह रहे हैं तो टीका-टिप्पणी कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

बजट पर आ रहे हैं । माननीय नेता, प्रतिपक्ष, बजट पर आ रहे हैं । जब माननीय नेता, प्रतिपक्ष पथ निर्माण मंत्री थे तो मैं कई बार गया उनके यहां । उनके रेकॉर्ड में हमारा चिट्ठी पड़ा होगा हुजूर । हमलोग तो न्याय के साथ शासन चलाने के लिए सत्ता में आए, बिहार प्रेमी लोग अब एक साथ बैठे हुए हैं । बिहार को आगे बढ़ाएंगे लेकिन मैं जब पत्र लेकर गया हुजूर,जानना चाहते हैं हुजूर....

(व्यवधान)

सभापति(श्री इलियास हुसैन): माननीय सदस्य दोजानाजी, कृपया शांत रहिए ।

श्री जीवेश कुमार: हुजूर, सुनिये इनका न्याय । रेकर्ड पर होगा इनका न्याय, सुनिए । एक सड़क चलती है समस्तीपुर जिला के बिसनपुर से निकलकर अतरवेल होते हुए, जाले होते हुए, घोघराहा चौक तक जाती है, एक ही सड़क है हुजूर और उस एक सड़क में मैं निवेदन किया पथ निर्माण मंत्री जी से कि इस पूरे सड़क को, सब सड़क तो अपने मानक के हिसाब से साढ़े पांच मीटर पर आ गया है, एक यही एस.एच. बचा हुआ है, इसको कर दीजिए । उसमें आधा-आधी सड़क, सुनना भी कभी- कभी पसंद करिए, उसमें आधी सड़क आदरणीय भोला यादवजी के क्षेत्र में था । उसको तो उन्होंने कर दिया और जो

मेरा था उसको छोड़ दिया । यही उनका न्याय है । रेकर्ड में है यह बात । मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मुझे चुनौती दें । रेकॉर्ड पर है यह बात कि उनकी आधी सड़क ....

(व्यवधान)

बैठ जाइए न आप । बोलिएगा अपने समय में ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया शांति । बोलिए न, कृपया बोलिए ।

श्री जीवेश कुमार : मेरा जितना समय ये लोग खराब करें, उतना बढ़ा दीजिएगा, आसन से निवेदन है ।

हुजूर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ही सड़क का आधा ओ.पी.आर.एम.सी. में स्वीकृत है और आधा नहीं है । बताइए, इतना भेदभाव करके सरकार चलाइएगा आपलोग? अच्छा हुजूर, उस दिन ये कह रहे थे, सिद्दिकी साहब तो है ही नहीं, पहला बजट पेश किए थे इस विधान सभा में और उन्होंने कहा था कि –

'घर से मस्जिद है बड़ा दूर, चलो यूं करें,
किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए ।'

ईश्वर की कृपा देखिए– रोते बच्चे को हँसाने गए, बचवे ठेल दिया । तीन नम्बर में बैठते हैं इधर भी आकर । तो यह स्थिति है हुजूर और उन्होंने क्या कहा सो सुनिये हुजूर । भतीजा जो है, उस दिन उठकर चाचा को कहे थे । हम तो कहते हैं भतीजा जी को कि चाचा को धन्यवाद दीजिए

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य जीवेश जी ..

श्री जीवेश कुमार: सर, आ गए ।

सभापति (श्री इलियास हुसैन): इतनी प्रशंसा आप अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को करते तो यह कोलाहल पैदा नहीं होता ।

श्री जीवेश कुमार: कोलाहल नहीं होगा हुजूर, हम तो चाचा–भतीजे के बीच की बात कह रहे हैं हुजूर । हमने कौन सा... ?

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): आप बोलिए तो ।

(व्यवधान)

समीर जी, कृपया बैठिये ।

श्री जीवेश कुमार : हुजूर, भतीजे को चाचा को डेली प्रणाम करना चाहिए कि चाचा न होते तो आज वह नेता, प्रतिपक्ष नहीं होते और 18 महीने का जो तमगा लग गया उपमुख्यमंत्री का, वह भी ठनठने गोपाल रहता । लेकिन यह बात तो कहने पर ये लोग खिसिया जाते हैं । सही बात सुनने में तो इनको दिलचस्पी नहीं है ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया शांत रहिए माननीय सदस्य । वह भी अब नहीं भटकेंगे, शांत रहिए । अब रास्ते पर आ रहे हैं ।

टर्न : 19/कृष्ण/05.03.2018

(व्यवधान)

श्री जीवेश कुमार (क्रमश :) हम भटके हुये नहीं थे, हम तो मांग लेकर आये हैं महोदय ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री इलियास हुसैन) : शांति शांति । कृपया बैठ जाईये । बोलने दीजिये ।

श्री जीवेश कुमार : हुजूर, हम तो जरा छेड़ देते हैं तो ये गुस्सा हो जाते हैं । ये कत्ल भी करते हैं तो मुस्कुरा देते हैं । हुजूर, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय उपमुख्यमंत्री को कि अबतक का सबसे बड़ा बजट इस सदन में इन्होंने पेश करने का काम किया है और जो लोग हिसाब-किताब मांग रहे हैं, 1990 से 2005 तक शासन चलाने वाले लोगों को आज बजट पर बोलने के पहले 1991 का, 1992 का, 1993 का, 1994 का, 1995 का, 1996 का, 1997 का और 2005 तक का बजट पढ़कर आना चाहिए था कि आप की हिम्मत 50 हजार करोड़ की नहीं हुई और जब एन0डी0ए0 की सरकार आयी 2005 से तो बजट आज सात गुणा उपमुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में पेश करने का काम किया है।

(व्यवधान)

आप सुनिये । आप अपने टाईम पर बोलियेगा ।

सभापित (श्री इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, कृपया शांति रखें ।

श्री जीवेश कुमार : शिक्षा पर कोई माननीय सदस्य बोल रहे थे । बिहार सरकार शिक्षा पर 18 परसेंट अपने बजट में खर्च करने जा रही है । हम तो सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करेंगे कि आप भी हाई स्कूल के चेयरपर्सन हैं । उसको जरा ठीक करिये । वहां पैरेन्ट्स-टीचर्स मीटिंग बुलाना शुरू करिये । बुनियाद जब अच्छी होगी, नींव जब सुदृढ़ होगा तब कॉलेज, महाविद्यालय और अभियंत्रण महाविद्यालय की बात करियेगा । आपको जो पहले ठीक करना है, उसको पहले ठीक करिये । हम भी जानते हैं महासेठ जी । शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है । शिक्षा के क्षेत्र में 18 परसेंट का बजट सरकार ने लगाने का काम किया है ।

महोदय, बिहार सरकार ने 58 हजार समितियों को अप टू डेट करने का निर्णय लिया है जिसे आनेवाले समय में पूरा किया जायेगा । महोदय, कृषि के क्षेत्र में ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री इलियास हुसैन) : शांति शांति । बोलिये ।

श्री जीवेश कुमार : उस दिन नेता,प्रतिपक्ष उठ करके पूछ रहे थे हमारे आदरणीय पथ निर्माण मंत्री से कि आपने अपने बजट में कहीं टाईम नहीं बताया । मैं तो दो पुलों का उद्घाटन का 11 जून तय कर दिया था । हमको लगता है कि उनका संशोधन देनेवाले ने इस बजट को पढ़ने का काम नहीं किया, चुपचाप संशोधन दे दिया । आप अगर देखेंगे तो पथ निर्माण विभाग एक-एक काम पर समय-सीमा इसमें निर्धारित किया हुआ है । बिना पढ़े संशोधन इस सदन का प्रतिपक्ष नेता अगर सदन में पेश करेगा तो बाकी सदस्यों का क्या होगा, यह बात हुजूर समझिये । इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि कब कौन-सी योजना हम पूरी करनेवाले हैं ।

हुजूर, युवाओं के क्षेत्र में सरकार युवाओं के लिये अभूतपूर्व काम कर रही है, अद्भूत काम कर रही है । सरकार हर शहर के अंदर अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक कॉलेज, महिलाओं के लिये उचित व्यवस्था करके महिला पॉलिटेनिक कॉलेज की शुरूआत कर रही है । इंटरनेट के बिना हमारा जीना दुर्लभ है । इंटरनेट की सुविधा सरकार उपलब्ध करा रही है । हर ब्लौक तक, हर पंचायत तक ऑप्टिकल फाईबर पहुंचाने का काम सरकार कर रही है । और तो और हुजूर, फिल्म के क्षेत्र में भी राजगीर को फिल्म सिटी के रूप में डेवलप करने का सरकार का प्रस्ताव है । खेल के क्षेत्र में अगर देख जाय तो राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खेल का मैदान, स्टेडियम बनाने की योजना है ।

महोदय, कुछ देर पहले चिकित्सा की बात हो रही थी ।

(व्यवधान)

बिहार की राजधानी में मोईनुल हक स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जायेगा । चिन्ता नहीं करिये और जरा सुनिये । चिकित्सा की बात हो रही थी । इनलोगों को पूछना चाहिए था कि 18 महीना तक चिकित्सा का क्या हाल हुआ था, जरा समझ तो लेते । उस समय पी0एम0सी0एच0 और डी0एम0सी0एच0 की क्या हालत थी। इनको पूछना चाहिए था और जब हम आज बिहार के अंदर पी0एम0सी0एच0 को इन्टरनेशनल मानक का अस्पताल बनाना चाहते हैं तो इनका कलेजा क्यों फट रहा है ? आप सहयोग करिये । पी0एम0सी0एच0 बने, हम तो सरकार से मांग करते हैं कि पी0एम0सी0एच0 जैसा अस्पताल डी0एम0सी0एच0 में भी बनवा दीजिये । दरभंगा तो पूरे उत्तर बिहार के लिये चिकित्सा में नामी जगह रहा है । उत्तर बिहार ही नहीं, नेपाल के 14 जिलों के लोग आज भी वहां ईलाज कराने आते हैं । इनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे 18 महीने, बासुरी बजा रहे थे । उनसे इनको पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई । हुजूर, हम तो शुरू में ही कह दिये कि ये लोग परिवार प्रेमी है, हमलोग बिहार प्रेमी हैं । तो हमलोग बिहार के विकास की बात कर रहे हैं और ये लोग परिवार के विकास की बात कर रहे थे ।

सभापति (श्री इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य आपका समय दो मिनट रह गया है ।

श्री जीवेश कुमार : हुजूर, अभी तो हम शुरू ही किये हैं । इनका समय काट दीजिये । स्वास्थ्य की बात करेंगे तो भरोसा रखें । स्वास्थ्य में इसी वित्त में जब अगला वित्त प्रस्तुत करेंगे वित्त मंत्री जी तो स्वास्थ्य का चमत्कार आप देखेंगे और हम स्वास्थ्य मंत्री तो हैं नहीं, लेकिन सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक आर0एम0पी0 जिसको झोला छाप डाक्टर कहते थे, कई बार उसका धरपकड़ शुरू कर देते हैं । महोदय, अपने बिहार में डाक्टर की भारी किल्लत है । हम निवेदन करेंगे उन आर0एम0पी0 झोला छाप डाक्टर को भी आप मेडिकल कॉलेज के माध्यम से कुछ ट्रेनिंग दें, अभी जो सरकार योजना बना रही है कि पांच मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर खोलने जा रहे हैं तो पांच नये मेडिकल कॉलेज के माध्यम से और डाक्टर आयेंगे जबतक नये डाक्टर हमारे पास आयेंगे तबतक हम समझते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस करनेवाले जो हमारे डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसनर हैं, उनको वेलइक्वीप्ड करके ।

सभापति (श्री इलियास हुसैन) : कृपया भाषण समाप्त करें ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, एक मिनट और बोलने दिया जाय । बहुत मुझे डिस्टर्ब किया गया है।

सभापति (श्री इलियास हुसैन) : आप इधर देख कर बोलिये न ।

श्री जिवेश कुमार : आपको ही देख रहा हूं हुजूर । महोदय, सरकार से एक-दो जनहित की मांग करता हूं । शोभन से मकिया तक दरभंगा जिला मिथिलांचल का लाईफ-लाईन है । शोभन से मकिया तक जो खिरई नदी का पश्चिमी तटबंध है, उसपर बांध का उन्नयन हो चुका है । उसके ऊपर पक्की सड़क का निर्माण कर देने से सीतामढी, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर चार जिलों के लोग लाभान्वित होंगे । उसको जोड़वा दिया जाय ।

सभापति (श्री इलियास हुसैन) : आप लिखित दे दीजियेगा । एक मिनट सरप्लस हो गया । सरकार को लिखित दे दीजिये ।

श्री जिवेश कुमार : एक मिनट । एक मिनट में खत्म कर देते हैं । जाले बाजार का बाईपास बनवा दिया जाय । जाले और सिंघवाड़ा दो ब्लॉक है हमारा, वह 25 और 26 पंचायत का ब्लॉक है, उसको दो-दो ब्लौक में कंवर्ट कर दिया जाय ताकि सरकार का जो विकास का मंत्र है सात निश्चय, उसको तेज गति से जमीन पर पहुंचा सकें । यही आपसे निवेदन है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

सभापित (श्री इलियास हुसैन) : इन्डियन नेशनल कांग्रेस, 20 मिनट । माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे ।

श्री विजय शंकर दूबे : सभापति महोदय, आज सदन में राज्य के उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट पर आय-व्यय पर बहस में हिस्सा लेने के लिये आसन से मेरा नाम पुकारा गया है । आसन को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं ।

महोदय, आय-व्यय के डिसकसन में, चर्चा में मैं विपक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । विपक्ष में महोदय, मैं इसलिए बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भारत की अर्थ-व्यवस्था हो या राज्यों की, राजा को वही करना चाहिए, जो प्रजा को अच्छा लगे । उस सिद्धांत के प्रतिकूल यह बजट है । महोदय, राज्य के कोषाध्यक्ष को यानी वित्त मंत्री को आय के स्रोत की जानकारी होनी चाहिये जो बजट में नहीं दर्शाया गया । महोदय, एक लाख से ऊपर के बजट की चर्चा की जाती है । कहा जा रहा है

क्रमश :

टर्न-20/सत्येन्द्र/5-3-18

श्री विजय शंकर दूबे(क्रमश:): कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का बजट सरप्लस बजट है और वह महोदय सरप्लस बजट कैसे हुआ ? क्या ये सरकार जब से एन0डी0ए0 की हुकूमत बन गयी है, महागठबंधन की हुकूमत को समाप्त कर के एन0डी0ए0 की हुकूमत आ गयी तब से ये सरप्लस बजट करने का अवसर मिल गया । ऐसा नहीं है महोदय, मैं महोदय बताना चाहता हूँ कि आयकर में हिस्सेदारी राज्य की बढ़ी है और वह हिस्सेदारी महोदय 2004 से लेकर के ऑनवार्ड यानी 2004 से लेकर 2014 तक यू0पी0ए0 की सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और 2014 तक केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी लगभग 50 करोड़ से 747 करोड़ हो गयी थी इसलिए बजट का बढ़ना स्वाभाविक है और धन्यवाद तो सदन को, उपमुख्यमंत्री जी को धन्यवाद मनमोहन सिंह को और सोनिया गांधी को करना चाहिए जिससे देश के केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ी। वह मनमोहन सिंह और यू0पी0ए0 सरकार में गार्डिगल फार्मूला के बाद मिला । ये बात सत्य है महोदय तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि योजना का आकार, बजट का आकार राज्य में बढ़ना स्वाभाविक है । पिछली हुकूमत में महोदय राज्य का मैनडेंट महागठबंधन को था । आज भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण सत्ता में बैठी हुई लेकिन राज्य की जनता का मैनडेट इनके पक्ष में नहीं है और महोदय, मुख्यमंत्री नीतीश जी आर0जे0डी0 के नेता लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने महागठबंधन की स्वीकृति दी, महागठबंधन के नाम पर मैनडेट मांगा गया और जिस वक्त महागठबंधन था । आज आर0जे0डी0 के नेता लालू प्रसाद यादव जी को और उनके बारे में चर्चा की जाती है न्यायिक प्रक्रिया के अन्दर कांग्रेस को न्याय में विश्वास है, न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास है, न्यायपालिका के प्रति आस्था है, मैं कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता हूँ लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस दिन महागठबंधन बना था उस दिन भी लालू प्रसाद यादव जी टेंटेड थे, महागठबंधन बन गया चुनाव में साथ रहे और मैनडेट के प्रतिकूल फिर बी0जे0पी0 के साथ साझेदारी करना,

गलबांही करना जनता के मैनडेट के प्रतिकूल है अपमान है जनता का, आखिर लोकतंत्र महोदय रहेगा या नहीं रहेगा? सत्ता आनी जानी है भारतीय लोकतंत्र में केवल जीत ही लोकतंत्र नहीं है महोदय, भारतीय संविधान में और भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में संसदीय प्रणाली में हार और जीत दोनों लोकतंत्र का अंग है और हार जीत होती रहती है आगे भी होती रहेगी, सत्ता आनी जानी है लेकिन लोकतंत्र के गला घोटने का काम किसी दल को करने का अधिकार नहीं है । महोदय, व्यक्ति हो या पार्टियां हों, आखिर लोकतंत्र को जीवंत बनाने की बात आज देश के प्रधानमंत्री को याद आता है, प्रधानमंत्री जी पहले कहा करते थे- खाते हैं न खायेंगे, न खाने देंगे और आज महोदय आपको पता होगा । आज मोदी जी कहते हैं-कि खायेंगे न खाने देंगे, पैक माल जाने देंगे भारत से । महोदय, आज देश में क्या हो रहा है, कैसे नीरव मोदी चले गये, कैसे भाग गये विजय माल्या, कैसे भाग गये और कौन कौन, देश के करोड़ों करोड़ पूंजी लेकर देश से लोग चले गये, भारत की हुकूमत को लानत है कि ऐसे लोग 33 हजार करोड़, 11 हजार करोड़, 12 हजार करोड़ रू0, पी0एन0बी0 दिवाला हो गया, भारत के खजाने के पैसे चले गये, कौन जवाबदेह है, कहीं न कहीं इस पर विचार करना होगा । महोदय, अब मैं बिहार की ओर आता हूँ, वित्त मंत्री जी जो बजट पेश किये हैं वह सरपलस बजट है, पैसे अधिक है लेकिन किन किन विभागों का पैसा, पिछले बजट की तुलना में किन किन विभागों का पैसा कटा है महोदय, ऊर्जा विभाग का पैसा कम हुआ है, लघु जल संसाधन विभाग का पैसा कम हुआ है, कृषि विभाग का पैसा कम हुआ है और ये सिटी बनाने की बात करते हैं, नगर विकास विभाग का पैसा कम हुआ है, खनन और भूतत्व विभाग का पैसा जीरो हुआ है, कला संस्कृति विभाग का पैसा कम हुआ है और अल्पसंख्यक विभाग का महोदय 26 प्रतिशत पैसा कम हुआ है अगर बढ़ोत्तरी के हिसाब जोड़ ली जाय तो अल्पसंख्यक विभाग का 35 प्रतिशत पैसा कम हुआ है । बिहार के अल्पसंख्यकों को क्या संदेश देना चाहती है सरकार? क्या संदेश देना चाहती है मुल्कों को, अल्पसंख्यक विकास के पैसे क्यों कटे, सरप्लस पैसे हैं तो पैसे क्यों कट रहे हैं, ये महोदय, वित्त मंत्री को बताना होगा कि ये पैसे कट गये, आप कौन सा विकास करना चाहते हैं? महामहिम राज्यपाल जी ने महोदय एक दिन पहले कल इसी कैम्पस में राज्यपाल को महोदय नियोक्ता माना जाता है । सरकार महामहिम राज्यपाल की है नियोक्ता हैं वे और राज्यपाल जी ने क्या कहा इसी कैंपस में, कौन्सिल के कैम्पस में, महामहिम ने कहा कि प्रदेश की किसानों की माली हालत खराब है, यहां कृषि रोड मैप बन रहा है, आना जाना कुछ नहीं ये महोदय राज्य के हालात हैं। बिजली के क्षेत्र में विकास हुआ है, रोड के मामले में विकास हुआ है, जहां विकास होने की संभावना है, विजेन्द्र यादव जी बोल नहीं रहे है, मौन साधे हुए हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) क्यों नाम ले रहे हैं, अपना वक्तव्य जारी रखिये ।

श्री विजय शंकर दूबेः सभापति महोदय, इसलिए मैं नाम लेता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बिजली विभाग में काम हुआ है वहां तो और पैसा देना चाहिए था, ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नाम ले रहा हूँ, महोदय जहां काम हो शिक्षा के क्षेत्र में देखिये, आज शिक्षा की हालत क्या है ? मैं छपरा डिवीजन से आता हूँ । छपरा में जे0पी0 यूनिवर्सिटी है, वहां की परीक्षा की हालत यह है कि इंटरमीडियेट का परीक्षा चार वर्ष पीछे चल रहा है । चार वर्ष में लड़के महोदय, इंजीनियर बन गये होते, डॉक्टर बन गये होते, मुख्यमंत्री जी प्रमंडलीय समीक्षा में गये थे, दोबारा भी गये । मैं इस सवाल को प्रथम बैठक में भी उठाया था, कौन जवाबदेह है इसके लिए? किसी न किसी की जवाबदेही लेनी होगी, परीक्षा समय पर नहीं होगी बार-बार कहने पर भी, आज चार वर्ष पीछे है तो शिक्षा में क्यों पैसे दिये जायें ? राज्य के पैसे की बर्बादी क्यों हों, शिक्षा में कोई गुणात्मक सुधार होने वाला नहीं है, शिक्षा विभाग में अव्यवस्था फैली है, इंटरमीडियेट कौन्सिल, मैट्रिक बोर्ड का चेयरमैन कौन है ? पटना के कमिश्नर, गृह विभाग में जेल विभाग वही देखते हैं और आई0जी0 प्रिजन है, इतना विभाग उनके पास है और फिर शिक्षा का सारा जिम्मेदारी बोर्ड को है, क्या बोर्ड में फैसले हो पाते हैं ? नहीं हो पाता है, छात्र परेशान है, सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता समय पर, कोई दरख्वास्त दे कोई अमेंडमेंट करने के लिए तो समय पर कोई परिणाम नहीं मिलता है तो महोदय, ये हालत है शिक्षा विभाग का।(क्रमशः)

टर्न-21/मधुप/05.03.2018

... क्रमशः ...

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि राज्य की स्थिति क्या है अपराध के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में । अपराध में गुणात्मक बढ़ोत्तरी होते जा रही है चाहे डकैती हो, रोड रॉबरी हो, रोड एक्सीडेंट हो, अपहरण हो । विधायकों को धमकाने की बात फिरौती के लिए, मंत्रियों को घेरा जाता है, लॉ एण्ड ऑर्डर ठीक है यह कहा जाता है, आखिर सरकार के पैसे का दुरूपयोग क्यों हो ? पुलिस डिपार्टमेंट पर इतने व्यय क्यों किये जायं? इसकी सार्थकता बतानी चाहिये वित्त मंत्री को इन सारी चीजों के उत्तर देने चाहिये, चूंकि वित्त मंत्री हैं, राज्य के कोषाध्यक्ष हैं, इनको बताना चाहिये । अपने भाषण के क्रम में मोदी जी बतायेंगे । मोदी जी यह भी बतायेंगे कि जब सरप्लस बजट है, विधायकों के क्या हालत हैं ? मोदी जी जब यहाँ बैठते थे, विभागों की ओर से परिपाटी पूरे देश के विधान सभाओं में है, संसद में है, माननीय सदस्यों को विभागों की ओर से छोटा-मोटा गिफ्ट दिये जाते थे । मोदी जी वहाँ थे विरोध कर दिये, अब तो राज्य के वित्त मंत्री हैं, खजाना के मालिक हो गये, सरप्लस बजट पेश किये हैं, इनके पास पैसे बचे हुये हैं, विधायकों की कुछ अपेक्षाएँ हैं क्या उसकी पूर्त्ति करेंगे ? नहीं करने वाले हैं, कंजूसी में

मोदी जी कुछ करने वाले नहीं हैं । राज्य के कोषाध्यक्ष को, वित्त मंत्री को उदार होना चाहिये, उदारता दिखानी चाहिये, कहने से नहीं होगा, सरप्लस बजट कह देने से नहीं होगा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, महोदय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा । आपने मुझे इशारा कर दिया। वित्त मंत्री जी बड़ा खूबसूरत बक्सा में ले आये थे अपना बजट और यह बक्सा वित्त विभाग ने इन्हें सुपुर्द किया था । अपने बक्सा ऐसा रख लिया और माननीय सदस्यों को बक्सा देने में कंजूसी करने वाले हैं, यह बक्सा वित्त विभाग में till today नहीं लौटा है । महोदय, राज्य के खजाना के अध्यक्ष को इतना कंजूस नहीं होना चाहिये, उदारता रखें, वहाँ बैठने वाले व्यक्ति को उदार होना चाहिये मुख्यमंत्री हों या वित्त मंत्री हों ।

इन्हीं शब्दों के साथ महोदय, आपका सिगनल हो गया, बाद में आप लाल बत्ती जलायेंगे उसके पहले मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ । मैंने जो कुछ भी कहा तथ्यों के आधार पर कहा । आज यू0पी0ए0 की वजह से पूरे देश में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ी है केन्द्रीय करों में और राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ी तो सोनिया गॉधी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि राज्यों की जो हिस्सेदारी हम दे रहे हैं वह उदारता से, वह कोई भीख नहीं है, राज्यों के केन्द्रीय कर में अधिकार है । आज हमारा जो केन्द्रीय कर में हिस्सेदारी मिली है राज्य का बजट..... (व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : बोलने दीजिये ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ । राज्य के केन्द्रीय कर में 1 लाख का बजट, मोदी जी यह नहीं बताये हैं पूरे बजट किताब में कि राज्य की आमदनी क्या है, कुछ नहीं है । यह टोटल बजट केन्द्रीय कर के रूप में, यह भिक्षा नहीं है, राज्य की हिस्सेदारी अधिकार है, केन्द्रीय कर से 76,172 करोड़ रू0 इनको मिले और शेष पैसे बाजार से उधार लेकर, दोनों को जोड़कर यह किताब छपवा लिये और बजट तैयार कर दिये, यही बजट है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें, अब हो गया ।

श्री विजय शंकर दूबे : राज्य की अपनी आय क्या है बजट में इसका सर्वथा अभाव है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज प्रसाद जी, आपका समय 15 मिनट है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, सरकार जो बजट लाई है, सरकार जितना पैसा माँग रही है वह नहीं मिले, उतना सरकार खर्च करने में सक्षम नहीं है इसलिये बजट के खिलाफ मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति महोदय, इस बजट की हकीकत है कि यह बजट केन्द्रीय कर और कर्ज पर टिका हुआ यह बजट है । अभी कह रहे थे माननीय सदस्य, निश्चित तौर पर यह बजट केन्द्रीय कर और कर्ज का बजट अनुमान्य है । सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बजट में न उद्योग के लिये कोई दिशा-निर्देश है कि सरकार उद्योग की दिशा में क्या करेगी, सरकार बेरोजगारों के लिये क्या करेगी । यह बजट उद्योग विहीन है, रोजगार विहीन है । यकीनन बजट सिर्फ सरकार के कामों का लेखा-जोखा नहीं होता है, सरकार का यह दस्तावेज भी होता है कि कोई भी सरकार जो सत्ता में बैठी होती है, जो बजट लाती है तो उससे झलक मिलता है कि यह सरकार क्या करना चाहती है, किसके पक्ष में काम करना चाहती है । मुझे लगता है कि इस बार 2018-19 का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने लाया है, यह नीतीश मुक्त बिहार बनाने का बजट है चूंकि जिस अभियान पर मोदी जी निकले हैं, मोदी जी की पार्टी निकली है, यह इनका अभियान है, कह रहे हैं कि हम विपक्ष विहीन भारत बनाना चाहते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस विहीन भारत बनाना चाहते हैं, यह जो बजट है, इसमें जो झलक है वह नीतीश विहीन बिहार बनाने का झलक है । इसमें कहीं भी नीतीश कुमार नहीं झलकते हैं । चूंकि यह बजट अल्पसंख्यक विरोधी है, यह बजट पिछड़ा विरोधी है, यह बजट अति पिछड़ा विरोधी है । (व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : रामानुज जी, आसन की तरफ देखिये । उधर कहाँ भटक रहे हैं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : मैं कह रहा हूँ कि यह जग-जाहिर है कि यह सरकार किसके पक्ष में काम करेगी, कैसा भारत बनाना चाहती है । बोल रहे हैं, सब लोग देख रहा है । प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट पर क्या बोल रहे हैं, घबराइये नहीं अगर पूरब में सूरज उगता है तो पश्चिम में डूबता है और ये पश्चिम में डूबने जा रहे हैं । नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट पर मत इतराइये, नॉर्थ ईस्ट के लोग केन्द्र पर देखते हैं और आपकी हालत - मिल गये माया-मुलायम, अब कहाँ रहेंगे जय श्रीराम । आप देखते रहिये । पहले कहा गया था - मिल गये मुलायम-कांसीराम, कहाँ रहेगा जय श्रीराम । अब मिल गये माया-मुलायम । आपने जो देश की स्थिति बनाई है, वह नहीं रहने वाला है । (व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया शांत रहें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अब आप यह ख्वाब छोड़ दीजिये लेकिन हमलोगों को अफसोस है कि यह जो बजट है, यह बजट नीतीश विहीन बिहार बनाने वाला बजट है । इसमें जो बजट का रूप-रेखा आया है, इसमें जिस तरह से केन्द्र में बैठी सरकार हज सबसिडी खतम करती

है, जिस तरह से केन्द्र में बैठी सरकार अल्पसंख्यकों को रोज चिढ़ाने का काम करती है, उसी तरह से इस बजट में भी, माननीय सुशील मोदी जी के बजट से यह झलक मिल रहा है । सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं कि यह बजट जो 22 हजार करोड़ रूपये लगभग कर्ज के अनुमान पर है, 1.25 लाख करोड़ रूपये केन्द्र से अनुमानित है, इसमें इन्होंने जो बातें करी है, जो भी इन्होंने फ्रेम किया है, कर्ज का जो अनुमान और रूप-रेखा रखा है सदन के सामने, अभी एक साथी कह रहे थे, मैं नोट कर रहा था, एक साथी कह रहे थे कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ, 1990 से 2005 तक का ये लेखा-जोखा माँग रहे थे । ...क्रमशः ....

टर्न-22/आजाद/05.03.2018

..... क्रमशः .....

डॉ0 रामानुज प्रसाद : माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूँ, ये सदन को बतावें कि साहेब 1990 से 2005 तक जो फाईनेंसियल मैनेजमेंट था, पैसे कितने आते थे, केन्द्रीय कर राजस्व कितना था और राज्य का क्या स्रोत था, क्या हमलोगों ने 2005 में 32-33हजार करोड़ रू0 का सरप्लस एमाऊंट खजाना में नहीं छोड़ा था क्या ? ये वित्त मंत्री जी को माननीय साथी को बताना चाहिए कि उस समय कितने स्कीम ड्राईव हो रहे थे, आज कितने स्कीम ड्राईव हो रहे हैं ? आज किस-किस मद में केन्द्रीय मद से राजस्व हिस्सा मिल रहा है, उस समय कितना मिल रहा था, आप कहते हैं काम हो रहा है, रंग-रोगन करके आप कहते हैं कि विकास कर रहे हैं । यह ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा था उस दिन कि आप स्कैम मैनेजमेंट वाली सरकार हैं, आज यह जगजाहिर है। जो अनुमान लेकर आते हैं, जो बजट का आकार लेकर आते हैं वह खर्च तो नहीं कर पाते हैं और इस बार का नजीर भी मैं रखने वाला हूँ । आप पार करते रहे हैं, यह जगजाहिर है कि आप एमाऊंट को एलोकेशन को पार करते रहे हैं, कभी आप निगम बनाकर के ,कभी आप एन0जी0ओ0 के खाते में और सृजन कराते रहे हैं माननीय वित्त मंत्री जी का इनभौल्वमेंट रहा है सृजन में, शौचालय घोटाले में, इन सब लोगों ने देखा कि ओ0डी0एफ0 की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्वच्छ भारत बनायेंगे, कैसे बनेगा स्वच्छ बिहार, इसका भी नजीर है । इसमें बातें जितनी भी हो गई हो, ...

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य आपत्तिजनक बात कह रहे हैं .....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज प्रसाद, व्यक्तिगत तौर पर टिका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, यह बजट पूरा का पूरा जो है, डाटा जुगलगरी है, ये आंकड़ों की जुगलगरी है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है । अगर विषयवार देखा जाय, मैं आना चाहता हूँ सभापति महोदय, यह जानना चाहता हूँ और परिणाम बजट पर मैं आना चाहता हूँ, विषयवार आपने जो अनुमान्य निर्धारित किया है और उसमें परिणाम क्या आते रहे हैं, आपके कार्यकाल का .....

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, कृपया शांति-शांति । माननीय सदस्य, कृपया शांति, बैठ जाईए । माननीय मंत्री जी, शांति-शांति । कृपया अपने मेम्बर को बोलने दीजिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मैं कह रहा हूँ कि तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ, यह सरकार पाप करती रही है और खर्च का जो मिसयूज होता रहा है और खर्च के मिसयूज पर बहुत पहले न सिर्फ कई संस्थाओं ने बल्कि सी0ए0जी0 ने भी आगाह किया था इस सरकार को और यह सरकार अधिनायकवादी रूप में 2012 में ही सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, मोदी जी की सरकार, अब तो मैं कहता हूँ कि मोदी जी-नीतीश जी की सरकार, क्योंकि यह बजट नीतीशमुक्त बिहार की ओर बढ़ रहा है । यह जो 2012 में ही इन लोगों ने लाया था सी0ए0जी0 नहीं करके, इनका अधिकार छिनकर के कोषागार को सौंप दिया था, ए0सी0/डी0सी0 बिल उसका दृष्टांत था, उसका एक्जामपुल था कि ए0सी0/डी0सी0 बिल पर इनकी मितव्ययिता का, इनके घपले-घोटाले का, इनके खर्च करने के तरीके पर जब सी0ए0जी0 ने ऊंगली उठाने का काम किया था तो इनके अधिनायकवादी सरकार जो महालेखाकार के अधिकार को छीनकर के और इन लोगों ने कोषागार को सौंप दिया था तो कैसे यह कह सकते हैं, कहने के लिए तो रोज यह सरकार कहती है कि जीरो टोलरेंस की सरकार है लेकिन हम कहना चाहते हैं वाह रे जीरो टोलरेंस वाले सुशासन बाबू, वाह रे वाह लालकेश्वर पालते हैं, आप परमेश्वर पालते हैं, आप बटेश्वर पालते हैं, आप मनोरमा देवी जैसे मनोरम नृत्य करने वाले लोगों का जखीरा रखते हैं, आप टोली रखते हैं और आप कहते हैं जीरो टोलरेंस की सरकार है, ऐसा लोगों को बरगलाने का काम नहीं करिए, राज्य की जनता देख रही है और सबक सिखायी थी और आज हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि काम पर और सुशासन पर अलग होकर के लड़कर देख लिया था । जो यह मोदी जी...

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय रामानुज बाबू, कृपया सुनिए, आप पढ़े-लिखे काबिल आदमी हैं, एकबार समझाने के बाद यह सामान्य मंच नहीं है, यह विधान सभा है, हिदायत है कि आप हमारे तरफ एकाग्रचित होकर बोलें, क्या घूम-घूम कर तकरीर कर रहे हैं । खुद प्रोवोक कर रहे हैं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : नहीं सभापति महोदय, मैं आपके तरफ ही मुखातिब होकर कह रहा हूँ .....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : शांति-शांति । कृपया शांति रहिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मैं विषयवार आना चाहता हूँ, यह सरकार फाईनेंसियल मैनेजमेंट के बारे में वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में कह रहे थे कि कुशल वित्तीय प्रबंधन का देन है, आप कुशल वित्तीय प्रबंधन की बात उठा रहे हैं अपने भाषण में कह रहे हैं, आपने किताब में लिखा है । यह जो फाईनेंसियल मैनेजमेंट है, क्या यह आपका ही देन है कि केन्द्र में बैठी हुई यू0पी0ए0 की सरकार ने लाया था, बिल लाया था कि फाईनेंसियल मैनेजमेंट कमीशन बनाकर और केन्द्र में भी वित्तीय प्रबंधन की बात की गई थी और राज्यों को भी निर्देश दिये गये थे कि साहेब वित्तीय प्रबंधन करो, अन्यथा केन्द्रीय कर, केन्द्रीय राजस्व एवं केन्द्रीय हिस्सेदारी रोक दी जायेगी । इसके बावजूद आपने उसमें लिकेज छोड़ा, फाईनेंसियल मैनेजमेंट के निर्देशन के बाद, जो पैसे मिलते हैं, यह कोई भूल जायेगा । हमारे साथी जो कह रहे थे कि पैसे 1990 से 2005 तक कोई भूल जायेगा । इसी गॉधी मैदान में जब माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी आये थे, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री 2005 में श्रीमती राबड़ी देवी ने पैसे की मांग की थी राज्य के लिए, आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय के रेल मंत्री थे और उन्होंने मंच से अपने भाषण में इतने भी धैर्य नहीं रख सके थे कि इन्होंने कहा था कि पैसा मत दीजिए, पैसा मत दीजिए, लोग खा जायेगा । आप विपक्ष में थे, देखते, निगरानी करते, प्रधानमंत्री जी निगरानी करते और ये पैसा रोकवाते थे और इससे ज्यादा इनका पोल इनके साथी श्री ललन सिंह अभी सदन में नहीं हैं, जब ललन सिंह हट करके और लोग हट करके, प्रभुनाथ सिंह हट करके जब किसान महापंचायत लगाये थे तो हम अलग से हट करके उनका भाषण सुना था, ललन सिंह जी, प्रभुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि ये ऐसा व्यक्ति है, कृष्ट व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है श्री नीतीश कुमार जो राज्य के हित में भी काम करने के बजाय अहित में ज्यादा दिन काम करते रहे, अपने को लाने के लिए यह काम करते रहे । प्रधानमंत्री जी को ऐसे कम्पेल करते रहा, राज्य को पैसा नहीं आने दिया, कैसे कहते हैं आप, कितने पैसे आते थे उस समय, आज कितने पैसे आ रहे हैं, कौन-कौन स्कीम ड्राईव हो रहे हैं, क्या उस समय था बी0आर0जी0एफ0, क्या उस समय था मनरेगा, यू0पी0ए0 की सरकार ने, हमारे नेता, हमारी पार्टी ने पार्टिसिपेट की और उसमें उस पार्टिसिपेशन का इमपेक्ट हुआ कि हमारे नेता ने और हमारी पार्टी के मंत्रियों ने जो पम्प करने का काम किया, जो-जो पैसे दिये राज्य में, उस पैसे से रंग-रोगन करके आप प्रचार करते रहे । प्रचारवीर, घोषणावीर, बयानवीर बनते रहे, सारे लोगों ने देखा है, यह रेकोर्ड का पार्ट है, आप बताईए कि आपने कितने राजस्व प्राप्ति किया है । जो था थोड़ा बहुत, कभी कहते थे कि हम 350करोड़ से हम 35000 करोड़ पर ले गये, कभी कहते थे कि हम 5000 करोड़ पर ले गये, उसपर भी आपको जब मन हुआ कि हम देश में शराब बेचें तो बेचें और जब मन हुआ कि शराब नहीं

बेचें तो उस राजस्व को भी खतम कर दिया । बेचते चले शराब, वह भी नहीं बेच सकें तो उसको शिफ्ट कर दिया । मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय, यह सरकार बात कर रही है, किसी भी मद में आप देख लें जो एलोकेशन है, अगर हम परिणाम बजट पर आ जायं तो आज शिक्षा में जो हमारा एलोकेशन है, एग्रीकल्चर में जो एलोकेशन है, हेल्थ के सेक्टर में हमारा जो एलोकेशन है, क्या परिणाम है ? आप जी0डी0पी0एस0 दिखला रहे हैं , जी0डी0पी0एस0 तो बढ़ेगा ही, जब लोग हमारे बीमार पड़ेंगे, जब हमारा स्वास्थ्य का, हेल्थ का इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं रहेगा, जब हम अस्पताल में सर्विस प्रोवाईड नहीं करेंगे तो लोग मार्केट में जायेंगे, लोग डॉक्टर से दिखलायेंगे, लोगे फीस देंगे, लोग दवा खरीदेंगे तो आपका जी0डी0पी0एस0 बढ़ेगा लेकिन लोगों का क्या होगा? यहां शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात ले लीजिए तो आप सर्वशिक्षा अभियान में आपने जो अलग से दर्शाया है कि शिक्षा में जो आपका एलोकेशन है सर्वशिक्षा अभियान पर इतनी राशि खर्च होगी । सर्वशिक्षा अभियान पर जो इतनी राशि खर्च होगी, जो सर्वशिक्षा अभियान पर खर्च दिखाया गया है, जो हालत है, हमारे माननीय साथी सदस्य जो हमारे बैठे हुए हैं विधायक लोग, चाहे वे सत्तापक्ष में ही बैठे हुए लोग हों, उनको लिमिटेशन हैं, वे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन क्या हालत है, हमलोग गांवों में घूमते हैं तो स्कूल का क्या हालत है, सरकारी विद्यालयों से तो लोगों का भरोसा ही उठ गया है । यह सरकार शिक्षा को अगर सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो इस सरकार ने किया है, कहीं क्वालिटी एजुकेशन तो दूर, प्रोपर एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन हम नहीं दे पा रहे हैं । ..... क्रमशः .....

टर्न–23/अंजनी/दि0 05.03.18

डॉ0 रामानुज प्रसाद...क्रमशः.... आप साईकिल बांटने की बात करते हैं, उसमें जो घपले हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, मुश्किल से दो मिनट समय है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : मेरी पार्टी का जो समय है, वह ले लिया जायेगा ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : वह तो स्पीकर साहब ही कर सकते हैं । यह हमारी हैसियत नहीं है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ और सभी साथियों को आगाह कर रहा हूँ कि सब कुछ के बावजूद पार्टियां इधर–से–उधर होती रहती हैं, सरकार इधर–से–उधर बैठती रहती है लेकिन हम–आप अगर सार्वजनिक जीवन में आये हैं, तो हमें, आपको इतिहास पूछेगा, आनेवाला पीढ़ी हमलोगों से पूछेगा कि क्या हम कर रहे हैं,

किसके लिए काम कर रहे हैं । आज कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं । हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षक वे शिक्षक ही नहीं हैं, शिक्षक हैं तो वह क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं । टी0वी0 चैनल में हमेशा आते रहता है, चैनल वाले दिखाते रहते हैं और वह भी होता है सरकार उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा देती है । कह रहे थे, हमलोग एक ही जिला से आते हैं विजय शंकर दूबे जी का क्षेत्र मेरा ही जिला है, जो जे0पी0 विद्यालय की हालत है, वहां ग्रेजुएशन के, पी0जी0 के 6-6 सत्र विलम्ब से चल रहे हैं । जो महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, वह परीक्षा देने वाला और रिजल्ट देने वाला परिणाम अभी बनकर रह गया है । पढ़ाई छोड़कर बाकी सब काम हो रहा है । पढ़ाई छोड़कर सारे काम हो रहे हैं । आप 12-14 वर्षों से बैठे हैं, यहां आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, जो पैसे वाला का बेटा डी0पी0एस0 में पढ़ेगा, सेंट माइकल में पढ़ेगा, सेंट जेवियर्स में पढ़ेगा, लोयला में पढ़ेगा और गरीब के बच्चे जिसको आपने किस तरह से, यह पहली बार हो रहा है, हमलोगों ने पूछा था कि कोई व्यक्ति अगर यह जान जाय कि यह ड्राइवर लाईसेंसविहीन है, इसको गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है तो उस गाड़ी पर भी कोई बैठना नहीं चाहता है और हमारे राज्य का भविष्य अप्रशिक्षित लोगों के हाथ में डाल दिया गया है तो कैसा होगा, कैसा राज्य बनेगा, कैसा मानव सूचकांक की बात कर रहे हैं । इसलिए सभापति महोदय, यह सरकार जो बजट लायी है और भी जो मद में है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कृषि की बात हो रही है, कृषि प्रधान देश और कृषि प्रधान राज्य की बात हम करते हैं तो कृषि प्रधान राज्य हमारा है, हमारे साथ ऐसी विडम्बना है, एक ही समाचार पत्र में हम पढ़ते हैं कि आधा बिहार सूख गया, आधा बिहार बह गया, ऐसे हमारे साथ प्रतिदिन किया हुआ है । हम इन परिस्थितियों में यह जानना चाहते हैं कि सरकार ढिंढोरा तो पीटती है, सरकार कृषि रौड मैप बनाने की ढिंढौरा करती है....

सभापति(डॉ0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, आपके लिए खुशखबरी है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको पांच मिनट समय दे दिया है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : धन्यवाद । हमारे वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, वित्त मंत्री जी यह बताने का काम करें कि अभी महीना दिन भी नहीं हुआ है, सोनपुर मेला लगा हुआ था, वहां कृषि मंच लगा हुआ था, कृषि मंत्री थे, कृषि विभाग के सारे लोग गये थे और रेवेन्यू मंत्री भी थे, वहां मैने डाकुमैंटरी प्रुफ के साथ बात रखा था कि भईया आप क्या बात करते हो, कृषि रोड मैप, कैसे-कैसे हमारा राज्य यह कृषि प्रधान राज्य सिर्फ कागजों में कहा जायेगा । जनवरी में खर्च था मात्र 29 परसेंट, तो कहां जा रहे हैं ये पैसे, कृषि अनुदान की राशि नहीं मिल रही है, अगर कहा जायेगा तो हम रेकर्ड देंगे । बाढ़ राहत राशि नहीं मिल रही है लोगों को, डीजल, टेलर के नाम पर नहीं मिल रहे हैं, किसान के बीज की जो बात है, कल ही माननीय कृषि मंत्री जी अभी नहीं हैं लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी

हैं, मैं आग्रह करूँगा वित्त मंत्री जी, कल मुझको रात में हमारे क्षेत्र का आदमी ने फोन किया कि विधायक जी आप कल हाउस में बोलने वाले हैं, हमने आपको फोन लगाया था, आपके पी0ए0 कह रहे थे कि विधायक जी से अभी बात नहीं हो सकती है, अभी वे पढ़ रहे हैं लेकिन उस किसान ने कहा कि हमारे ढ़ाई एकड़ का मक्का का बीज हमने लिया था बाकरपुर हमारे यहां एक स्थान सोनपुर में है, वहां कुछ भी नहीं निकला है, वित्त मंत्री जी इसको नोट करके देखवाने की जरूरत है । वह किसान क्या करेगा ? कैसे हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, कैसे कह रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बार-बार वे कहते हैं कि देश के थालियों में बिहार का एक व्यंजन अवश्य हो । अरे हम तो बिहार के लोगों के थालियों में व्यंजन दे दें, भोजन दे दें । हमारे किसान तो पहले संतुष्ट हो लें। ये तो हाल है । आप एलोकेशन देकर किताब में छापकर, मैं बार-बार कहना चाहता हूँ कि बेहतर प्रबंधन के लिए हम नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जी नहीं हैं लेकिन सिस्टम को हम रेक्टिफाई नहीं करते हैं, सिस्टम पर जब तक हम नहीं जाते हैं तो सिस्टम कैसे सुधरेगा । सारे विभाग में जो सिस्टम है, वह देख लीजिए । कितनी रिक्तियां हैं ? लॉ एण्ड ऑर्डर की बात हो रही है, क्राइम से बिहार कराह रहा है, अगर क्राइम से कराह रहा है तो पुलिस विभाग महकमे में कितनी रिक्तियां हैं? 37 प्रतिशत अभी रिक्तियां हैं, सरकार क्या कर रही है? देश में रिक्तियों का मैं अध्ययन कर रहा था तो अनुमान हमारा है कि और राज्यों की अपेक्षा हम फिसड्डी है, कैसे हम सिस्टम को सुधारेंगे। सरकार पैसे ले, निश्चित तौर पर आप मेजोरिटी में हैं, पास करा ही लेंगे, पास हो ही जायेगा लेकिन इस पैसे का अगर प्रबंधन नहीं हुआ , सिस्टम को अगर हम रेक्टिफाई नहीं कर सके, सिस्टम को अगर हम होल फ्री नहीं कर सके, जबतक लूपहोल्स रहेंगे उसमें नो वन कैन....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : प्वाइंटवाइज सुझाव दीजिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : यह हमारा सुझाव है, यह हम कहना चाहते हैं माननीय वित्त मंत्री जी से । माननीय वित्त मंत्री जी, एक हमारा आग्रह होगा कि जो बातें हो रही हैं, आपने जो किया है, यह जो छात्रवृत्ति है, यह टोटल डेवलपमेंट का इन्डेक्स होता है । अगर हम गरीब के बच्चे को नहीं पढाते हैं, अगर उनकी छात्रवृत्ति रोक देते हैं, बाहर के कॉलेजेज में जो गरीब के बच्चे चले गये हैं इस भरोसे में कि हमारी सरकार पैसे देगी और वे जब वहाँ जा रहे हैं, उनका नामांकन रद्द हो जा रहा है, यहाँ से पैसे नहीं दिये जा रहे हैं माननीय वित्त मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनायेंगे, आप कह रहे हैं छात्रवृति दोनों देंगे लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप उसमें एक ऑपसन छोड़ दीजिए, जो छात्रवृत्ति लेना चाहता है, वह छात्रवृत्ति ले, जो स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, ऑपट करना चाहता है, उसको क्रेडिट कार्ड दिया जाय । यह हम कहना चाहते हैं माननीय वित्त मंत्री जी से । एक चीज पर मैं और आना चाहता हूँ कि

हमारे माननीय सभी साथी जो एम0एल0ए0 साथी हैं, सभी लोगों की समस्या होगी, यह मेरी समस्या नहीं है, राज्य की समस्या है, जो सरकार इसमें भी दिखलायी है कि समाज कल्याण में जो कार्यक्रम चलाया हुआ है, भारत की सरकार चला रही है, हमारे राज्य की सरकार चला रही है, उस मद की जो राशि है, वह कहां चली जा रही ाहै । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई समाजिक सुरक्षा पेंशन, आखिर इसकी राशि कहां जा रही है ? माननीय वित्त मंत्री जी, पता किया जाय , हमलोग घूमते हैं अपने क्षेत्रों में , जिधर जाते हैं, गरीब गुरबा लोग जहां मिल गये, बूढ़ी जहां कोई मिल गयी, विधवा मिल गयी, वे घेरने लगती हैं, वे कहती हैं कि मुझे छः माह से पैसा नहीं मिला है, कोई कहता है कि साल भर से पैसा नहीं मिला है, मैं जब कलक्टर से बात करता हूँ, तो कलक्टर आपके कहते हैं कि पैसे ही नहीं आ रहे हैं एस0डी0एम0 कहता है, बी0डी0ओ0 कहता है कि पैसे ही नहीं आ रहे हैं.....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य कृपया आप समाप्त कीजिए । रहम कीजिए।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : कहते हैं कि पैसे ही नहीं आ रहे हैं, आखिर यह पैसा कहां जा रहा है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : न वह जज्बा है, न वह तरन्नुम है । समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य जनता दल(यू) सबसे आज्ञाकारी, क्रांतिकारी माननीय विधायक श्री चन्द्रसेन जी, आपको 15 मिनट है । ब्रेक लीजियेगा कृपया ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2018-19 के बिहार बजट के पक्ष में बोलने का आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए हम सबसे पहले आपको बधाई देना चाहते हैं। बधाई इसलिए कि सभापति महोदय, आपके नेतृत्व में मुझे पिछले दो वर्षों से जो चलने का मौका मिला है, जो सीखने का मौका मिला है, तारीफ है महोदय कि आप मार्गदर्शन करते रहते हैं । चाहे पक्ष हों, चाहे विपक्ष हों, एक समय था महोदय कि उस समय भी आप सभापति के पद पर बैठते थे तो पक्ष में थे और आज जब विपक्ष भी में हैं तो हमने देखा है आपकी कार्य शैली को कि पक्ष-विपक्ष को एक ही तराजू पर तौलकर सभापति का पद चलाने का काम किये हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं ।

..क्रमशः...

टर्न-24/शंभु/05.03.18

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : क्रमशः.....2018-19 के बिहार बजट पर आज चर्चा हो रहा है । हम याद दिलाना चाहते हैं वैसे साथियों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर गुणगान करते थे, विकास की बात पर गुणगान करते थे और आज कुछ नहीं झलक रहा है । आज कुछ न कुछ लगा दे रहे हैं टुन्का कि उधर इधर । महोदय, हम कहना चाहते हैं आप घबराइये नहीं पूर्व

परिवहन मंत्री जी- मैं विकास की बात करना चाहता हूँ । जब आप परिवहन मंत्री के पद पर थे तो परिवहन के क्षेत्र में आपने सदन में वादा किया था कि हम पटना से इस्लामपुर बस चलाने का काम करेंगे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपके वादे का क्या हुआ ? आपके विश्वास के साथ वादे का क्या हुआ ? महोदय, हम विरोधी पक्ष या विपक्ष साथियों से कहना चाहते हैं कि अगर बजट बढ़िया आता है, अगर बजट बिहार के पक्ष में विकास और न्याय के साथ विकास के पक्ष में आता है तो आज जरूरत है विकसित बिहार के लिए कि आपको उसके पक्ष में अपनी बात को रखने की जरूरत है । अगर कुछ घटा है कुछ बढ़ा है तो उसमें आपको संशोधन करने की सलाह देने की जरूरत है । सभापति महोदय, बिहार 2018-19 में नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार में बजट आया है, निश्चित तौर पर जो आज हमारा देश बिहार को पिछड़े राज्यों में देखने का काम करता था । जब बिहारी लोग दूसरे राज्य में जाते थे और बिहार का नाम आता था तो बिहार को लोग बिहारी और पिछड़ा कहकर के, अनपढ़ कहकर के लोग इगनोर करने का काम करते थे । आज जो बजट आया है इससे बिहारी को बिहारी कहलाने में गर्व होगा कि हम बिहारी हैं । सभापति महोदय, हम सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं । सबसे पहले शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : आपस में वार्त्ता नहीं करें कृपया ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : बिहार तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जबतक शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जायेगा । लोगों को शिक्षित करने का काम नहीं किया जायेगा और उसमें बिहार के सभी माननीय विधायकों का भी सहयोग होना जरूरी है । सभापति महोदय, अब जरूरी कैसे है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बजट तो रख दिया, बजट तो आपके हित बिहार को शिक्षित करने की दिशा में सकारात्मक उपाय किये गये । बिहार के लोग कैसे जो बच्चे स्कूल से बाहर रहते थे उसको विद्यालय में पहुंचाने का काम किया गया । वैसे विद्यार्थी स्कूल जाते थे, लेकिन उनको हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए पैसे नहीं रहते थे तो वहां पर भी सात निश्चय में शिक्षा के अधिकार को जोड़ते हुए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गयी । सभापति महोदय, जो डाक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो आइ0ए0एस0 बनना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं । महोदय, आज यही परिणाम है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में बिहारियों ने 100 में 60 प्रतिशत परचेम फहराने का काम किया है । आखिर 60 परसेंट कैसे बिहारियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना लाल किले पर झंडा फहराने का काम किया । क्या विडंबना है महोदय, आखिर पढ़ाई नहीं होता है, लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो कैसे इतनी बड़ी उपलब्धि? लोग कहते हैं कि जिनका बेटा आइ0ए0एस0 बन जाय तो उसके आगे कोई उपलब्धि नहीं है । कौन बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा आइ0ए0एस0 बन जाय, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाय, मेरा बेटा डाक्टर बन जाय । अब देखिए लोग डाक्टर की पढ़ाई करने के लिए बहुत मोटा रकम लेकर बिहार के बाहरी भागों में जाते थे और आज देखिए मेडिकल कॉलेज खोले गये,

इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गये । अब अपनी गुणवत्ता के आधार पर नालन्दा में, पावापुरी में मेडिकल कॉलेज, चण्डी में इंजीनियरिंग कॉलेज और महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हमें बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इतने अनुभवी हमारे माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं शिक्षा की चर्चा तो हुई लेकिन एक चर्चा किन्हीं सदस्यों ने नहीं किया । नालन्दा विश्वविद्यालय जहां पहली सदी के समय दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे वह धवस्त कर दिया गया । आज वही नालन्दा विश्वविद्यालय बिहार सरकार की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री के मेहनत से वही विश्वविद्यालय नालन्दा के धरती पर शुरू हो गया है । महामहिम राष्ट्रपति अगर आते हैं तो कहां आते हैं ? हम माननीय सदस्यों से पूछना चाहते हैं, वह राजगीर के धरती पर आते हैं ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : और राजगीर के धरती पर दुनिया के छात्र-छात्रा इंगलैंड के, अमेरिका के विकसित राष्ट्र और अविकसित राष्ट्रों के छात्र और छात्राएं राजगीर में शिक्षा ग्रहण करते हैं । कितने गौरव की बात है, जरा सा इसको याद रखने की जरूरत है, दूसरे राज्यों में जाकर उसको बताने की जरूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजगीर जो विश्वविद्यालय है वह अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर देखने को मिला है यह उपलब्धि शिक्षा के ही क्षेत्र में है । जहां तक कॉलेज प्लस टू विद्यालय का सवाल है कई एक उपाय किये गये हैं, आबादी बढ़ी है और आबादी के साथ साधन को बढ़ाने के लिए मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके हाईस्कूल और प्लस टू में बदलने का काम किया गया है ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : कृपया शांति बनाये रखें । माननीय सदस्य कृपया शांत । चन्द्रसेन बाबू, कृपया आप शिक्षा पर बोल रहे हैं सितारों से आगे जहां और भी है और तो विभाग है ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : सभापति महोदय, मैंने शिक्षा पर इसलिए बल दिया कि लोग सदन के सदस्य तो बन जाते हैं लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इतना निगेटिव बात बोलना सदन के लिए गुमराह करने के बराबर है । इसीलिए हमने शिक्षा पर बल देने का काम किया । सिंचाई के क्षेत्र में हमारे देश में और खासकर के बिहार में 100 में 86 प्रतिशत किसान हैं और कृषि पर आधारित हैं । आप जानते हैं आप हमलोगों के गार्जियन हैं.....क्रमशः।

टर्न-25/अशोक/05.03.2018

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : क्रमशः... 86 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं और किसानों के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2005 में जब सत्ता में आये तो किसानों के लिए कृषि रोड मैप बनाया, पहला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया और 22 तक तीसरा काम करेगा । जब आप थे सत्ता में तो ट्रैक्टर से नहीं बल्कि हल से जोतने का काम करते थे, दिनभर में कितना जोताता था? आधा खेत परीत रह जाता था और सीजन पार, महोदय कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल सरकार ने किया हैं, चाहै ट्रैक्टर के सबसिडी का सवाल हो, चाहे हारवेस्टर के सबसिडी का

सवाल हो और चाहे महोदय एक खुरपी जिससे लहसुन, प्याज, बहुत से ऐसे सदस्य होंगे जो लहसुन कैसे कोड़ाता है यह भी नहीं जानते होंगे, प्याज कैसे रोपाता है यह भी नहीं जानते होंगे, घर तो जाते नहीं है जिससे जाने कि खेती कैसे होता है और खेती की बात में हल्ला कर रहें हैं। महोदय, कृषि के क्षेत्र में एक बिहार नहीं दुनिया में बिहार के सरकार ने जो बजट दिया, खुरपी तक सबसिडी दिया, यह अगर कहीं हुआ है तो वह बिहार में हुआ है । तो उसका नाम है बिहार । बिहार महोदय और तीसरे किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के साथ बिजली को जोड़ा, सात निश्चय में कहा कि हम घर घर बिजली देंगे तो बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे, लालटेन में पढ़ते थे, अब ये लोग बल्ब में पढ़ रहे हैं । महोदय, स्वास्थ्य के साथ निश्चित तौर पर किसानों के लाभ के लिये उन्होंने बिजली का प्रबन्ध किया किसानों के लिये, एक तरफ पढ़ाई के लिए और दूसरा तरफ महोदय किसानों के पटवन के लिए, काफी उत्पादन बढ़ा है महोदय, इस वर्ष खराब वर्षा एक तरफ, माननीय सदस्य लोग कह रहे थे कि वर्षा कम हुआ, उत्पादन कम हुआ, विपरीत परिस्थिति में, जब आप आंकड़ा देंखेंगे, हमारे कुछ साथियों ने आंकड़ों को पढ़ दिया इसलिए हम आंकड़ा की तरफ नहीं जायेंगे, चूंकि वह आपके पास मौजूद हैं, हम कहना चाहते हैं महोदय । उत्पादन के क्षेत्र में

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : कृपया दो मिनट में, माननीय सदस्य, दो मिनट अब रह गया है शेष आपका ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : अभी तो शुरू ही किये हैं महोदय ...

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : बहुत तन्मयता से बोल रहे हैं, आपको एहसास नहीं हुआ कि आपका समय बीत गया, आप गंभीर विषयों को छेड़े हुये थे ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : इसलिये कृषि के क्षेत्र में भी एक अजब किस्म का जो उन्होंने परिवर्त्तन लाया है, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं चल रहा है । हम माननीय सदस्यों से कहना चाहते हैं सिंचाई क्षेत्रों में पहले नहरों से कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि पक्कीकरण हुआ है, आज हमारे क्षेत्र में चाहे उदयारास्थान का सवाल हो, मंडईबियर का सवाल हो चाहे महमूदा कैनाल का सवाल हो, चाहे इस्लामपुर वैतरनी का सवाल हो, किसी भी सवाल पर सरकार ने उसको पक्कीकरण करके हर खेत में पानी देने का काम किया हैं महोदय । सात निश्चय में पिछले सदन में भी चर्चा हुई थी, महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण बिहार के सभी नौकरियों में, 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में, महोदय कहीं कोई ऐसा देश का कोई भाग है जहां पर महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण, जब हमलोग जाते थे दिल्ली तो जब दिल्ली में देखते थे कि महिलायें पु लिस के भेस में घूम रही है तो लगता था कि 100 आश्चर्य में एक आश्चर्य लगता था ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : कृपया शांति । कृपया बैठिये ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : महोदय, हमें आश्चर्य है कि वही दिल्ली बिहार के धरती पर पुलिस बनकर जब महिला आई है, बिहार की बेटियां जब आई हैं तो यहां के गुण्डे लुच्चे, लफंगे आप देखते हैं कुछ लोग सतर्क होना शुरू कर दिये हैं । एक बहुत बड़ी कामयाबी है महोदय । कानून व्यवस्था की बात करते हैं, यह किसी राज्य की रिपोर्ट नहीं है, यह राष्ट्रीय रिपोर्ट है, बिहार का स्थान 22 वें स्थान पर, कहां अपराध है ? क्या रामराज अपराध नहीं होता था ? होता था लेकिन राम, भगवान राम उसको न्याय देते थे ।.. ..

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : चन्द्रसेन बाबू कृपया समाप्त कीजिये । माननीय मुख्यमंत्री के कारगुजारियों का कौन नहीं कद्र करेगा ! ये जो गिना रहे हैं, अच्छी बात है । बैठ जाइये, कृपया ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : आपको धन्यवाद देते हुये कि आप भी आगे बढ़ते रहिये । इन्हीं बातों को कहकर समाप्त करता हूॅ । जय हिन्द ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : धन्यवाद । सी.पी.आई (एम.एल), दो मिनट, जनाब महबूब आलम । समय का ख्याल रखेंगे ।

श्री महबूब आलम : इस बात का भी ख्याल रहे कि आज जो इस सदन में, सदन की ढांचा है रूप रेखा है, इसमें कभी महागठबन्धन का जो मुहावरा गढ़ा गया है, और कभी राष्ट्रीय जनवादी गठबन्धन का जो एलायेंस है, ये दोनों गठबन्धन को शिकस्त देकर हमलोगों ने जनता से वादा करके आये है, उनकी बातों को हम रखेंगे । गरीब आदमी की तरफ से बोलते हुये अभी शिक्षा पर बड़ी हांक रहे थे ये लोग महोदय, मैं आपको ओपोजिशन में बोलना चाहूंगा कि 2015-16 में 15.313 परसेंट, 2016-17 में 14. 01 परसेंट, 2017-18 में 15.77 परसेंट, 2018-19 में महोदय इन लोगों ने 18.25 परसेंट मिन्स 2.48 परसेंट, महोदय सिर्फ इतना ही योगदान है महोदय । बिहार ही नहीं दुनिया याद करेगी जो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार को, इन्होंने शिक्षा को बर्बाद कर दिया महोदय, गांव-गांव, गली-गली में जायेंगे आप, बड़े बड़े महलनुमा खंडहर बने हुये हैं और हजारों बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है महोदय, शिक्षा अपने बर्बादी के आंसू रो रहे हैं, महोदय, पूछिये हमारे तारकिशोर भाई से जो डी.एस. कॉलेज का कभी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में नाम हुआ करता था, आज वहां प्रोफेसर नहीं है महोदय । एक महोदय, आर.डी.एस. कॉलेज है जो सरमायी का कॉलेज है, एक प्रोफेसर और एक लिपिक के सहारे चल रहें हैं, बात करते हैं ये लोग शिक्षा का ? महोदय, कृषि की बात में मैं आता हूॅ, कृषि रोड मैंप हमलोगों ने दो-दो देखा, और 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में इनका ग्रोथ रेट क्या है महोदय ? सिर्फ 1.7 परसेंट फसल में क्या है महोदय? वर्ष 2015-16

में माइनस 6.4 प्रतिशत ग्रोथ था महोदय और वर्ष 2016-17 में आकर के प्लस 8. 2 परसेंट ग्रोथ रेट है महोदय, आप बताइये कि 6 फुट गढ्ढा में गिर गये और 6 फुट गढ्ढा से आठ फुट ऊपर उठ गये तो हम कितना ऊपर उठे ? ये लोग देंखेंगे कि बहुत चालाकी से बजट पेश किया है, और बजट पेश करके इन लोगों ने सदन को गुमराह करने का काम किया है । बजट का कोई ढांचा ही नहीं है महोदय, पूरी इकोनॉमी चरमरा गई है महोदय, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2015-16 में महोदय इसकी इकोनॉमी 4.9 परसेंट तक बढ़ी है और 2017-18 का इन्होंने दिया ही नहीं है । आपने 2017-18 का कृषि का फसल विकास आपने दिया ही नहीं महोदय । महोदय बिहार में मजदूरों का ग्रोथ रेट 73 परसेंट है महोदय एलोकेशन क्या है आपका? एलोकेशन है 2,749.78 करोड़, टोटल बजट का 1.55 । महोदय, इन्डस्ट्रीज में, अभी जापान से हमारे माननीय मुख्यमंत्री लौट कर आये हैं, इन्डस्ट्रीज में अभी इनका योगदान 200 करोड़ का है जो माईनस .02 है बिहार में इन्डस्ट्रीज । होना ही नहीं है महोदय ।

हेल्थ की बात करते हैं ये लोग, 7,793.82 करोड़ जो 2018-19 में जो 2016-17 का डाटा है महोदय, 5.69 परसेंट और इस बार का कंट्रीब्यूशन है इसका 2018-19 में 4.4 परसेंट। एलेक्ट्रीसिटी की बात करते हैं महोदय, एलेक्ट्रीसिटी में वर्ष 2017-18 में 10,905 करोड़ और 2018-19 में 10,257 करोड़, हर गांव में बिजली पहुंच गई है, यह नारा देते हैं लोग लेकिन यह महोदय ये नारा नहीं हैं, यह फर्जी नारा है । सामंतों के टोलों में, दबंगों के टोलों में, बड़े-बड़े घरानों के टोलों में बिजली पहुंच गई लेकिन गरीबों के मकानों, गरीबों के टालों में अभी बिजली नहीं पहुंची है महोदय । मैं आपको नजीर देना चाहता हूॅ कि हमारे बारसों प्रखण्ड में एक खरूआ पंचायत है, जिसमें जमीला गांव है, इस जमीला गांव के दबंगों ने एलेक्ट्रीसिटी 8,9,10,11 वार्ड के .....

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, आपके दो मिनट के बदले पांच मिनट हो गये ।

टर्न-26/ज्योति/05-03-2018

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य आपको 2 मिनट के बदले 5 मिनट हो गये।

श्री महबूब आलम : नहीं, सभापति महोदय, हम पर रहम कीजिये ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): रहम क्या करें, हम बंधे हुए हैं । हमारे घर की बात है ? समय सीमा तय है उसी में बोलिये ।

श्री महबूब आलम : इसलिए महोदय, नौजवानों को कोई रोजगार देने पर कोई फोकस नहीं है । ये सब डपोरशंखी घोषणा है । हम इस बजट, जो इन्होंने पेश किया है, हम इसको खारिज

करते हैं । कोई इनको पैसा देने की जरुरत नहीं है, न इनके बजट को पास करने की जरुरत है । इन तमाम बातों के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): विनियोग पर बोलियेगा यह सब, यहाँ क्यों बोलते हैं ?

माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के श्री तार किशोर प्रसाद जी । 13 मिनट आपका समय है । माननीय विधायक 13 मिनट आपका समय है ।

श्री तार किशोर प्रसाद : सम्माननीय सभापति महोदय, आज वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श पर सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री के कुशल वित्त प्रबंधन के द्वारा आज बिहार में विकास की एक नयी इबारत लिखी गयी है और स्वाभाविक है कि 2005 से लगातार काम करते करते बिहार ने आज यह मुकाम बनाया है और स्वाभाविक है ''दीवाली यूँ ही नहीं मन गयी , दिया को रात भर जलना पड़ा है ।'' आज बिहार जो एक चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर है उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिपरिषद् के तमाम मंत्रियों का मेहनत और खून पसीना छिपा हुआ है । आज बिहार में जब 2005 के आंकड़े को देखेंगे तो बिहार की जो गरीबी है, जो उस समय 54.4 प्रतिशत थी, अभी 33.7 प्रतिशत तक आयी है । सभापति महोदय, अभी हम हाल में बाढ़ से उबरे हैं खास करके मिथिलांचल, कोशी और पूर्णिया प्रमंडल सबसे ज्यादा अभिशप्त हुआ था और हम धन्यवाद देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप-मुख्यमंत्री जी को कि प्रत्येक बाढ़ पीड़ितों के घर में 6 हजार रुपये की राशि उनके खाते में तुरत हस्तांतरण करवाया गया और साथ में (व्यवधान) जी, जी गया है, अगर कहीं रुका है तो तकनीकी कारण से रुका है । माननीय सभापति महोदय, दिक्कत क्या है कि हमारे जो माननीय विपक्ष के जो लोग बोल रहे हैं, इनका लोगों से सरोकार थोड़ा घट गया है । अभी माननीय विजय शंकर दूबे जी हमलोगों के वरिष्ठ सदस्य हैं, भाई रामानुज जी हैं, इनके साथ लम्बे समय तक हम इस सदन में रहे हैं । इन सबों की जो अभी चर्चा कर रहे थे सामान्य बजट पर तो इनकी पीड़ा भी झलक रही थी । स्वाभाविक है कि ये लोग सत्ता से दूर होने के कारण वह पीड़ा इनके चेहरे पर, इनके जुबान पर आ रही थी । रामानुज भाई की दिक्कत दूसरी है, क्योंकि ये जानते हैं कि इसके बाद भी इनकी स्थिति क्या होने वाली है । पूर्वोत्तर से लेकर बिहार होकर आगे तक इनकी स्थिति आने वाले दिनों में क्या होगी, वह भी इनको पता है । सभापति महोदय, एन.डी.ए. सरकार के कार्य-काल में कहीं न कहीं लोकशाही मजबूत हुई है । परिवारवाद कमजोर हुआ है । परिवारवाद के जो पोषक है, स्वाभाविक है कि उनकी पीड़ा ये बीच-बीच में मेरे भाषण के दौरान टोका-टोकी के द्वारा दिखेगी । यह स्वाभाविक है । हम जानते हैं । उनकी पीड़ा समय समय पर लगातार दिख भी रही है । क्योंकि स्वाभाविक है ये बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं

मिला, तो इनको भी जनादेश परिवारवाद और संपत्ति जमा करने के लिए नहीं मिला था, सभापति महोदय । इनको भी जनादेश मिला था बिहार के विकास के लिए और क्या कारण है कि सात निश्चय योजना जब इनके समय में भी थी, इन्होंने ठीक से लागू नहीं होने दिया और मात्र 6 महीना सरकार का हुआ है, 7 निश्चय की सारी योजनायें आज धरातल पर दिख रही है । हम चुनौती देते हैं 7 निश्चय योजना आज धरातल पर दिख रही है । सभापति महोदय, हम इस सूबे के विकास के साथ-साथ हम सामाजिक सरोकार के लोग हैं । एन.डी.ए. की सरकार है, यह सामाजिक सरोकार लोक शाही को सामने रखकर ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : शांति, तारकेश्वर बाबू । आपको मौका था टोका-टोकी बंद हो जाती, उस वक्त क्यों नहीं बोले आप ? वक्त आता है तो भूल जाते हैं।

श्री तारकिशोर प्रसादः हमलोग शासन के साथ साथ सामाजिक सरोकार, सामाजिक न्याय के लोग हैं और इसलिए हम सबों ने शराबबंदी, वाल विवाह दहेज विरोधी अभियान को एक लक्ष्य के तौर पर लिया । हम लाख सड़क बना दें, हम लाख बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ा कर दें जब तक हम सामाजिक परिवर्तन नहीं लायेंगें, तब तक उसका लाभ सीधे हमारे जो बिहार के लोग हैं उनको नहीं मिल पायेगा इसलिए हम इस शराबबंदी के खिलाफ हैं, इसलिए हम वाल विवाह के खिलाफ हैं, इसलिए हम दहेज के खिलाफ हैं । सभापति महोदय, हम बुनियादी क्षेत्र के जो हमारा सड़क है, स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, इन सारे सेक्टर में हम सबों ने बजटीय प्रावधान किया है । हम बिहार के लोगों के बुनियादी जो सवाल हैं, उस सवाल से रु-ब-रु है क्योंकि उनके बीच से आकर इतना लम्बा शासन हमलोग कर रहे हैं । हमलोग कोई ऊपर ऊपर नहीं बन गए हैं । हम फलां के पुत्र हैं इसलिए उप-मुख्यमंत्री नहीं बन गए हैं । हमारे सुशील कुमार मोदी जी लगातार संघर्ष करके बिहार में आज उप-मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है । ये किसी अपने पिता के द्वारा नहीं जाने जाते हैं, ये अपने संघर्ष के द्वारा जाने जाते हैं । इन चीजों को हमारे जो विपक्षी साथी हैं उनको ध्यान में रखना होगा । सरकार कहीं न कहीं मजबूत संकल्प से चल रही है और आज ये जो बजटीय प्रावधान 7 गुणा हुआ है । ये 7 गुणा ।..

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : बोल लीजिये, जरा सा, क्या है प्वायंट औफ और्डर ?

श्री चन्द्रिका राय : महोदय, मेरा प्वायंट औफ और्डर यह है कि विपक्ष के नेता के बारे में कहा है, तो वह तो जनता द्वारा चुनकर आए हैं सुशील मोदी जी तो एम.एल.सी. हैं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : सभापति महोदय, आज जो यह बजटीय प्रावधान है ये सात गुणा हुआ है, तो 7 गुणा ऐसे ही नहीं हुआ है वह कहीं न कहीं हमारी सोच बिहार के लोगो के जीवन में बदलाव की सोच है । आज 7 गुणा हो गया इसपर तकलीफ है, जब इससे कम था,

तब भी इनको तकलीफ है । आखिर इनको खुशी कब मिलने वाली है, हम जानना चाहते हैं । आज बजटीय प्रावधान 7 गुणा हुआ, यह तो बिहार के लिए गौरव की बात है, खास करके हम सबों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ये जो हमारी प्राथमिकता है, ये सारे हमारे प्रमुख सेक्टर है जिससे कि बिहार का विकास कहीं न कहीं एक बड़े कैनवास पर पूरे राष्ट्र में दिखने वाला है । सभापति महोदय, सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नये आयाम को जोड़ने का प्रयास किया है । आज कोई निबंधन होगा, हमारी कोई माता या बहन के नाम से निबंधन होगा उसे पांच प्रतिशत की छूट दी जायेगी और जब उनके नाम से कोई वाहन का निबंधन होगा तो उनको शत प्रतिशत छूट मिलेगी । महोदय, ये छूट इस बात को दिखाता है कि हम अपनी मातृशक्ति जो महिला सशक्तिकरण का अभियान जो हम सबों ने लिया जिसमें पंचायती राज में 50 प्रतिशत और बहाली में 35 प्रतिशत का जो हमलोगों ने आरक्षण दिया है, उस दिशा में यह दो कदम आगे बढ़ा हुआ सरकार का कदम है । हम गंभीरता से मातृशक्ति को कहीं न कहीं बराबरी का हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं । सभापति महोदय, आपको याद होगा इसी बिहार विधान सभा के इसी वेश्म में जब भारत के तात्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी आए थे, तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि गांव से हम पलायन को रोकेंगे और गांवों में हम शहरी सुविधा प्रदान करेंगे । सभी माननीय सदस्यो को जो उस समय इस सदन के सदस्य होंगे यह संकल्प लिया हुआ था उनका आह्वान भी था और इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है ।

क्रमशः

टर्न–27/05.3.2018/बिपिन

श्री तार किशोर प्रसाद : क्रमशः आज हमारे महबूब भाई बोल रहे थे लेकिन आपको पता होगा, महबूब भाई को पता होगा कि जब ये बारसोई जाते थे तो पूर्णिया जिला होकर जाते थे । आज ये कटिहार से सीधे बारसोई जाते हैं और वहां पर रेफरल अस्पताल, अनुमंडल कार्यालय, महिला आई.टी.आई. और ये सारी सुविधाएं आज उस वारसोई अनुमंडल में दिया गया है जिसके कारण आज एक विशेष पहचान बारसोई अनुमंडल का मिला है ।

सभापति(श्री इलियास हुसैन): अच्छी बात है । आगे बढ़िए ।

श्री तार किशोर प्रसाद : सभापति महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ने जो बिहार का गौरव था, उस गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया । चाहे गुरू गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व का समापन समारोह हो, चाहे वह बापू का चम्पारण सत्याग्रह का शताब्दि वर्ष हो और खासकर बापू के नाम पर ज्ञान भवन, बापू भवन, बिहार म्यूजियम, यह ईंट और गारा का मात्र ढांचा नहीं है । महोदय, ये सारी, जो हमारे बिहार का प्रतीक है, हमारे बिहार का यह गौरव है । हमारे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने बिहार के पुराने

गौरव को स्थापित करने का एक सफल प्रयास किया है महोदय । महोदय, हम चाहते हैं कि जब बिहार को एक अपने विशिष्ट ढांचे पर आगे जाना है, सारे सदन के सदस्य कहीं-न-कहीं सरकार के अपने जो उनका मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है, उसमें जो राशि का प्रावधान है, उससे सरकार ने जो एक कुछ एजेंडा तय किया है कि किस-किस मद में खर्च करना है जिससे कि सरकारी कार्यक्रमों में वृद्धि होती है और जिस समय योजना का आकार छोटा था, उस समय भी दो करोड़ की राशि थी । हम माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जब सात गुणा आकार बढ़ गया है तो उसको कम-से-कम ढाई गुणा करने की कृपा करेंगे और वह ढाई गुणा कहीं-न-कहीं, बिहार के विकास में कहीं-न-कहीं वह दिखेगा । विभिन्न क्षेत्र में जो समावेशी विकास की हम बात करते हैं और उसमें जिन योजनाओं को चिंहित किया गया है, उन सारी योजनाओं में जब हमारे बिहार विधान सभा के सभी दलों के माननीय सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों में लिखेंगे, तब लगेगा कि बिहार ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है और हम विपक्ष के अपने साथियों को कहना भी चाहते हैं कि इसके पहले आपको कोई सेक्टर बँटा हुआ नहीं था लेकिन सरकार ने अलग-अलग सेक्टरों में आपको खर्च करने की सुविधा दी है । सरकार चाहती है कि आपका इश्तेमाल हो । जिस तरह से सरकार, महोदय, मानव संसाधन के द्वारा, क्योंकि बिहार में मानव संसाधन की कमी नहीं है लेकिन मानव संसाधन के द्वारा हम बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, उसी तरह से हमारे जो माननीय सदस्य हैं, उनको भी अपनी सोच और रवैया बदलनी होगी । परिवारवाद से समाजवाद की ओर बढ़ना होगा...

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य तार किशोर बाबू, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री तार किशोर प्रसाद: बस सर, दो मिनट और । इसलिए सरकार सबका सहयोग अपेक्षित की है और अंत में हम माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि कटिहार से आपका पुराना जुड़ाव है, कटिहार जिला में वेटनरी कॉलेज या उद्यान महाविद्यालय की स्थापना हो सकती है, कृषि के क्षेत्र में वह काफी उर्वरा क्षेत्र है । उस दिशा में काम कर सकते हैं । कटिहार में एक भी फ्लाई ओवर नहीं है और मुझे लगता है कि अगर आपकी कृपा होगी तो कटिहार में भी एक फ्लाई ओवर के द्वारा कटिहार जो एक महानगरीय स्वरूप ले रहा है, उस दिशा में कटिहार आगे बढ़ेगा । इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए, उनके कुशल वित्त प्रबंधन को प्रणाम करते हुए और बिहार के हमारे नए इबादत लिखने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए, उनकी सोच ने बिहार को राष्ट्रीय फलक पर एक विशिष्ट पहचान बनाई है । इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): धन्यवाद । राष्ट्रीय जनता दल । माननीय सदस्य मो0 नेमतुल्लाह ।

सभापति(मो0 नेमतुल्लाह): कितना टाइम है हुजूर ?

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): आप बोलने के पहले ही समय मांगने लगे । आप बोलिए न जरा। अच्छा बोलिएगा तो समय देंगे ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह: मैं यह सोच रहा था कि समय ले लिया तो इसलिए सोचा कि -

'न जाने बादलों के बीच कौन-सी साजिश हुई,
मेरा घर ही मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई ।'

सभापति महोदय, बजट जो पेश हुआ है, उसके बारे में दो बातें कह कर हम बैठ जाना चाहते हैं । सबसे पहले कि सात निश्चय जो हमलोगों का एजेंडा था, महागठबंधन का एजेंडा था, आज पाला बदलने पर उनलोगों ने अपना एजेंडा मान लिया। हमलोग के एजेंडा में जिस तरह से तेजी से काम चल रहा था, आज बड़ी धीमी गति से चल रहा है ।

(व्यवधान)

जो अभी मुख्यमंत्री ...

(व्यवधान)

इसलिए एजेंडा की तारीफ हमलोग करते थे, मुख्यमंत्री की तारीफ करते थे, महागठबंधन की तारीफ करते थे और तारीफ करते हुए नहीं थकते थे । लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने जनादेश का अपमान किया और पाला बदल लिया और आपलोग पिछले दरवाजे से आ गए तो तकलीफ तो निश्चित ही होगी । हमको नहीं, पूरे बिहार की जनता को तकलीफ है । यह सिर्फ पार्टी का सवाल नहीं है महोदय, जनता का सवाल है, बिहार की जनता का ।

महोदय, एजुकेशन के बारे में ये बता रहे हैं । हमलोग भी सोचते थे कि प्रधानमंत्री कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, इंतजार करते-करते अब अंतिम वक्त भी आ रहा है हुजूर । महोदय, अंतिम वक्त आपका आ गया है । प्रधानमंत्री अब जाने वाले हैं। महोदय, प्रधानमंत्री जी यहां आए थे एजुकेशन का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो है, वे पटना यूनिवर्सिटी के सेलेब्रेशन में आए थे । पटना आए थे प्रधानमंत्री जी । मुख्यमंत्री पाला बदल कर गए । दोनो हाथ जोड़-जोड़ कर चार-चार मर्तबा वे अपने भाषण में कहे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बना दीजिए महोदय, लेकिन बन गया, अच्छे दिन आ गए ...

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री ने कौन बुरा काम किया ? हाथ जोड़ कर मांगा, अच्छा काम किया ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह: मिला कि नहीं मिला महोदय ?

(व्यवधान)

श्री मो0 नेमतुल्लाह: हम तो चाहते हैं कि हो जाता, मिल जाता ।

महोदय, कल फेस बुक पर हम देख रहे थे । बिहार के एजुकेशन में मीडिया के लोग घूम रहे थे स्कूल-स्कूल । स्कूल में पूछ रहे थे कि भाई, बिहार का प्रधानमंत्री कौन है? बोला कि बिहार का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार है, वह टीचर थे, पढ़ा रहे थे । फिर बोला न, न, लालू यादव । तो इस तरह का शिक्षक है, बिहार का टीचर । इस तरह से टीचर की कमी है महोदय । कहीं नहीं टीचर मिलने जा रहा है । साइंस के टीचर हैं, मैथ के जगह पर हिंदी के टीचर का एप्वायंटमेंट हो गया है, हिन्दी के टीचर पर संस्कृत के टीचर का एप्वायंटमेंट हो गया है । वह केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, जहां हिन्दी पढ़ाना चाहिए । महोदय, यह शिक्षा का हाल है । बिहार में इस तरह से स्तर शिक्षा का गिर गया है । पैसा हम बढ़ा रहे हैं । सीना तानकर कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ड्रॉप आउट कम हो रहा है लेकिन देखिए महोदय कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल की संख्या बढ़ रही है, कुकुरमुत्ते की तरह संख्या बढ़ रही है और क्वालिटी दे रहा है प्राइवेट स्कूल, इसीलिए हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा क्वालिटी के साथ पढ़े, अच्छा करे, नाम करे । सरकारी स्कूल में जाता है, 12.00 ही बजे खाना खाकर लौट जाता है । नाम लिखा दिया है कि कपड़ा-लत्ता मिले, साईकिल मिले लेकिन पढ़ने कहां जाता है ? प्राइवेट स्कूल में जाता है । क्या है व्यवस्था ? यही है सरकारी स्कूल की व्यवस्था ? महोदय, 414 लोग मर गए बाढ़ में । बहुत लोगों को राशि मिला, नहीं मिला । पौने दो करोड़ लोग अफेक्टेड हुए बाढ़ से, बिहार के बाढ़ से। महोदय, आज भी तरस रहे हैं लोग कि हम बाढ़ पीड़ित हैं, हमको घर-आवास मिले । आज भी वो पॉलिथिन के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं महोदय, आज भी तरस रहे हैं महोदय । आज भी उनको जो क्षति-पूर्त्ति है, वह नहीं मिला है । कोई कहता है कि बैंक में गड़बड़ी है, कोई स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाता है, कभी नाम के पते में गड़बड़ हो जाता है । बहुत-सी त्रुटियाँ हैं महोदय । वह पैसा बैंक में नहीं जाता है । बैंक भी कोऑपरेट नहीं करता है... क्रमशः...

टर्न : 28/कृष्ण/05.03.2018

श्री मो0 नेमतुल्लाह (क्रमशः) बैंकों से को-ऑर्डिनेट करके इस तरह की जो छोटी-छोटी त्रुटियां हैं, जो छोटी-छोटी गलतियां हैं, उनका समाधान करायें ताकि पैसा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जिस तरह से जाता है, वह उसके खाते में जाय, लेकिन वह पैसा लौटकर चला जाता है, लोगों का जूता घिस जाता है बैंक में दौड़ते-दौडते ।

महोदय, अगर कोई नदी में डूब कर मर जाता है बच्चाा तो उसको आपदा प्रबंधन विभाग से पैसा मिलता है । अगर वही बच्चा नहर में डूब कर मर जाता है तो उसको एक पैसा नहीं मिलता है । महोदय, आप जानते हैं, घर के पास नहर है, वहां बच्चा डूब जाता है उसको एक पैसा देने का प्रावधान नहीं है। इस पर सरकार को विचार

करना चाहिए । क्योंकि जो नदी में डूब कर मरा, वह भी मरा और जो नहर में डूब कर मरा, वह भी मरा । इसलिए दोनों के मामले में पैसा मिलना चाहिए । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ।

महोदय, शराबबंदी की बात लोग करते हैं । शराबबंदी के बारे में जगजाहिर है । बिहार में एक नंबर का काम किया था, सबने सराहा था पक्ष-विपक्ष । सारे जगह देश-दुनियां में इसका नाम हुआ । लोग बाहर से भी फोन करके कहते थे कि अरे, ड्राई स्टेट हो गया बिहार ! कहीं कुछ नहीं । हमलोग भी खुश थे । सीना गदगद हो गया था । चलो भाई, बिहार में शराब नाम की कोई चीज नहीं रही । लेकिन क्या हुआ? आज शराब आम तौर से मिल रहा है । इसकी होम डिलिवरी हो रही है । आज नेपाल से खुलेआम शराब आ रहा है । थाना के बड़ा बाबू की चांदी है । उनको पैसा दीजिये, लीजिये, इसलिये कि आपके मंत्री जी के यहां लाल लाल मिला हुआ है । फेस पर दिखाया गया, बाद में उनकी सफाई आयी । इसीलिये अनुभव इसी का है । महोदय, आ रहा है यू0पी0 से, यू0पी0 में आपकी सरकार है, वहां बंद करवा दीजिये ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) :माननीय सदस्य आप से आग्रह है कि नाजुक चीजों को छेड़ो मत । बोलते जाओ ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : बात यह है कि इनकी सरकार है झारखंड में । वहां भी शराब बंद करवा दें। महोदय, यह तो नाजुक चीज नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुये हैं । इनसे भी आग्रह करेंगे कि पहल करें, झारखंड में भी शराबबंदी हो । यू0पी0 में हैं, हमलोगों का बोर्डर है, वहां पहल करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय मंत्री ने विगत दिनों में मांग की है झारखंड जाकर ।

श्री नेमतुल्लाह : हम इनको धन्यवाद देते हैं । इनकी सराहना भी हुई शराबबंदी पर । यहां से लेकर विदेशों में इनकी सराहना हुई है शराबबंदी के नाम पर । मानव श्रृखंला में सब लोग विपक्ष के लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया । पूरे देश और दुनियां में इसका बहुत बड़ा मिसाल पेश किया ।

महोदय, माईनॉरिटी के बजट में कमी किया गया । माईनॉरिटी के बजट में 35 प्रतिशत कमी किया गया और सब विभाग में तो कमी किया गया है, नगर विकास विभाग में, कृषि विभाग में और माईनॉरिटी के बजट में कमी किया गया है । तलाकशुदा महिलाओं को जो 10 हजार रूपया मिलता था, उसको इन्होंने 25 हजार रूपया कर दिया । यह बहुत अच्छी बात है । वह तलाकशुदा है, वह अपना कुछ गुजारा कर सके, अपना कुछ रोजगार कर सके। लेकिन उनको राशि मिलने में बहुत समय लगता है । एक मुश्त नहीं मिल पाता है । महोदय, उसके लिये हमलोगों को भी पहल करना पड़ता है । पिछली दफा मैंने यहां क्वेश्चन किया, कम-से-कम डेढ़ हजार तलाकशुदा महिलाओं को मिला पिछले वित्तीय वर्ष में । लेकिन मिलने में काफी दिक्कत

हुई है । महोदय, मेरे यहां बरौली में 2007 में हॉस्पीटल को स्मार्ट हॉस्पीटल बनाने के लिये बिहार सरकार ने घोषणा की थी ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य आप कृपया समाप्त करें । आपको 9 मिनट के बदले 15 मिनट दे दिया । अब आप बैठ जायं ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : इसीलिये मैंने कहा था कि पहले आप टाईम बता दीजिये, उसी हिसाब से हम बोलते । मेरा घर मिट्टी का था, मेरे घर ही बारिश हुई ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, आज गिट्टी-बालू की जो दिक्कत हो रही है, पूरे बिहार के मजदूर पलायन कर रहे हैं । बहुत बुरा हाल है बालू की वजह से । अगर दीघा से जाता है गोपालगंज तो हर थाना में एक हजार रूपया बंधा हुआ है और हर ट्रक से लेता है तब वहां डिलिवरी होती है । इतना मंहगा वहां बालू हो गया है । महोदय, नहर की जो मरम्मति हो रही है, नहरों की मरम्मति के लिये दो हजार करोड़ रूपया सैंक्शन हुआ है लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं है, काम बहुत धीमी गति से चल रहा है । कौन-सा एजेंसी है, कौन कंपनी है और व्हाईट बालू ढलाई में लगाया जा रहा है । महोदय, इसके क्वालिटी की जांच होनी चाहिए । सरकार को इस पर निगरानी रखनी चाहिए। महोदय, मैं और ज्यादा नहीं कहते हुये यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक रोड है, पिछले दफा भी हम प्रमंडलीय बैठक में मुख्यमंत्री के सामने इसे रख चुके हैं - लौहजीरा से मांझा प्रखंड तक, जो गोपालगंज जिला में है वह बहुत बुरी स्थिति में है । प्रखंड में लोग जाने में बहुत परेशानी महसूस करते हैं ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । आपका आदेश सर आंखों पर । शुक्रिया ।

अध्यक्ष : आपका भी शुक्रिया । माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये बिहार के आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

सदन में आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार, श्री सुशाील कुमार मोदी जी बैठे हुये हैं । निश्चित रूप से बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ ़रहा है। मैं यह नहीं मानता और कह भी नहीं रहा हूं कि बिहार में पूर्ण विकास हो गया । लेकिन जिस प्रकार से बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ ़रहा है निश्चित रूप से मैं यह मानता हूं कि आगे आने वाला जो समय है, जो आनेवाला भविष्य है, बिहार भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित राज्य होगा ।

महोदय, सभी विषयों पर सदन में चर्चा चल रही है । शिक्षा की बात हो रही है । मैं इस बात को मानता हूं कि टीचर्स की बहाली का प्रोसेस चल रहा है लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि जिस समय गांवों के बच्चे गांवों के विद्यालयों में नहीं जाते थे, घोंघा, कोकड़ा पकड़ने जाते थे आज वैसे गांवों के बच्चे गांवों के स्कूलों में जा रहे हैं । वह समय था, जब नारा लगता था और भाषण होता था कि केकड़ा पकड़ने वाले, कतरा उखाड़ने वााले, चरवाहा विद्यालय में जाओ, वह धोबीघाट विद्यालय भी बंद हो गया, वह चरवाहा विद्यालय भी बंद हो गया और आज विद्यालयों में दो प्रतिशत से ज्यादा ड्रॉप आऊट नहीं हो रहा है । विद्यालय में बच्चे जा रहे है और विद्यालयों में बच्चों का प्रतिशत बढ़ रहा है ।

महोदय, आज कृषि की बात हो रही है । कृषि में आज किसानों की हालत अच्छी नहीं है विपक्ष के लोग कह रहे हैं । लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस प्रकार से बिहार की सरकार और भारत की सरकार ने कृषि के क्षेत्र में किसानों को आगे बढ़ाने के लिये किसान क्रेडिट कार्ड सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि के अन्य प्रकार की योजनाओं के साथ कृषि को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, बिहार से ही पूसा यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाकर कृषि विज्ञान खोलकर अन्य कृषि विज्ञान केन्द्र जो प्रस्तावित हैं, जिनको खोलकर कृषि को आगे बढ़ाना है । बिहार कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सुशासन की सरकार जो व्यवस्थित रूप से चल रही है, अब बिहार में उद्योग भी लगने शुरू हो गये हैं । महोदय, मैं चम्पारण का उदाहरण देता हूं, मोतिहारी का उदाहरण देता हूं कि हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने बिहार में और अभी चम्पारणा में बापूधाम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लगाकर किसानों को दूध का अच्छा दाम दे रहा है । एक-एक किसान को दूध से जोड़ रहा है और दिल्ली और इस देश की सबसे बड़ी दूध की प्रोसेसिंग करनेवाली जो कंपनी है, वह एक संयंत्र मोतिहारी में लगा रहा है । इसलिए निश्चित रूप से मैं मान रहा हूं कि बिहार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है ।

महोदय, हम शिक्षा की बात कर रहे थे । आज जितने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षायें हो रहीं हैं, अगर बिहार के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो चाहे यू0पी0एस0सी0 का एक्जाम हो, या एन0डी0ए0 का एक्जाम हो, आप उसका प्रतिशत उठाकर देखियेगा तो बिहार के बच्चे भारत में सबसे अच्छे प्रतिशत से कम्पीट कर रहे हैं । महोदय, यह रेकर्ड बता रहा है । रेकर्ड बता रहा है कि अन्य क्षेत्रों में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बिहार के इतने अच्छे वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा वित्त प्रबंधन हो रहा है ।

क्रमश :

टर्न-29/सत्येन्द्र/5-3-18

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह(क्रमशः): कई हमारे साथी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जिन बातों का कहीं कोई आधार नहीं है। मैं इसके पहले जो सदन बंद हुआ, मैं सदन में बैठा हुआ था, एक सदस्य हैं माननीय सत्यदेव बाबू, सत्यदेव राम जी कह रहे थे कि बिहार के कृषि मंत्री जो भारत सरकार में हैं आदरणीय राधा मोहन सिंह, वे 28 एकड़ जमीन घेर कर बाउन्ड्री बना रहे हैं । मैं सत्यदेव बाबू चैलेंज करता हूं सदन के माध्यम से कि आपको इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा, जिन झूठी बातों को, असत्य बातों को आपने सदन में रखकर सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, ये बातें अच्छी नहीं है, कहीं से भी ये बातें अच्छी नहीं है, आपको इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए और मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आप वैसे लोगों के साथ हैं जो 15 वर्षों तक बिहार में घोटाला किया, जो 50 वर्षों तक पूरे भारत को लूटा, बिहार को लूटा, ऐसे लोगों के साथ बैठकर आप उन्हीं मानसिकता से बात करते हैं जो मानसिकता कहीं से अच्छी नहीं है महोदय। महोदय, इस प्रकार की बात कहकर जो सदन को गुमराह करें, वैसे लोग जो इस सदन के सदस्य भी नहीं है, उनके प्रति आप इस प्रकार की भावना रखते हैं, बोलते हैं, असत्य बात बोलते हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है । महोदय, कहते हैं तो सुनने का भी साहस रखना चाहिए । मैं बैठा बैठा आपकी बात सुन रहा था । मैं भी बोल रहा हूँ तो आपको सुनना पड़ेगा और आपको सुनना चाहिए, सुनने में भी विश्वास रखना चाहिए, फर्ज रखना चाहिए । मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपका कि आप इसको प्रुफ कराईए।

अध्यक्षः सचीन्द्र जी, आपके पास दो मिनट का समय है । इधर देखकर के अपनी बात जल्दी कहिये।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः महोदय, यह सरकार सबके विकास में, सबका साथ और सबके विकास में विश्वास रखती है और उसी विश्वास के साथ महोदय आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 80 प्रतिशत परिवार के घरों में बिजली लग गया है, 60 प्रतिशत परिवारों में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत चुल्हा चल रहा है और महोदय 98 प्रतिशत परिवार में जन धन का खाता खुला है । कोई भी पैसा सरकार का आज के दिन सीधे नहीं मिल रहा है, सरकार की जो भी राशि जा रही है, वह बैंकों के माध्यम से खाते में जा रही है जिसके चलते किसी प्रकार का घोटाला नहीं हो रहा है । मैं महोदय निवेदन करूंगा आपके माध्यम से पूरे सदन के तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दोनों बैठे हुए हैं जिस प्रकार से उपमुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी आप बजट का प्रोविजन कर रहे हैं, बजट को आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार के लिए राशि की व्यवस्था कर रहे हैं, इस निवेदन के साथ कि हम विधायक हैं, हम सब विधायकगण है, हमलोग क्षेत्र में जाते हैं विधायक का जो क्षेत्र विकास का निधि है, आप क्षेत्र विकास निधि को इसी बजट के तहत आगे बढ़ाईए । मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता

हूॅ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जी हमलोगों के आग्रह को निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे । चूंकि वह भी पैसा बजट का पैसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले ही सदन में कहा था कि विधायकों को काफी खर्च है, विधायक खर्च के चलते परेशान रहते हैं लेकिन यह भी आपने कहा था कि जब भारत की सरकार संसद में वेतन बढ़ा देगी माननीय सांसदों का तो बिहार में भी इस पर विचार किया जायेगा और आज केन्द्र में भी संसद ने इस पर विचार कर दिया, वहां भी तनख्वाह बढ़ गया। आप न्याय के साथ बिहार का विकास करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि न्याय के साथ बिहार में विकास हो, न्याय के साथ हम सब आगे बढ़ें इसलिए आप इस बजट में प्रोविजन करिये । माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं नेता के प्रति अपने नेता के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपने कल्याणपुर की महान जनता की ओर से सदन के प्रति आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूॅ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर वाद विवाद पर अब सरकार का उत्तर होगा ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री सुशील कुमार मोदी,उपमुख्यमंत्रीः महोदय, बजट 2018-19 पर तीन घंटे के वाद-विवाद पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूॅ । महोदय, 27 फरवरी को इस सदन के अन्दर वर्ष 2018-19 का बजट उपस्थापित किया गया था । अध्यक्ष महोदय, यह जो 2018-19 का बजट है उसका कुल आकार 1 लाख 76 हजार करोड़ रू0 है यानी प्लान, नन प्लान सभी तरह के खर्च मिलाकर हम 2018-19 में 1 लाख 76 हजार 990 करोड़ रू0 खर्च करेंगे जिसमें योजना व्यय जिसका नाम बदल कर स्कीम एक्सपेंडीचर हो गया है, यह 92 हजार 317 करोड़ है, 92317 करोड़ और जो पहले नॉन प्लान कहलाता था जिसको अब ऐस्टैब्लिसमेंट ऐंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, यह 84 हजार 672 करोड़ रू0 है। अध्यक्ष महोदय, मैं पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जब हमलोग सरकार में आये थे 2005-06 में जिसमें पहली बार नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस साल बिहार का जो बजट था वह 22 हजार करोड़ रू0 था तो 22 हजार करोड़ रू0 से 12 साल में बढ़कर अभी नौ गुणा है कि दस गुणा है । हम 22 हजार करोड़ रू0 से बढ़कर और 1 लाख 76 हजार करोड़ रू0 तक पहुंचे हैं यानी कई गुणा, नौ गुणा और ये बजट के आकार में इजाफा हुआ है और अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार जो स्कीम एक्सपेंडिचर है, एक बात ओर बतला दें एक समय था कि जब योजना और गैर योजना प्लान और ननप्लान उसके अन्दर चार गुणे का अंतर था, ननप्लान का मतलब यह समझा जाता है, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, ये सब ननप्लान के अन्तर्गत माना जाता है और कहा जाता है कि प्लान बड़ा होना और नन प्लान कम होना चाहिए

लेकिन एक समय था कि बिहार के अन्दर जो योजना और जो गैर योजना था उसके तीन गुणा से ज्यादा का अंतर था यानी प्लान अगर 2005-06 में 4800 करोड़ था तो नन प्लान 18 हजार करोड़ रू0 था यानी योजना व्यय ज्यादा होने के बजाय गैर योजना व्यय ये लगभग साढ़े तीन चार गुणा ज्यादा था । मुझे सदन को बताते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि अब धीरे धीरे योजना और गैर योजना के बीच का अंतर है, वह कम होता जा रहा है और 2017-18 में जहां प्लान 81 हजार करोड़ था और नन प्लान 78 हजार करोड़ था उसी प्रकार 2018-19 में जो प्लान है यानी योजना व्यय वह 92 हजार करोड़ है और गैर योजना व्यय है वह 84 हजार करोड़ रू0 है यानी एक समय में जहां 2005-06 में ननप्लान प्लान का चार गुणा था अब धीरे धीरे बिहार के अन्दर जो योजना का आकार है वह गैर योजना की तुलना में उसमें ज्यादा है, उसमें बढ़ोत्तरी हुई है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को ये भी बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार को वेतन, पेंशन पर कितना खर्च करना पड़ता है तो लगभग 80 हजार 551 करोड़ रू0, यह केवल हम वेतन पेंशन, ब्याज भुगतान पर खर्च करते हैं जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं, नियमित का मतलब जिनको ट्रेजरी से भुगतान होता है, इन पर लगभग 20 हजार 232 और 1 हजार 34 करोड़ ये खर्च होता है जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं उन पर जो खर्च होता है । जो विश्वविद्यालय के शिक्षकों को वेतन देते हैं और कर्मचारियों का और जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको ट्रेजरी से भुगतान नहीं होता है उनके खाते में सीधे जाता है दूसरे माध्यम से तो उसमें 22 हजार 865 करोड़ रू0, हमारे जो पंचायत के शिक्षक है, ब्लौक के शिक्षक हैं, जो हमारे प्रखंड के शिक्षक हैं, जो विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी हैं, इनके वेतन भुगतान पर 22 हजार 865 करोड़ रू0 खर्च होता है और जो संविदा पर नियुक्त हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जिनको एक-एक साल के लिए नियुक्ति होती है, दो साल के लिए नियुक्ति होती है उन पर खर्च करते हैं 2 हजार 499 करोड़ रू0, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल सदन की जानकारी के लिए आंकड़ें रख रहा हूँ, ये सरकार की प्रतिबद्धता है कि पहले अपने कर्मचारी को वेतन दो, पेंशन दो, ब्याज का भुगतान करो, जो कर्ज लिया है उस कर्ज को वापस करो, तब जो पैसा बचेगा वह विकास के कामों में खर्च होगा और उसी प्रकार पेंशन के मद में 15 हजार 828 करोड़ जो कर्ज हमने लिया है, उसके ब्याज के भुगतान पर 10 हजार 763 करोड़ और जो हमने कर्ज लिया है उसकी किस्त भी हम वापस करते हैं तो 7 हजार 326 करोड़ (क्रमशः)

टर्न-30/मधुप/05.03.2018

...क्रमशः ...

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : यानी कुल मिलाकर 80,551 करोड़ रूपया हम केवल कांट्रैक्चुअल सैलेरी में हो या ग्रांट इन ऐड जो देते है अनुदान सैलेरी के रूप में या जो

हमारे नियमित कर्मचारी हैं उनके वेतन-पेंशन और बाकी पर 80,551 करोड़ रूपया हम खर्च करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा उस दिन भी हमने सदन को बताया था, इस बार बजट में सबसे ज्यादा जो राशि दी गई है 32,125 करोड़ रूपया, यह शिक्षा विभाग पर । शिक्षा के अंदर शिक्षकों के वेतन का महत्व है, हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर, नर्स, पैरा-मेडिको वेतन यह मुख्य काम है । शिक्षा विभाग में 32,125 करोड़ रूपया हम खर्च करेंगे जो सर्वाधिक प्रावधान किया गया है । उसी प्रकार सड़क प्रक्षेत्र में, सड़क में ग्रामीण कार्य विभाग गॉव की सड़क और पथ निर्माण विभाग, उन दोनों की सड़कों को अगर जोड़ दिया जाय तो 17,397 करोड़ रूपया हम केवल बिहार की सड़कों पर एक साल के अन्दर खर्च करेंगे । स्वास्थ्य विभाग पर 7,793 करोड़, उसी प्रकार अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला, इनपर मिलाकर 10,188 करोड़ रूपया खर्च किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों हमलोगों ने शराबबंदी, तिलक-दहेज, बाल-विवाह के खिलाफ राज्य-व्यापी अभियान चलाया था । महात्मा गॉधी के चम्पारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरा होने पर पूरे राज्य के अन्दर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किये गये थे । उसी प्रकार गुरू गोविंद सिंह जी महाराज के 350वीं जयन्ती के समापन पर भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया । अब माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार वीर कुँवर सिंह के 160वें विजयोत्सव को बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है। पहली बार बिहार में वीर कुँवर सिंह का जो विजयोत्सव का कार्यक्रम है, तीन दिनों तक मनाया जायेगा - 23, 24 और 25 तारीख तक, 23 तारीख से प्रारम्भ होकर तीन दिनों तक यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर मनाया जायेगा । यह जो हार्डिंग पार्क है, जो वीर कुँवर सिंह पार्क के नाम से जाना जाता है, इस वीर कुँवर सिंह पार्क में बाबू कुँवर सिंह की प्रतिमा जो आर0 ब्लॉक चौराहे पर लगी है, वहॉ से उसको स्थानांतरित करके वीर कुँवर सिंह पार्क के एक ऊंचे पेडस्टल पर उस मूर्त्ति को स्थापित किया जायेगा । उस प्रतिमा स्थल के इर्द-गिर्द 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बाबू कुँवर सिंह तथा उनके सहयोगियों का योगदान टेराकोटा के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा । उसी प्रकार पटना में, जगदीशपुर में दंगल कुश्ती और दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा । साथ-ही-साथ, जो वीर कुँवर सिंह पार्क है, वहॉ पर लाईट एण्ड साउंड शो का आयोजन किया जायेगा, जिसमें बाबू कुँवर सिंह के जीवन पर आधारित सारी चीजों को लोग देख सकेंगे । घुड़सवारी का प्रदर्शन, कुश्ती का खेल, जिस प्रकार से हमने गुरू गोविंद सिंह जी महाराज के 350वीं जयंती को मनाया एवं महात्मा गॉधी के चम्पारण सत्याग्रह को हमने स्मरण किया, उसी प्रकार बिहार के बड़े योद्धा बाबू कुँवर सिंह की 160वें विजयोत्सव को भी सरकार बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री के सात निश्चय का एक बड़ा हिस्सा था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और हमलोगों ने प्रयास किया था कि बैंकों के माध्यम से 4 लाख रूपये का कर्ज हम छात्रों को दिला सकें और उसकी पूरी गारंटी भी बिहार सरकार ने लिया था लेकिन अनेक कारणों से हमारी अपेक्षा के अनुरूप उसमें सफलता नहीं मिल पाई । इसलिये माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमलोगों ने यह तय किया है कि बिहार के अन्दर बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का गठन किया जायेगा और इस वित्त निगम के माध्यम से बिहार के जो जरूरतमंद छात्र हैं, उनको हम 4 लाख तक का ऋण उपलब्ध करायेंगे । मुझे बताते हुये खुशी हो रही है कि बिहार देश का पहला राज्य होगा जो बैंकों के माध्यम से नहीं बल्कि अपने वित्त निगम के माध्यम से 4 लाख तक का कर्ज छात्रों को उपलब्ध करायेगा । अध्यक्ष महोदय, अभी तक बैंक आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये ऋण उपलब्ध नहीं कराता था लेकिन इस शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से हम आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक से लेकर तमाम वैसे पाठ्यक्रम जिसके लिये बैंक ऋण उपलब्ध नहीं कराता था, हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि वर्ष 2018-19 के अंदर इस शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से बिहार के हजारों लड़कों को एक बहुत बड़ा लाभ हम देने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, नीतीश जी की सरकार, एन0डी0ए0 की सरकार सड़क, पुल-पुलिया और बड़े-बड़े मेगा ब्रीज के लिये जानी जाती है । मुझे सदन को बताते हुये खुशी हो रही है कि अगले छः महीने के भीतर या हो सकता है कि एकाध महीना बढ़ जाय, नवम्बर मान लीजिये, गंडक नदी पर 3 बड़े पुल, गंगा नदी पर 1 पुल, सोन नदी पर 1 पुल और कोसी पर 1 पुल, 2 पुलों में सम्पर्क पथ यानी 6 मेगा ब्रीज का उद्घाटन अप्रील से लेकर नवम्बर महीने के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, आरा-छपरा पुल जिसका शिलान्यास हम ही लोगों ने किया था, वह लगभग बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन अगले दो-तीन-चार महीनों में कभी-भी हो जायेगा । उसी प्रकार गंडक नदी पर सत्तर घाट पुल, बंगरा घाट पुल और दहनार-रतवल घाट पुल के सम्पर्क पथ का कार्य जो है, गंडक नदी पर ये जो तीनों पुल हैं, जून से लेकर दिसम्बर के बीच में ये बनकर तैयार हो जायेंगे । उसी प्रकार सोन नदी पर दाउदनगर-नासरीगंज के बीच 1006 करोड़ की लागत से बना पुल और कोसी नदी पर बलुआहा घाट पुल से गंडौल के बीच पुल एवं पहुँच पथ का जून, 2018 तक पूरा होने की संभावना है । अध्यक्ष महोदय, 17000 करोड़ तो हम केवल खर्च करेंगे सड़कों और पुल-पुलिया पर । जिन पुलों का शिलान्यास स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसका उद्घाटन भी इस वर्ष में अगले 6-8 महीनों के अन्दर हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि मैं हर गॉव तक बिजली पहुँचाने का काम करूंगा । सदन को यह मालूम है कि दिसम्बर, 2017 में बिहार का

एक भी गॉव नहीं बचा जहॉ बिजली नहीं पहुॅची है, शत-प्रतिशत गॉव के अन्दर बिजली पहुॅच चुकी है । अप्रील, 2018 यानी अगले दो महीनों के अन्दर 21890 जो टोले हैं, जो बसावट हैं, उन 21890 टोलों-बसावटों में भी अप्रील तक यह सरकार बिजली पहुॅचाने का काम पूरा कर देगी । इतना ही नहीं, यह तो केन्द्र और राज्य दोनों का संकल्प है कि हर घर तक बिजली पहुॅचाना है, केवल गॉव तक बिजली पहुॅच गई तो काम नहीं चलेगा, टोले तक बिजली पहुॅचाना है और केवल टोले तक नहीं, हर घर तक बिजली पहुॅचाना है । मैं सदन को बताना चाहूॅगा कि दिसम्बर, 2018 तक यानी 2018 का यह जो साल है इसके समाप्त होने के पहले-पहले बिहार में एक भी घर नहीं बचेगा जिसको बिजली का कनेक्शन नहीं होगा, हर घर तक बिजली पहुॅचाने का काम सरकार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय, आज बिहार का किसान डीजल से खेती करता है । डीजल से खेती करने पर कितना खर्च आता है, यह सबों को मालूम है लेकिन केन्द्र की सरकार, राज्य की सरकार ने तय किया है कि अब एग्रीकल्चर का अलग फीडर होगा और 6324 करोड़ की लागत से यह काम प्रारम्भ हो गया है, हर जिले का टेन्डर हो गया है, काम प्रारम्भ हो गया है और वर्ष 2019 के अंत तक बिहार के अन्दर घर का लाईन अलग होगा और खेती का लाईन अलग होगा । घर के लाईन से 24 घंटा बिजली हम देंगे । जो घर का फीडर होगा उससे 24 घंटा बिजली मिलेगी और जो कृषि का फीडर होगा उससे 6 घंटा - 7 घंटा जितनी बिजली की आवश्यकता होगी, कृषि कार्यों के लिये बिजली उपलब्ध कराई जायेगी । अध्यक्ष महोदय, हम कल्पना कर सकते हैं कि 2019 तक बिहार की क्या तस्वीर होगी, बिहार की क्या स्थिति होगी ।

अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार जो 133 शहर हैं, उन 133 शहरों में समेकित ऊर्जा विकास योजना के तहत 2100 करोड़ रूपये की लागत से शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय तथा निरंतर विद्युत की उपलब्धता करायी जा सकेगी । ...क्रमशः...

टर्न-31/आजाद/05.03.2018

.... क्रमशः ....

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर हम ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर बिजली उपलब्ध करायेंगे, वही दूसरी ओर जो शहरी क्षेत्र है, 133 शहरी क्षेत्र में भी हम 2100 करोड़ रू0 की लागत से शहरी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विश्वसनीय तथा निरन्तर विद्युत् की उपलब्धता करायी जा सकेगी ।

(इस अवसर पर कुछ कहते हुए विपक्ष के माननीय सदस्यगण ने सदन से बहिर्गमन किया)

अध्यक्ष : आप यही सब तो बोलने वाले थे तो आप कहां जा रहे हैं ?

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों को भी और 2100 करोड़ रू0 खर्च कर 133 शहरों के अन्दर हम गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने एक निर्णय लिया कि राज्य में तीन नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे और अगले शैक्षणिक सत्र यानी जुलाई सत्र से तीन नये विश्वविद्यालयों की पढ़ाई का काम प्रारंभ हो जायेगा, कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है । इसमें पूर्णिया विश्वविद्यालय, पाटलीपुत्रा विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की औपचारिकतायें जो हैं, जुलाई तक पूरी हो जायेगी और नए शैक्षणिक सत्र से इन तीनों नये विश्वविद्यालयों का स्थापना का काम पूरा कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार बड़े पैमाने पर हर विभाग के अन्दर कम्प्यूटरीकृत एवं कम्प्यूटराईजेशन करने जा रही है ताकि हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है, इसको रोकने का एकमात्र उपाय है आई0टी0 का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना। इसलिए राज्य सरकार अधिक से अधिक विभागों के अन्दर और आई0टी0 आधारित व्यवस्था करने जा रही है और इसके तहत एक बड़ा काम करने जा रहे हैं केन्द्रीयकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, ह्यूमेन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, केन्द्रीयकृत सेंट्रलाईज मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, 52 करोड़ रू0 की लागत से हमारे जितने कर्मचारी हैं, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों का चाहे वह सर्विस बुक हो, उनके पेंशन का मामला हो, उसके प्रोमोशन का मामला हो, वह कब कहां गया ज्वाईन करने के लिए, कहां-कहां उसकी बदली हुई, उनपर क्या-क्या आरोप हैं, क्या-क्या कार्रवाई की गई, ये सारी चीजें, आज अगर एक कर्मचारी के बारे में मालूम करना हो तो यह बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इसके बारे में दसों जगह संचिकायें फैली रहती है । यह केन्द्रीयकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, इसपर काम प्रारंभ हो गया है और इस सोफ्टवेयर को, इस कार्यक्रम को विकसित किये जाने के परिणामस्वरूप हम अपने जो सारे कर्मचारी हैं, उनके पेंशन, वेतन, प्रोमोशन से लेकर उनके सारी चीजों को हम एक जगह देख पायेंगे ।

उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी अपने भाषण के क्रम में जिक्र किया था, यह जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में और 1दिसम्बर,2017 से राज्य के 45 शहरी अंचलों में ऑनलाईन दाखिल खारिज का काम, म्यूटेशन का काम प्रारंभ हो गया है और अब एक अप्रील,2018 से राज्य के सभी अंचलों के अन्दर ऑनलाईन विधि से दाखिल खारिज के निष्पादन का काम प्रारंभ हो जायेगा और इतना ही नहीं अगर किसी किसान को भू-लगान जमा करना है, उसको पता नहीं चलता है कि उसका भू-लगान कितना बकाया है और वह कर्मचारी के पीछे दौड़ता

है जमा करने के लिए तो कोई भी किसान और भू-लगान की राशि ऑनलाईन जमा कर सकेगा । लैंड पोजेशन सार्टिफिकेट जिसको एल0पी0सी0 बोलते हैं, जो भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र है, उसको प्राप्त करने का जो तरीका होगा, जो माध्यम होगा, वह ऑनलाईन माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार पूरे बिहार के अन्दर यह जो इन्टरनेट की सुविधा है, यह जो मोबाईल कनेक्टवीटी की सुविधा है और सदन को मालूम होगा कि इकोनॉमिक सर्वे में इस बात का जिक्र आया है कि 2000-01 में जहां बिहार में केवल 10 लाख टेलीफोन का कनेक्शन था, 2017 में बढ़कर 8-8.5 करोड़ से ज्यादा मोबाईल का कनेक्शन हो चुका है । जब लोगों के पास मोबाईल है, 11 करोड़ की आबादी वाले बिहार में साढ़े आठ करोड़ मोबाईल का कनेक्शन है बिहार के लोगों के पास और लोग इन्टरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोग वाई-फाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि हमको वाई-फाई और इन्टरनेट की सुविधा मिल सके । अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार के सहयोग से नेशनल ऑप्टीकल फाईवर नेटवर्क राज्य के 5260 पंचायतों में ऑप्टीकल फाईवर नेटवर्क बिछाया जा चुका है और 2018-19 में यानी अगले वित्तीय वर्ष में जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, वह साईबर कैफे के रूप में काम करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अनेक प्रकार की जो नागरिक सुविधायें हैं, वह कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उनको मिल सकेगी । साथ ही साथ प्रत्येक पंचायत में 4 सार्वजनिक स्थान थाना हो सकता है, आंगनबाड़ी केन्द्र हो सकता है, कोई विद्यालय हो सकता है और कोई बाजार हो सकता है तो पंचायत के चार सार्वजनिक स्थानों पर वाई-वाई की सुविधाा के लिए हॉटस्पोट स्थापित किये जायेंगे और साथ ही साथ जो बचे हुए पंचायत हैं, उन बचे हुए पंचायतों में अगले दो वर्षों में ऑप्टीकल फाईवर नेटवर्क को बिछाने का काम पूरा कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, जो बिहार के अन्दर वित्त विभाग है, उसका जो पूरा प्रबंधन है, उसमें अब बड़ा बदलाव एक अप्रील, 2018 से आने जा रहा है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए एक अप्रील,2018 से जो सारे ट्रेजरी है और वित्त विभाग की जो पूरी कार्य प्रणाली है, वह सारे कार्य प्रणाली ऑनलाईन हो जायेगी । यानी कोई काम आज अगर बजट की तैयारी करना है, बजट का आवंटन है, अगर ट्रेजरी से कुछ पास कराना है, सारी चीजें ऑनलाईन होगी । यानी कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । चाहे वह पेंशन का मामला हो, वेतन का मामला हो, बजट का मॉड्यूल हो, चाहे ट्रेजरी से भुगतान का मामला हो, ये सारी चीजें जो हैं, सी0एफ0एम0एस0, कम्प्रेहेंसीव फाईनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एक अप्रील से इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा । मुझे उम्मीद है अध्यक्ष महोदय कि सी0एफ0एम0एस0 लागू करने के बाद जो

बिहार का वित्तीय प्रबंधन है और बेहतर होगा, और अधिक पारदर्शिता आयेगी और सारा काम जो है, ऑनलाईन सिस्टम से किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर बजट प्रबंधन में सुधार होगा, जो सरकारी राशि सीधे लाभुकों के खाते में ट्रांसफर की जा सकेगी । कोई भी व्यक्ति जो सरकार के खजाने में पैसा जमा करना चाहता है, वह ई-रिसिट के माध्यम से सरकारी खाते में राशि ऑनलाईन जमा की जा सकेगी । उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय एक और नया काम, एक महत्वपूर्ण काम जो एक अप्रील से प्रारंभ होने जा रहा है, वह जेम है । जेम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेश, जेम का संक्षिप्त नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेश । यानी आज किसी भी विभाग को कोई चीज अगर खरीदना है, अगर कोई चीज की खरीददारी करनी है, प्रोक्योर करना है तो बड़ी जटिल प्रक्रिया है और आरोप लगते रहते हैं कि 100 रू0 का सामान 150रू0 में खरीद लिया गया, चाहे वह सर्किट हाऊस हो, चाहे वह कोई भी सरकार का कोई विभाग हो, चाहे स्टेशनरी खरीदना हो, कम्प्यूटर खरीदना है, किसी नगर निकाय को डस्टबीन खरीदना है, कोई भी सामान खरीदना है तो अब एक अप्रील से जो नई व्यवस्था हो रही है चरणबद्ध तरीके से, इसके अन्दर सरकारी जो खरीद होगी, वह जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद होगी और 50हजार रू0 से कम का अगर कोई सामान खरीदना होगा तो जेम पोर्टल पर जो बेचने वाले लोग हैं, वे अपना निबंधन करायेंगे जो सप्लायर है और उसमें जिनका सबसे कम कीमत होगी, वह सीधे जाकर वहां से सामान खरीद सकेगा । 50हजार से लेकर ऊपर की अगर कोई खरीद करना है तो ऑनलाईन वीडिंग के माध्यम से अगर आपको कोई सामान खरीदना है, मान लीजिए कि आपको एक हजार तौलिया खरीदना है, आप जैम पोर्टल पर जाकर डाल देंगे कि हमको इस साईज का, इस तरह का एक हजार तौलिया खरीदना है या सोफा सेट खरीदना है और ऑनलाईन वीडिंग होगी और लोग बीड करेंगे और जिसका सबसे कम रेट होगा, आप सीधे उनसे खरीद सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, यह जो जैम पोर्टल है, इस जैम पोर्टल के माध्यम से मैंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जायेगा एक अप्रील से।

..... क्रमशः .....

टर्न-32/अंजनी/दि0 05.03.2018

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : ..क्रमशः... पहले सचिवालय स्थित विभागों एवं अन्य कार्यालयों में जेम पोर्टल से सामग्रियों सेवाओं की अधिप्राप्ति की जा सकेगी और धीरे-धीरे सरकार के सभी विभागों में जो प्रक्योरमेंट है, जो खरीद है, जेम पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी । अध्यक्ष महोदय, इससे दक्षता आयेगी और कम कीमत पर हम सामान को खरीद सकेंगे, कम्पीटीशन होगा और उसमें पारदर्शिता होगी । इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस जेम पोर्टल के माध्यम से हम बड़े पैमाने पर यह काम करने जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय,

अभी कांग्रेस के एक माननीय सदस्य अल्पसंख्यक विभाग के बारे में टीका-टिप्पणी कर रहे थे । अध्यक्ष महोदय, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है,उस अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए कितने बड़े पैमाने पर सरकार ने निर्णय लिया है । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पहले जहां तलाकशुदा महिलाओं को, मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को दस हजार रूपया मिलता था, उसको बढ़ाकर 25,000 रूपयाकर दिया गया है । इतना-ही नहीं, मदरसा बोर्ड से फोकानियां और मौलवी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उर्त्तीण छात्र-छात्राओं को पहले दस हजार या आठ हजार रूपया मिलता था प्रोत्साहन राशि, अब सरकार ने यह तय किया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अलावा मदरसा बोर्ड से फोकानियां, मौलवी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में जो छात्र उर्त्तीण होंगे, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जायेगी । इतना-ही नहीं, बिहार राज्य के अल्पसंख्यक वित्त निगम को सुदृढ़ करने हेतु उसकी हिस्सा पूंजी, इसका जो शेयर कैपिटल है, उसको 40 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ रूपया कर दिया गया है । साथ-ही साथ, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत अधिकाधिक अल्पसंख्यक युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 करोड़ के स्थान पर 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है । अध्यक्ष महोदय, साथ-ही साथ जो गृह विभाग है, उस गृह विभाग में, होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत बिहार में जितने भी थाने हैं, उन सभी थानों को कम्प्यूटराइज्ड किया जा रहा है । तो क्राइम एण्ड क्रीमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम, अगर कोई व्यक्ति चाहेगा तो उसको थाना जाकर एफ0आई0आर0 दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी, वह घर बैठे एफ0आई0आर0 दर्ज कर सकेगा । बिहार के सभी थानों के अन्दर एक-एक कम्प्यूटर, एक-एक प्रिंटर और एक-एक टेकनिकल अस्सिटेंट की नियुक्ति की जा चुकी है, कम्प्यूटर उनको उपलब्ध कराया जा चुका है और पुराने जो एफ0आई0आर0 हैं उनको अपलोड करने के लिए, पांच लाख से ज्यादा एफ0आई0आर0 अभी तक उसपर अपलोड किये जा चुके हैं ताकि पुराने जो सारे एफ0आई0आर0 हैं, उसपर अपलोड किये जा सकें । जो पूरा सी0सी0टी0एन0एस0 सिस्टम होगा, यह देश के सभी राज्यों से जुड़ा होगा ताकि कोई अपराध के बारे में अगर महाराष्ट्र का व्यक्ति देखना चाहे अपराध और अपराधी के बारे में तो वह इस पोर्टल पर जाकर उसको देख सकेगा, तो यह क्राइम एण्ड क्रीमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है, इसपर काम प्रारंभ हो गया है और इसका भी बहुत बड़ा लाभ होगा अपराध को नियंत्रित करने में, अपराधी गतिविधियों को नियंत्रित करने में । साथ-ही महोदय, उसी प्रकार बिहार सरकार ने यह भी तय किया है कि जो हमारा परिवहन विभाग है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जितने भी विभाग हैं, उन सभी विभागों को स्टार्ट टू इंड कम्प्यूटराइज कर रहे हैं । शुरू से लेकर अंत तक उसका पूरा कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है । वाणिज्य-कर विभाग में तो सारा काम कम्प्यूटराइज हो चुका है जी0एस0टी0 के आने के बाद । अब चाहे आपको टैक्स जमा करना हो, आपको रिटर्न

फाइल करना हो, किसी काम के लिए आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है । अब सारा काम घर पर बैठकर ऑनलाईन तरीके से कर सकते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उसके अन्दर दाखिल-खारिज से लेकर एल0पी0सी0 से लेकर और भू लगान ऑनलाईन जमा किया जा सकेगा । उसी प्रकार सी0सी0टी0एस0 का मैंने जिक्र किया, सी0एफ0एम0एस0 का जिक्र मैंने किया, जेम पोर्टल का मैंने जिक्र किया, उसी प्रकार परिवहन विभाग के अंतर्गत जो वाहनों का निबंधन होता है, इसको वाहन चार सोफ्टर के माध्यम से 38 जिलों में इसके रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ कर दिया गया है और अभी डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन होगा यानी अगर किसी ने वाहन खरीदा तो उसको परिवहन विभाग के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, डीलर प्वाइंट पर ही इसको नम्बर मिल जायेगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जायेगा और अब यह भी व्यवस्था की जा रही है कि अगर आपने किसी गाड़ी के नम्बर को अपने मोवाईल पर डाला और एक नम्बर पर एस0एम0एस0 किया तो वह गाड़ी किसकी है, उस चेसिस का नम्बर क्या है, उसका मालिक कौन है, सारी जानकारी आपको एक सेकेंड के अन्दर पूरी जानकारी मिल जायेगी । उसी प्रकार परिवहन विभाग के अंतर्गत जितने तरह के टैक्स जमा करने हैं चाहे वह रोड परमिट के लिए हो या ड्राइविंग लाईसेंस के लिए हो या परिवहन कर हो, वह सारी चीजें जो हैं को ई-पेमेंट के माध्यम से आप ऑनलाईन जमा कर सकेंगे। उसी प्रकार ऑनलाईन माध्यम से जो परमिट है, जो अनुज्ञप्ति है, जो ड्राइविंग लाईसेंस है, इसका डेटा भी ऑनलाईन हो जायेगा, जिसमें बिहार के लाईसेंस का वेरिफिकेशन, अभी अगर कोई दुर्घटना हो गयी, कुछ घटना घट गयी तो दूसरे राज्य का व्यक्ति को पता नहीं जो ड्राइविंग लाईसेंस है, ये वैध है कि अवैध है तो परिवहन विभाग के अन्दर जो ड्राइविंग लाईसेंस का डेटा जो है ऑनलाईन किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है, कृषि रोड मैप पर विस्तार से कृषि विभाग के बजट में चर्चा होगी लेकिन सदन को मालूम है कि 1 लाख 54 हजार करोड़ का कृषि रोड मैप अगले पांच साल के अन्दर लागू किया जा रहा है । उसी प्रकार मुख्यमंत्री के जो सात निश्चय हैं, उसपर 2 लाख 60 हजार करोड़ रूपया मुख्यमंत्री के सात निश्चय पर खर्च किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी का जो पैकेज है1 लाख 60 हजार करोड़ रूपये का पैकेज है,, आप कल्पना करें कि अगले वर्षों में 1 लाख 54 हजार करोड़ का कृषि रोड मैप, सात निश्चय का 2 लाख 60 हजार करोड़ और प्रधानमंत्री का 1 लाख 60 हजार करोड़ रूपये का पैकेज ये तीनों सात निश्चय, कृषि रोड मैप और पी0एम0 का पैकेज ये मिलकर बिहार को विकास की दिशा में और आगे ले जाने का काम करेगा । अध्यक्ष महोदय, हमारी स्पर्धा उन लोगों से नहीं है जिन लोगों ने 15 साल राज किया, हमारी स्पर्धा तो अपने पहले के कार्यकाल से है । उन्होंने 15 साल में क्या किया, उसकी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने

कहा कि हमारी स्पर्धा स्वयं हमलोगों से है कि पहले वर्षों में हमने क्या काम किया, पिछले साल मैंने क्या काम किया और अगले साल में हम क्या काम करेंगे । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह एन0डी0ए0. गठबंधन की सरकार, सात निश्चय, कृषि रोड मैप और पी0एम0 के पैकेज को लेकर जिसतरह से बिहार को उंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है, मुझे पूरा भरोसा है आगे आनेवाले दिनों में बिहार और तेजी से विकास करेगा, इन्हीं श।ब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : सरकार का वक्तव्य समाप्त हुआ । वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 5 मार्च, 2018 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-21(इक्कीस) है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 06 मार्च, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।